नगर परिषद सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन।

अवधि 1.4.2009 से 31.3.2011

भाग–एक

1 (क) प्रारम्भिक :–

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन(एल0ए0)खण्ड–IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के अवधि 1.4.2009 से 31.3.2011 तक के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

इस अंकेक्षण अवधि में नियन्त्रक अधिकारी व आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में निम्न प्रधान व कार्यकारी अधिकारी कार्यरत रहेः–

प्रधान :–

क्रमांक	नाम	अवधि
1	श्री देवेन्द्र ठाकुर	1.4.2009 से 19.1.2011
2	श्री कुल राकेश पंत	22.1.2011 से 31.3.2011

कार्यकारी अधिकारीः–

क्रमांक	नाम	अवधि
1	श्री अजमेर सिंह ठाकुर	1.4.2009 से 31.3.2011

(ख) <u>गम्भीर अनियमितताओं का सारः–</u>

नगर परिषद सोलन के अवधि 1.4.2009 से 31.3.2011 तक के लेखाओं के अंकेक्षण में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्रम संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि ₹लाखों में
1	नगर परिषद द्वारा निवेश की गई राशि पर ब्याज की हानि	4 (घ) (ङ) (च) तथा (छ)	3.63
2	अनुदान राशियों की निश्चित समय पर प्रयुक्त न करने के कारण पड़ी अनुपयुक्त राशियॉ	5 (क) (1) तथा पैरा 5 (ख) (2)	250.47
3	गृहकर अधिरोपित न करने के कारण वित्तीय हानि	6 (क)	659.92
4	मलवहन कर की शेष वसूली न करना	6 (ख)	104.71
5	सिंचाई एवंज न स्वास्थ्य विभाग को पानी के बिलों का शेष भुगतान	6 (ग)	2005.24
6	हि0प्र0 विद्युत बोर्ड को स्ट्रीट के बिलों का शेष भुगतान	6 (घ)	49.10
7	मोहन मिकिन लिमिटेड से सफाई शुल्क की वसूली योग्य शेष राशि	6 (ङ)	30.72
8	दुकानों/स्टालों के किराए की वसूली योग्य शेष राशि	6 (च)	61.22
9	पानी के बिलों की शेष वसूली	6 (छ)	18.38
10	कुता शुल्क (Dog Tax) की वसूली योग्य शेष राशि	6 (ज)	0.42
11	मोबाईल टावरों से वसूली योग्य राशि	6 (ट)	1.10
12	कामकाजी महिला आवास में रह रही महिलाओं से किराए की वसूली योग्य शेष राशि	6 (ठ)	0.81
13	कामकाजी महिला आवास के आंबटियों से बिजली प्रभार की वसूली योग्य शेष राशि	6 (ड)	1.90
14	विज्ञापन शुल्क की वसूली योग्य शेष राशि	6 (ण)	0.58
15	जलाने वाली लकड़ी को स्टॉक में कम दर्शाने में संलिप्त राशि	6 (त)	0.36
16	स्थापना पर अनुदेय सीमा से अधिक व्यय	7 (क)	302.50

17	गलत वेतन निर्धारण के कारण कर्मचारियों को अधिक भुगतान	7 (ख) (ग) तथा (ङ)	0.43
18	टंकण भते का अनियमित भुगतान	7 (घ)	0.08
19	असमायोजित अग्रिम	8 (क)	7.58
20	बिना बिल के राशि लाईट उपकरणों का अनियमित क्रय	8 (ग)	1.65
21	विज्ञापनों पर अनियमित व्यय	8 (ट)	0.69
22	समाचार पत्रों में टैण्डर प्रकाशित किए बिना निर्माण कार्यों का अनियमित आंबटन	9 (क)	419.67
23	अनुबन्ध की धारा की अवज्ञा में ठेकेदारों से क्षतिपूर्ती की वसूली योग्य राशि	9 (ख)	4.36
24	सीमेन्ट के दुरूपयोग के कारण हानि	9 (ग)	0.37
25	ठेकेदारों से श्रम कर (Labour Cess) वसूल न करना	9 (घ)	0.86
26	ठेकेदारो से जल प्रभार की वसूली योग्य शेष राशि	9 (च)	0.36
27	माप पुस्तिका में गलत गणना के कारण ठेकेदारों को अधिक भुगतान	9 (छ)	0.14
28	ठेकेदारों से सीमेन्ट की वसूली योग्य राशि	9 (ज)	0.17
29	वहनों में ईंधन की अधिक खपत के कारण अतिरिक्त वित्तीय बोझ	10 (क)	4.86
30	पैन्शन एवं ग्रेच्युटी फंड में विभागीय प्रभार का अंशदान न करना	11 (क)	134.47

(ग) विगत अंकेक्षण प्रतिवेदनः—

नगर परिषद के विगत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में शेष अनिर्णीत पैरों की समीक्षा वर्तमान अंकेक्षण के दौरान करने के उपरान्त निर्णीत व अनिर्णीत अंकेक्षण पैरों की विस्तृत रिपोर्ट इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "ख" पर दर्शाई गई है जिसका संक्षिप्त सार निम्नानुसार हैः—

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि	शेष अनिर्णीत अंकेक्षण पैरे/उप पैरे	अंकेक्षण के दौरान निर्णीत अंकेक्षण पैरे/उप पैरे	अंकेक्षण के दौरान आंशिक रूप से निर्णीत पैरे/उप पैरे
1.4.1972 से 31.3.1973	1	शून्य	शून्य

1.4.1973 से 31.3.1975	2	शून्य	शून्य
1.4.1975 से 31.3.1976	5	शून्य	शून्य
1.4.1976 से 31.3.82	11	शून्य	शून्य
1.4.1982 से 31.3.1983	5	शून्य	शून्य
1.4.1983 से 31.3.1984	12	शून्य	शून्य
1.4.84 से 31.3.1985	21	शून्य	शून्य
1.4.1985 से 31.3.1987	23	शून्य	शून्य
1.4.1987 से 31.3.1988	32	शून्य	शून्य
1.4.1988 से 31.3.1990	52	शून्य	शून्य
1.4.1990 से 31.3.1991	यह अंकेक्षण प्रतिवेदन समीक्षा हेतु अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया		
1.4.1991 से 31.3.1994	59	शून्य	शून्य
1.4.1994 से 31.3.1996	यह अंकेक्षण प्रतिवेदन समीक्षा हेतु अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया		
1.4.1996 से 31.3.1999	210	28	शून्य
1.4.1993 से 31.3.1999 तक आय का विस्तृत अंकेक्षण प्रतिवेदन	23	शून्य	शून्य
	456		
1.4.1999 से 31.3.2002	155	26	1
1.4.2002 से 31.3.2007	154	4	1
1.4.2007 से 31.3.2009	107	1	शून्य
	872		

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि दिनांक 1.4.1990 से 31.3.1991 तथा 1.4.1994 से 31.3.1996 के अंकेक्षण प्रतिवेदनों जो कि समीक्षा हेतु अंकेक्षण को प्रस्तुत ही नहीं किए गए के अतिरिक्त भी अवधि 1.4.1972 से 31.3.2009 तक 872 अंकेक्षण पैरे/उप पैरे अनिर्णीत थे जिनमे से अंकेक्षण के दौरान मात्र 59 पैरों/उप पैरों का पूर्ण रूपेण तथा 2 पैरों/उप पैरों आंशिक रूप से निस्तारण सम्भव हो पाया चूंकि प्रतिवेदन नए अंकेक्षण पैरों में निर्णीत अंकेक्षण पैरों की तुलना में लगातार वृद्धि हो रही है जो कि चिन्ताजनक है। अतः यह गम्भीर प्रकरण नगर परिषद के उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष

अभियान/कार्यवाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाया जाता है ताकि समय रहते अधिक से अधिक अनिर्णीत पैरों का निपटारा सम्भव हो सके।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

नगर परिषद सोलन के अवधि 1.4.2009 से 31.3.2011 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शाए गए है, दिनांक 16.9.2011 से 13.1.2012 तक श्री डी0आर0 चौहान, अनुभाग अधिकारी तथा दिनांक 26.9.2011 से 13.1.2012 तक श्री अमर दत्त, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा नगर परिषद सोलन स्थित कार्यालय में किया गया। इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण की विस्तृत जॉच हेतु माह 3/2010 तथा 7/2010 का चयन किया गया।

वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन नगर परिषद कार्यालय सोलन कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख व सूचनाओं पर आधरित है तथा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के गलत होने, अपूर्ण होने अथवा उपलब्ध ही न होने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उतारदायी नहीं होगा तथा इस विभाग को उत्तरदायित्व केवल चयनित मासों हेतु ही सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्क :–

अवधि 4/2009 से 3/2011 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण शुल्क ₹83,900/– आंका गया जिसे रेखाकिंत बैक ड्राफ्ट द्वारा अदा करने हेतु कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद से अनुभाग अधिकारी (ले0प0) की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 07 दिनांक 13.01.2012 द्वारा अनुरोध किया गया था। यह अंकेक्षण शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या 001016 दिनांक 21.3.2012 के अन्तर्गत विभाग में प्राप्त हो चुका है।

4 वित्तीय स्थिति :–

(क) नगर परिषद की अवधि 1.4.2009 से 31.3.2011 की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार थी जिसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "ग" पर भी दिया गया हैः–

		वर्ष 2009–2010			
	प्रारम्भिक शेष (1.4.09 को)	**आय**	**कुल योग**	**व्यय**	**अन्तशेष**
अपने साधनों से	–	42004100.67	42004100.67	42004100.67	शून्य
अनुदान से (पालिका निधि +IDSMT लेखें+ SJSRY लेखें)	42116678.45	33151689.00	75268367.45	46820289.33	28448078.12
कुल योग	42116678.45	75155789.67	117272468.12	88824390	28448078.12
		वर्ष 2010–2011			
	प्रारम्भिक शेष (1.4.10 को)	**आय**	**कुल योग**	**व्यय**	**अन्तशेष**
अपने साधनों से	शून्य	50529050	50529050	47770784.88	2758265.12
अनुदान से	28448078.12	41955511	70403598.12	46512525.12	23891064
कुल योग	28448078.12	92484561	120932639.12	94283310	26649329.12

नोटः– दिनांक 1.4.2009 को प्रारम्भिक शेष ₹42116678.45 निम्न कारणों से दर्शाया गया हैः–

1	मुख्य रोकड़ वही के अनुसार दिनांक 31.3.2009 को अन्त शेष	₹35891786.43
2	जमा IDSMT खाते से दिनांक 31.3.2009 को अन्त शेष	(+) ₹5161377.90
3	जमा SJSRY खाते से दिनांक 31.3.2009 को अन्त शेष	(–) ₹488030.00
	कुल योग	₹41541194.33
4	जमा वह हस्तगत राशि जो दिनांक 31.3.2009 को नगर परिषद के पास हस्तगत थी किन्तु रोकड़ वही में 31.'3.209 तक नहीं दर्शाई गई अपितु दिनांक 2.4.2009 को रोकड़ वही में दर्शाई गई व बैंक में जमा की गई	₹321004.00
5	जमा यूको बैंक में संचयिका हुडको खातों में मन विवरणानुसार जमा वह राशि	(+) 254480.12

	जिसे त्रुटिपूर्वक विगत अंकेक्षण प्रतिवेदन की वित्तीय स्थिति व बैंक समाधान विवरणि में गणना में नहीं लिया गया:–	
	खाता संख्या 11247 ₹181745.03	
	खाता संख्या 11246 ₹39910.56	
	खाता संख्या 11245 ₹32824.53	
	कुल योग ₹254480.12	
	कुल योग	₹42116678.45
	(ख) बैंक समाधान विवरणी:–	
	दिनांक 31.3.2011 को बैंक खातों में जमा राशि (विवरण परिशिष्ट)	₹30412511.88
	दिनांक 31.3.2011 को रोकड़ वही के अनुसार शेष	₹26649329.12
	भिन्नता	₹3763182.76
	भिन्नता के कारण:–	
	बैंक खातों में दिनांक 31.3.2011 को जमा राशि	₹30412511.88
	(विवरण परिशिष्ट "घ")	
	(–) वह राशि जिनके चैक नगर परिषद द्वारा 31.3.2011 से पूर्व जारी किए गए किन्तु सम्बन्धित पार्टियों द्वारा चैक दिनांक 31.3.2011 तक नहीं भुनाए (स्टेंट बैंक आफ पटियाला खाता संख्या 123350)	(–) ₹1999259.00
		₹28413252.88
	(–) प्क्ठप् खाता संख्या 0019 से नगर परिषद कार्यालय द्वारा उन चैकों की राशि जो कि 31.3.2011 से पूर्व जारी तो किए गए किन्तु पार्टियों द्वारा दिनांक 31.3.2011 तक नहीं भुनाए गए	(–) ₹347233.00
		₹28066019.88
	(+) उन चैकों की राशि जो 31.3.2011 तक रोकड़ वही में तो प्रविष्टि हो रहे है किन्तु बैंक द्वारा इस राशि को 31.3.2011 के पश्चात क्रेडिट किया गया है।	
	आई0डी0बी0आई0 से सम्बन्धित खाता संख्या 0019 से सम्बन्धित ₹138730/– तथ इसी बैंक से सम्बन्धित खाता संख्या 9942 से ₹11920/–कुल राशि ₹150050/–	(+) 150050

		₹28216069.88
	(–) वह राशि जो ठेकेदारो से स्त्रोत पर आयकर के रूप में काटी गई किन्तु भुगतान हेतु इस राशि का बैंक से आहरण दिनांक 31.3.2011 के पश्चात किया गया	(–) ₹76006/–
		₹28140063.88
	(–) ठेकेदारो से बिक्रीकर के रूप में काटी गई राशि जिसका भुगतान हेतु बैंक से आहरण 31.3.2011 के पश्चात किया गया	(–)₹60088
		₹28073975.88
	(+) वह राशि जिस का निजि दुर्धटना बीमा के रूप में नगर परिषद कार्यालय द्वारा भुगतान तो किया गया है किन्तु सम्बन्धित कर्मचारियों से इस राशि की कटौती नहीं की गई	(+)210
		₹28074185.88
	(–) ठेकेदारों को देय वह राशि जिसकी रोकड़ वही में बुकिंग 31.3.2011 से पूर्व की गई किन्तु इस तिथि तक इस राशि का भुगतान ठेकेदारों को नहीं किया गया	(–)7991/–
		₹28066194.88
	(–) प्रतिभूति राशि के रूप में ठेकेदारों से काटी गई वह राशि जिसका भुगतान 31.3.2011 तक नहीं हुआ है	(–)₹710325.00
		₹27355869.88
	(–) वर्ष 2007–2009 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई बैंक खातों व रोकड़ वही के शेर्षों में भिन्नता	(–)879518.73
		₹26476351.15
	(+) पैन्शन की वह राशि जिसे बैंक ने दिनांक 31.3.2009 को डैबिट तो कर दिया है किन्तु यह राशि रोकड़ वही में प्रविष्टि नहीं हो रही	(+)175243.00
		₹26651594.15
	रोकड़ वही के अनुसार शेष	₹26649329.12
	बैंक खाते में अधिक राशि/भिन्नता	₹2265.03

अतःउपरोक्त ₹2265.03 की राशि का समाधान/मिलान करके वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) <u>निवेश</u> :–

नगर परिषद द्वारा दिनांक 31.3.2011 को निम्न विवरणानुसार ₹15891002/– की राशि का निवेश विभिन्न बैंकों में सावधि जमा में किया गया था:–

क्रमांक	निवेश खाता सं0	बैंक का विवरण	राशि	ब्याज दर	परिपक्वता की तिथि
1	18.8.2010 65090249515	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	₹6294384/–	4%	2.4.2011
2	26.5.2010 65084355872	–यथोपरि–	₹60,00,000/–	4%	2.4.2011
3	25.8.2010 65091109984	–यथोपरि–	₹10,96,618/–	4%	2.4.2011
4	16.8.2010 PS-1820	पंजाब नैशनल बैंक	₹25,00,000/–	4.5%	2.4.2011
		कुल योग	**₹1,58,91,002**		

अतः उपरोक्त निवेश पर अर्जित ब्याज की गणना की पुष्टि आगामी अंकेक्षण में करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

(घ) <u>बैंकों द्वारा निवेशों पर ₹156915/– ब्याज के रूप में कम वसूली</u> :–

नगर परिषद के उन निवेशों जो कि 1.4.2009 से 31.3.2011 के मध्य में परिपक्व हुए हैं, की ब्याज गणना की पुष्टि करने पर पाया गया कि यथा विस्तृत गणना परिशिष्ट "ङ" बैंकों द्वारा नगर परिषद को कृत निवेशों पर ₹156915/– कम ब्याज दिया गया है। अतः प्रदत कम ब्याज का प्रकरण सम्बन्धित बैंको से उठाते हुये उपरोक्त हुये उपरोक्त ₹156915/–की वसूली सुनिश्चित कर अनुपालना अंकेक्षण को दर्शाई जाये तथा भविष्य में ब्याज की गणना निवेश के

समय सुनिश्चित कर प्रकरण यथानुसार ही सम्बन्धित बैंक से उठाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(ङ) यूनियन बैंक आफ इण्डिया सोलन द्वारा सावधि जमा पर ₹4245/-का कम ब्याज दिया गयाः-

नगर परिषद सोलन द्वारा यूनियन बैंक आर्फ इण्डिया सोलन में दिनांक 28.3.2007 को ₹100000/-का निवेश सावधि जमा योजना संख्या 00073 में 9.5**%** ब्याज पर 2 वर्ष 9 माह की अवधि हेतु किया गया जिसकी परिपक्वता तिथि 29.12.2009 थी किन्तु नगर परिषद द्वारा परिपक्वता की यह राशि दिनांक 29.1.2010 को आहरित की गई जिस पर बैंक द्वारा ₹26448/-का ब्याज दिया गया जबकि निम्नविवरणानुसार ₹30470/-ब्याज प्राप्त होना वांन्छित था।

(i)	₹100000/- की राशि पर 2 वर्ष 9 माह का ब्याज दर 9.5**%** की दर से प्राप्त होने वाला ब्याज	₹29459.00
(ii)	₹129459/-की राशि पर 30 दिनों का ब्याज दर 9.5**%** पर ब्याज	₹1010.84
	कुल ब्याज	₹30470.00

अतः नगर परिषद को ₹4022/-का कम ब्याज प्राप्त हुआ। इसी प्रकार दिनांक 29.1.2010 को नगर परिषद द्वारा ₹126448/-एक वर्ष हेतु 6**%** ब्याज पर सावधि जमा में निवेश की गई जिसकी परिपक्वता तिथि 29.1.2011 थी। परन्तु नगर परिषद द्वारा दिनांक 29.1.2011 को सावधि जमा राशि प्राप्त न करके दिनांक 4.4.2011 को प्राप्त की गई। बैंक द्वारा सावधि जमा में निवेशित राशि पर दिनांक 29.1.2011 तक ₹8715/-ब्याज की राशि दी गई जबकि दिनांक 3.4.2011 तक ₹8938/-ब्याज देय था अर्थात परिषद की ₹223/-आय की हानि की गई।

ब्याज का ब्यौरा/विवरण

(i)	₹126448/- की राशि पर 6**%** ब्याज की दर से एक वर्ष का ब्याज (साधारण ब्याज)	₹7587.00

(ii)	एक वर्ष से अधिक अवधि अर्थात 30.1.2011 से 4.4.2011 (65 दिनों का ब्याज)	₹1351.00
	कुल योग	₹8938.00

अतः उपरोक्त विवरणानुसार ₹4245/–(₹4022+223) की ब्याज राशि की वसूली सम्बन्धित बैंक से करके शीध्र–अतिशीध्र नगर परिषद खाते में जमा कर अंकेक्षण को अवगत करवाये।

(च) नगर परिषद के बचत खाता संख्या 5508012766 में आवश्यकता से अधिक राशि जमा होने के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले ₹159452/–के ब्याज की हानिः–

नगर परिषद सोलन के बचत खाता संख्या 55080127661 के अवलोकन से पाया गया कि दिनांक 1.4.2009 को उक्त खाते में ₹10870391.48 जमा थी जिसमें से नगर परिषद द्वारा ₹10000000/– का निवेश दिनांक 8.7.2009 को सावधि जमा में किया गया। इस प्राकर नगर परिषद को अवधि 1.4.2009 से 7.7.2009 तक सावधि जमा में ₹10000000/–की राशि पर प्राप्त होने वाले ब्याज की आय से वंचित होना पड़ा। सम्बन्धित अवधि में विभिन्न बैंकों द्वारा 9.5**%** का ब्याज एक वर्ष तक की सावधि जमाओं पर दिया जा रहा था जैसा कि सावधि जमा पंजिका में किये/दर्शाये गये अन्य निवेशों के अवलोकन से स्पष्ट होता है। अतः इस प्रकार निम्न गणनानुसार नगर परिषद को लगभग ₹159452/– की हानि वहन करनी पड़ी हैः–

निवेशित राशि	अवधि 1.4.2009 से 7.7.2009 (3 माह 7 दिन)	निवेशित राशि यदि ब्याज दर 9.5**%** हो सावधि जमा	बचत खाते पर प्राप्त ब्याज 3.5**%**	अन्तर (₹)
10000000	97 दिन	252466	93014	159452

अतः भविष्य में आवश्यकतानुसार ही राशि बचत खाते कम से कम रखी जानी व शेष आधिक्य राशि सावधि जमा में निवेश की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि नगर परिषद को ब्याज के रूप में अधिक से अधिक आय सुनिश्चित की जा सके।

(छ) नगर परिषद द्वारा विभिन्न बैंकों में किये गये सावधि जमा निवेशों पर चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त न होने के कारण ₹42418/–की वित्तीय हानिः–

वित्तीय वर्ष 2009–10 व 2010–11 में नगर परिषद द्वारा भविष्य निधि सावधि जमा में किये गये निवेशों के अवलोकन से पाया गया कि नगर परिषद द्वारा सावधि जमा पर चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त न करके प्रत्येक तिमाही बार साधारण ब्याज प्राप्त किया जा रहा है जो कि प्रत्येक तिमाही के समाप्त होने पर बचत खाते में स्थानान्तरित / क्रेडिट किया जा रहा है। चूंकि बचत खातों पर प्राप्त होने वाले ब्याज की प्रतिशतता सावधि जमा पर प्राप्त होने वाले ब्याज से बहुत ही कम होती है अतः नगर परिषद को सावधि जमा से प्राप्त होने वाले ब्याज को पुनः सावधि जमा में निवेश करने से प्राप्त होने वाले ब्याज की वित्तीय हानि वहन करनी पड़ रही है जैसा कि निम्न प्रकरणों से स्पष्ट होता हैः–

(1) वर्ष 2009–10 में नगर परिषद द्वारा भविष्य निधि सावधि जमा में लगभग ₹9575000 / –का निवेश किया गया जिसमें से मात्र ₹2700000 / –पर ब्याज को परिपक्वता तिथि (डंजनतपजल कंजम) पर प्राप्त किया गया तथा शेष राशि ₹6875000 / – पर ब्याज प्रत्येक तिमाही में नगर परिषद के बचत खाते में स्थानान्तरित किया गया जिस पर यदि 9**%** चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त किया जाता और सावधि जमा की परिपक्वता तिथि को ब्याज प्राप्त किया जाता तो परिषद को ₹639948 / –का ब्याज प्राप्त होता और इसी राशि पर इसी ब्याज दर से परिषद को प्रत्येक तिमाही बचत खाते में ब्याज प्राप्त करके ₹618750 / –का ब्याज प्राप्त हो रहा है। अतः परिषद को ₹21198 / – की हानि हुई है।

(2) वर्ष 2010–11 में भी ₹12800000 / – की कुल सावधि जमा (भविष्य निधि) में से ₹6882000 / –की राशि पर ब्याज परिपक्वता तिथि का प्राप्त न करके परिषद को 9**%** ब्याज दर पर ही ₹21220 / –की वित्तीय हानी हुई है। अतः भविष्य मे ंसावधि जमा पर ब्याज को सावधि जमा की परिपक्वता तिथि को ही बचत खातों में स्थानान्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि अधिक से अधिक ब्याज की आय प्राप्त हो सके।

5 <u>अनुदान</u> :–

(क) अंकेक्षण अवधि में नगर परिषद को विभिन्न स्त्रोतों से ₹75107200 / –का अनुदान प्राप्त हुआ था जैसे कि कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई

यथा परिशिष्ट "च" सूचनाओं से विदित होता है। अनुदान राशियों के लेखों की जांच करने पर निम्नलिखित अनियमितताऐं पाई गईः–'

(1) ₹5339203/–की राशि के अनुदानों का उपयोग न करनाः–

अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदानों की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त राशि में से ₹5339203/–की राशि अनुपयुक्त पड़ी थी जबकि अनुदानों से सम्बन्धित स्वीकृति पत्रों के अनुसार यह राशियॉ आमतौर पर एक अथवा दो वर्षों के भीतर उपयोग की जानी अपेक्षित होती है। अतः अनुपयुक्त इन अनुदान राशियों को या तो उन्ही स्त्रोतों को जहॉ से यह प्राप्त हुई है, लौटाया जाना अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करते हुए उन्ही उद्देश्यों जिन हेतु यह राशियॉ पग्राप्त हुई है, व्यय कियाजाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना अंकेक्षण को दर्शाई जाए।

(2) सम्बन्धित संस्थाओं को उपयोगिता प्रमाण पत्र अग्रेषित न करनाः–

प्राप्त अनुदान राशियों के लेखों की जांच करने पर यह भी पाया गया कि नगर परिषद कार्यालय द्वारा उन सभी अनुदान राशियों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाओं को प्रेषित नहीं किए है, जिनका व्यय नगर परिषद कार्यालय द्वारा कर लिया गया है। अतः परिशिष्ट "च" के अन्तिम स्तम्भ (त्मउंतो) में शेष दर्शाई गई राशियों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाओं/कार्यालयों को अग्रेषित किए जाने सुनिश्चित किए जाऐं व अनुपालना अंकेक्षण को दर्शाई जाए।

(ख) अंकेक्षण अवधि प्रारम्भ अर्थात 1.4.2009 से पूर्व प्राप्त अनुदानों में से अंकेक्षण अवधि में व्यय किए गए अनुदानों व इसमें से अनुपयुक्त राशियों का विवरण यथा परिशिष्ट "छ" है। इनल`खों की जांच करने पर निम्नलिखित अनियमितताऐं पाई गईः–

(1) ₹19708543/– का उपयोग न करनाः–

कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद सोलन द्वारा यथा परिशिष्ट "छ" पर सूचनाओं के अनुसार 1.4.2009 से पूर्व प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹19708543/– की चार अनुदान राशियॉ अंकेक्षण अवधि तक अनुपयुक्त ही पड़ी थी जबकि यह राशियॉ क्रमशः वर्ष 2004, 2007, 2007 तथा 2008 में प्राप्त हुई थी। अतः इन राशियों के इतने लम्बे समय से अनुपयुक्त पड़े रहने के ठोस

कारणों से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त या तो इन राशियों को सम्बन्धित संस्थाओं/कार्यालयों को वापिस लौटाया जाए अन्यथा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करते हुए इन अनुदानों में संलिप्त राशियों को उन्ही उद्देश्यों, जिन हेतु इन्हें प्राप्त किया गयाथा, पर यथाशीध्र व्यय किया जाना सुनिश्चित कर अनुपालना से इस विभाग की अवगत करवाया जाए।

(2) व्यय की गई राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण को प्रस्तुत न करनाः–

नगर परिषद कार्यालय द्वारा 1.4.2009 से पूर्व प्राप्त उन अनुदानों जिनका व्यय अंकेक्षण अवधि के दौरान किया गया है से सम्बन्धित समस्त उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किए गए जैसा कि परिशिष्ट "छ" पर उपलब्ध करवाई गई विवरणिका के अन्तिम स्तम्भ (Remarks) में अंकित अभियुक्तियों से भी स्पष्ट होता है। अतः अंकेक्षण को उक्त उपलब्ध न करवाए गए समस्त उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में उपलब्ध करवाए जाने सुनिश्चित किए जाए।

6 आय :–

(क) गृहकर अधिरोपित न करने के कारण नगर परिषद को ₹65992891/–की वित्तीय हानिः–

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एल0एस0जी0डी0(1)/9/94 दिनांक 28.8.1997 की अनुसूची क्रमांक–2 द्वारा नगर परिषद परिक्षेत्र सोलन में दिनांक 1.9.1997 से 10% वार्षिक भारक मूल्य पर गृहकर अधिरोपित करने निदेशक शहरी विकास हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या ULB-H©(9)2/91-II दिनांक 20.4.1998 तथा ULB-H©(9)-1 दिनांक 6.11. 1999 द्वारा हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 271 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये गृहकर की वसूली का परामर्श देने तथा इसके पश्चात भी निदेशक शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या UD&H©(10)-10/97 दिनांक 4.12.1999 द्वारा प्रदेश की समस्त नगर परिषदों/नगर पंचायतों के कार्यकारी अधिकारियों/सचिवों को राज्य वित आयोग की सिफारिशों व उनके कार्यान्वयन की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुये गृहकर की वसूली सुनिश्चित करने हेतु कहे जाने के बावजूद भी नगर परिषद गृहकर अधिरोपण के प्रति वास्तव में गम्भीर नहीं है।

अंकेक्षण द्वारा यह मुद्दा अंकेक्षण अवधि 4/2002 से 3/2007 के पैरा संख्या 4 (घ) तथा अंकेक्षण अवधि 4/2007 से 3/2009 द्वारा पैरों संख्या 4 (ख) द्वारा भी प्रकाश में लाया

गया था परन्तु इस मामले पर कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। अवधि 3/2009 तक गृहकर अधिरोपित न करने के कारण नगर परिषद को लगभग ₹43931375/—की वित्तीय हानि का आंकलन किया गया था जो कि अवधि 3/2011 तक बढ़कर ₹65992891/—से अधिक आंका गया है जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट "ज" पर संलग्न है। अतः गृहकर की वसूली हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(ख) मलवहनकर (conserrancy Tax) की ₹10471383/—की शेष वसूली:—

मलवहन कर से प्राप्त होने वाली आय की जांच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा मलवहन कर की वसूली पूर्ण रूप से नहीं की जा रही है तथा दिनांक 31.3.2011 को ₹10471383/—की राशि की प्राप्त राशि की वसूली शेष थी जैसा कि संलग्न परिशिष्ट "झ" से भी स्पष्ट होता है। अतः बकाया राशि की वसूली हेतु नगरपालिका अधिनियम 1994 के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही कर शीध्र—अतिशीध्र शेष राशि की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाये।

(ग) सिंचाइ एवंज न स्वास्थ्य विभाग को ₹200524906/—की राशि का पानी बिलों का शेष भुगतान :—

नगर परिषद सोलन के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा दिनांक 31.3.2011 तक सिंचाई एवंज न स्वास्थ्य विभाग को ₹207066901.00 अश्वनी खडड ₹145276067/—तथा गिरी नदी, ₹61790834/—राशि का भुगतान शेष था जैसा कि अधिशासी अभियन्ता सिंचाई एवंज न स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनके पत्र संख्या प्च्भ्;क्द्धैस्छध्।ठ.डᱏ ैवसंद.त्म्टम्छन्म्ध्2010.1141.45 दिनांक 25.4.2011 यथा परिशिष्ट "झ झ" द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद सोलन को सूचित किया गया है। दिनांक 31.12.2011 तक नगर परिषद द्वारा निम्न वर्णित राशि ₹6541995/—का भुगतान सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग को किया गया तथा दिनांक 31.12.2011 को शेष बकाया राशि घटकर ₹200524906/—रह गई है। अतः बकाया राशि का शीध्र अतिशीध्र भुगतान कियाजाना सुनिश्चित किया जाये तथा वस्तुस्थिति से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए ताकि इस सन्दर्भ में दण्ड ब्याज के रूप में नगर परिषद को हानि न उठानी पड़े। दिनांक 1.4.2011 से 31.12.2011 के दौरान किये गये पानी बिलों के भुगतान का विवरण इस प्रकार है:—

क्र0सं0	चैक संख्या/ड्राफ्ट संख्या	दिनांक	भुगतान राशि
1	चैक संख्या 019776	3.5.2011	1500000
2	चैक संख्या 019778	5.9.2011	2500000
3	चैक संख्या 033400 (समायोजन हेतु)	26.8.2011	2541995
		कुल राशि	₹6541995

(घ) स्ट्रीट लाईट व्यय ₹4910440/–का शेष भुगतानः–

अंकेक्षण प्रतिवेदन 2007–2009 के पैरा संख्या 6 (ख) के अनुसार नगर परिषद द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को ₹8196041.00 के स्ट्रीट लाईट बिलां का भुगतान किया जाना शेष था, जो कि दिनांक 31.10.2011 को ₹4910440/–शेष रह गई है जैसा कि अधिशासी अभियन्ता, राज्य विद्युत बोर्ड के पत्र संख्या ै.1ध्ै.1ध2011.12.1109.10 दिनांक 3.11. 2011 (परिशिष्ट "भ") द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद सोलन को सूचित किया गया है, चूंकि विद्युत बिलों की बकाया राशि में दण्ड प्रभार की राशि भी शामिल है। अतः विद्युत बिलों का समय पर भुगतान न करने हेतु सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित अपेक्षित है।

(ङ) मोहन मिकिन लिमिटेड ब्रूरी से ₹3072710/–की सफाई शुल्क की बकाया राशि वसूली हेतु शेषः–

नगर परिषद सोलन को मोहन मिकिन लिमिटेड, ब्रूरी से सफाई शुल्क के रूप में प्राप्त होने वाली बकाया राशि में वृद्धि होकर दिनांक 31.3.2011 को ₹3072710/–हो चुकी है जो कि दिनांक 31.3.2007 को मात्र ₹2327230/–थी, जैसा कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4. 2007 से 31.3.2009 के पैरा संख्या 4 (ग) में दर्शाया गया था जिस पर नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अतः अपेक्षित कार्यवाही अतिशीध्र करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(च) स्टलों/दुकानों से प्राप्त होने वाले मासिक किराये की ₹612220/–की वसूली शेषः–

नगर परिषद द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर व्यवसायियों/कारोबारियों को प्रदान किये गये स्टालों/दुकानों से प्राप्त होने वाले मासिक किराये की राशि नियमित रूप से प्राप्त नहीं कि जा रही है जिस कारण बकाया वसूली की राशि दिनांक 31.3.2011 को ₹6122201/–हो गइ्र हैजैसा कि परिशिष्ट "ट" पर संलग्न विवरण से स्पष्ट होता है। अतः बकाया राशि की वसूली हेतु शीध्र अतिशीध्र नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाये।

(छ) <u>पानी बिलों की ₹1838015.75 की शेष वसूली</u> :–

नगर परिषद सोलन को वित्त वर्ष 2009–10 व 2010–2011 के दौरान पीने के पानी की अपूर्ति से प्राप्त आय की जॉच के दौरान पाया गया कि नगर परिषद को पानी के बहुत से उपभोक्ताओं द्वारा पानी के बिलों का भुगतान नहीं किया जा रहा हे जैसा कि परिशिष्ट"ठ" पर संलग्न सूची के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 31.3.2011 तक विभिन्न उप–भोक्ताओं से ₹1838015.75 की राशि वसूली हेतु शेष है तथा नगर परिषदों द्वारा बकाया राशि की वसूली हेतु कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है जिस कारण नगर परिषद द्वारा सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग को पानी के बिलों की बकाया देय राशि में वर्ष प्रतिवर्ष वृद्धि होती जा रही है।

अतः शेष बकाया राशि की वसूली हेतु हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 87 व 89 के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों के अनुसार बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित की जाये तथा वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये।

(ज) <u>कुत्ता शुल्क (Dog Tax)</u> की ₹42950/–की शेष वसूलीः–

कुत्ता शुल्क पंजिका के अवलोकन से पाया गया कि नगर परिषद द्वारा पंजीकृत कुत्तों को टोकन संख्या आंबटित की जा रही है और मार्च 2010 तक नगर परिषद द्वारा 440 टोकन व मार्च 2011 तक 470 टोकन आंबटित किये जा चुके थे जबकि इन आंबटित टोकनों के विरूद्ध कुत्ता शुल्क के रूप में क्रमशः वर्ष 2009–10 में 22 प्रकरणों में ₹1100/–की तथा वर्ष 2010–11 में 29 प्रकरणों में मात्र ₹1450/–की ही वसूली की गई। इस प्रकार कुत्ता शुल्क के रूप में निम्नविवरणानुसार ₹42950/–की वसूली की जानी अपेक्षित हैः–

वर्ष	पंजीकृत कुत्तों की सं0	कुत्तों की सं0 जिनसे शुल्क	कुत्तों की सं0 जिनसे शुल्क	शुल्क दर प्रति कुत्ता	शेष वसूली

		प्राप्त किया गया	प्राप्त नहीं किया		
2009—10	440	22	418	50	20900
2010—11	470	29	441	50	22050
				कुल योग	₹42950

अतः उपरोक्त वसूली यथाशीघ्र सुनिश्चित करने के अतिरिक्त भविष्य में अपेक्षित वसूली समय रहते की जानी सुनिश्चित कर अनुपालना अंकेक्षण को दर्शाई जाये।

(झ) रैन बसेरा भवन से प्राप्त आयः—

सोलन, नगर परिषद द्वारा वर्ष 2007—2008 में निर्मित रैन बसेरा भवन की आय की जांच करने पर पाया गया कि वर्ष 2008—09 से वर्ष 2010—11 तक के तीन वर्षों में निम्न विवरणानुसार ₹18500 / —की राशि की आय की प्राप्ति हुई है जबकि इसी अवधि में रैन बसेरा भवन की मुरम्मत तथा रख—रखाव पर ₹207268 / —का व्यय किया गया है। निदेशक शहरी विकास हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या न्क.छैक्ध्म्प्ै.भ्;थ्द्ध;1द्ध.1ध02.1ग.7593.7641 दिनांक 30.6. 2008 के अनुसार रैन बसेरा भवन के वचमतंजपअंस बींतहमेए डंपदजमदंदबम बेंतहमे —नचाममच का पूर्ण व्यय सम्बन्धित स्थानीय निकाय द्वारा कियाजाना अपेक्षित है।

निदेशक शहरी विकास हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या न्क.छैक्ध्म्प्ै.भ्;थ्द्ध;1द्ध.1ध02. पगध7593ध7641 दिनांक 30.6.2008 के अनुसार रेन बसेरा भवन का 60**%** भाग नगर परिषद द्वारा दुकानों, गोदामों तथा शासकीय व व्यापारिक प्रयोग हेतु स्थानीय बाजार दरो पर किराये पर दिया जा सकता है जिससे की रेन बसेरा भवन के वचमतंजपदं, उंपदजमदंदबम बींतहमे—नचाममच बेंतहमे की भरपाई हो सके तथा रेन बसेरा भवन को आत्मनिर्भर बनाया जा सके परन्तु नगर परिषद को रेन बसेरा भवन के निर्माण से वर्ष 2010—11 की आय के अवलोकन से प्रतीत होता है कि नगर परिषद को रेन बसेरा भवन से शून्य के बराबर अर्थात नमण्य आय की प्राप्ति हुई है तथा नगर परिषद द्वारा रैन बसेरा भवन को अत्म निर्भर बनाने हेतु कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा है जोकि एक बहुत ही गम्भीर मामला है। अतः इस बारे आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाये तथा अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। नगर परिषद को वर्ष 2008—09 से वर्ष 2010—11 तक प्राप्त आय—व्यय का विवरण निम्नानुसार हैः—

वर्ष	आय	व्यय
2008—09	6000	22145
2009—10	8500	185123
2010—11	4000	Nil

(ञ) <u>ठोडो ग्राऊड से उपयोग प्रभार (usage charges) ₹4850/—की कम वसूली</u>:—

(i) सोलन जिला क्रिकेट संघ द्वारा दिनांक 28.3.2010 से 18.4.2010 तक ग्राऊंड में खेलने की अनुमति हेतु आग्रह दैनिकी संख्या 1037 दिनांक 15.03.2010 द्वारा कियागया जबकि वास्तव में उक्त प्रतियोगिता दिनांक 29.3.2010 से 14.4.2010 तक ही आयोजित की गई जैसा कि अंकेक्षण को चर्चा में बताया गया। नगर परिषद द्वारा ऐसे आयोजनों हेतु ठोडो ग्राऊंड का उपयोग प्रभार दिनांक 30.5.2003 की बैठक में प्रस्ताव संख्या 331/2003 द्वारा निम्नानुसार निर्धारित कियागया हैः—

ठोडो ग्राऊंड का उपयोग प्रभार प्रतिदिन	₹200
विद्युत शुल्क प्रतिदिन	₹50
कुल योग प्रतिदिन	₹250

अतः इस प्रकार इस प्रकरण में उक्त संघ द्वारा 17 दिनों में ₹250/—प्रतिदिन के हिसाब से ₹4250/—देय था किन्तु खेल संघ द्वारा मात्र ₹1000/—का ही भुगतान चैक संख्या 20743 दिनांक 18.3.2010 द्वारा नगर परिषद को कियागया जिस कारण इस प्रकरण में ₹4250—1000=₹3250/—का कम भुगतान किया गया है जिसे शीध्र—अतिशीध्र खेल संघ से वसूल कर नगर परिषद के खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(ii) दिनांक 30.5.2003 को नगर परिषद सोलन द्वारा प्रस्ताव संख्या 332/2003 द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया कि यदि कोई सामाजित संस्था ठोडो ग्राऊंड को किसी उद्देश्य से आरक्षित करवाती है तो उन संस्थाओं से बिजली—पानी, सफाई व्यवस्था एव अन्य रख—रखाव हेतु ₹1000/—प्रतिदिन के हिसाब से मैदान शुलक वसूल किया जायेगा किन्तु नगर परिषद द्वारा श्रीश्री रविशंकर जी को दिनांक 10.3.2011 व 11.03.2011 को आर्ट ऑ लिविंग के शिविर के आयोजन हेतु ₹200/—प्रतिदिन के हिसाब से मैदान को प्रयोग करने की अनुमति प्रदान की गई तथा ग्राऊंड से उपयोग प्रभार के रूप में ₹2000/—के स्थान पर मात्र

₹400/–की ही वसूली की गई जैसा कि रसीद संख्या 124/64 दिनांक 14.10.2010 के अवलोकन से विदित होता है। अतः इस प्रकरण में सम्बन्धित पक्ष से ₹1600/–की वसूली कम की गई है।

अतः उपरोक्त दोनों प्रकरणों में क्रमशः ₹3250/–तथा ₹1600/–कुल योग ₹4850/–की अपेक्षित वसूली सम्बन्धित पक्षों से सुनिश्चित कर अनुपालना अंकेक्षण को दर्शाई जाये।

(ट) मोबाईल टावरों से ₹110000/–की शेष वसूली :–

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में मोबाईल कम्यूनिकेशन के बढ़ते नेटवर्क को देखते हुये वर्ष 2006 में पत्र संख्या क्ण्ज्ण्क्ण्ट.;प्ज्द्व2005;डपेबद्ध कजण 22.8.2006 द्वारा मोबाईल कम्यूनिकेशन टावर स्थापित करने की नीति बनाई गई जिसमें विभिन्न निजि भवनों, निजि भूमि व व्यापारिक संस्थानों पर मोबाईल टावर स्थापित करने की शर्तों व नियमों के अतिरिक्त सम्बन्धित नगर परिषद व निकाय आदि को प्राप्त आय की दरें थी निर्धारित की गई है जिसके अनुसार नगर परिषद परिक्षेत्र में मोबाईल टावर स्थापित करने पर ₹10000/–का स्थापना (प्देजंसंजपवद) शुल्क व्यय तथा तदोपरान्त प्रतिवर्ष ₹5000/–का वार्षिक नवीनीकरण शुल्क नगर परिषद को प्राप्त होना वांन्छित/अपेक्षित है। उपरोक्त निर्धारित शुल्कों को प्रतयेक पॉच वर्ष के पश्चात 25**%** बढ़ाये जाने का भी प्रावधान है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक मोबाईल ऐन्टीना जिसे मुख्य मोबाईल टावर से जोड़ा गया हो से भी नगर परिषद को मुख्य टावर शुल्क के 60**%** का अतिरिक्त शुल्क प्राप्त होना वांन्छित है।

नगर परिष के वर्ष 2009–10 व 2010–11 के मोबाईल टावर रजिस्टर के अवलोकन से प्रतीत होता है कि नगर परिषद द्वारा उपरोक्त अवधि के दौरान मात्र 36 मोबाईल टावरों का ही पंजीकरण किया गया है जो संख्या नगर परिषद परिक्षेत्र में मोबाईल टावरों/अतिरिक्त ऐन्टीनों की संख्या को देखते हुये बहुत ही कम प्रतीत होती है। नगर परिषद को 326 माबाईल टावरों से भी परिशिष्ट "ड" पर नगर परिषद के अभिलेख पर तैयार की गई सूची अनुसार ₹110000/–की वसूली शेष है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि नगर परिषद न तो पंजीकृत मोबाईल टावरों से प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाले शुल्क की वसूली बारे गम्भीर है और न ही नगर परिषद परिखेत्र में अवैध रूप से स्थापित असंख्य मोबाईल टावरों व अतिरिक्त इन्टीनों के

पंजीकरण व निर्धारित शुल्क को प्राप्त करने बारे गम्भीर है जिस कारण नगर परिषद को प्रतिवर्ष लाखों रूपये की वित्तीय हानि वहन करनी पड़ रही है।

(ठ) कामकाजी महिला आवास से प्राप्त आय ₹81381/–की शेष वसूली :–

उप निदेशक सामाजिक महिला एवं अनुसूचित जाति कल्याण हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या 5–9/75–ूण्मणॅ दिनांक 3.4.2003 के अनुसार कामकाजी महिला आवास में सिंगल बैड हेतु कामकाजी महिला से उसके कुल म्उवसनउमदजे का बतौर आवास शुल्क प्रापत किया जाना अपेक्षित है परन्तु कामकाजी महिलाओं द्वारा प्रस्तुत म्उवसनउमदजे सम्बन्धी प्रमाण पत्र बहुत ही कम राशि के प्रस्तुत किये गये है जिस कारण कामकाजी महिला आवास में रह रही महिलाओं से नगर परिषद को बहुत ही कम आवास किराया प्राप्त हो रहा है और कामकाजी महिलाओं द्वारा प्रस्तुत नियोक्ता प्रमाण पत्र उचित व सही प्रतीत नहीं होती है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी ₹120/–प्रतिदिन निर्धारित की गई है तथा ₹120/–प्रतिदिन के हिसाब से 30 दिनों का वेतन ₹3660/–बनता है तथा न्यूनतम वेतन पर आवास किराया ₹549/–बनता है जो कि सभी महिला आवासियों से वसूल किया जाना सुनिश्चित किया जाये। वही हुई दरो पर आवास किराया अंकेक्षण अवधि 1.4.2009 से 31.3.2011 तक वसूली कर अंकेक्षण के समस्त प्रस्तुत करें।

1.4.2009 से 31.3.2011 तक कामकाजी महिला आवास से प्राप्त किराया व शेष वसूली का विवरण:–

क्र0 सं0	कामकाजी महिला आवास में रह रही महिला का नाम	अवधि	वसूला जा रहा किराया प्रति माह	न्यूनतम किराया प्रति माह 3660X15/100	अन्तर	माह सं0	कुल योग
1	मोनिका	1.4.09 से 31.3.10	483	549	66	12	792
2	कल्पना	1.4.09 से 31.3.10 1.4.10 से 31.3.11	150 300	549 549	399 249	12 12	4788 2988
3	राजेश्वरी	1.4.09 से 31.3.10	225	549	324	12	3888

		1.4.10 से 31.3.11	270	549	279	12	3348
4	शीतल	1.4.09 से 28.2.11 1.3.11 से 31.3.11	150 180	549 549	399 369	23 1	9177 369
5	किरण	1.4.09 से 28.2.11	180	549	369	23	8487
6	निशा (I)	1.4.09 से 31.3.10 1.4.10 से 31.3.11	225 270	549 549	324 279	12 12	3888 3348
7	निशा (II)	1.4.09 से 31.3.10 1.4.10 से 31.3.11	338 240	549 549	211 309	12 12	2532 3708
8	निवेदिता	1.4.09 से 31.3.10 1.4.10 से 31.3.11	150 270	549 549	399 279	12 12	4788 3348
9	वीना	1.4.09 से 31.3.10 1.4.10 से 31.3.11	105 150	549 549	444 399	12 12	5328 4788
10	अन्जू	1.4.9 से 30.11.9 1.12.09 से 28.2.10 1.3.10 से 31.3.11	120 132 270	549 549 549	429 417 279	8 3 13	3432 1251 3627
11	राजेश्वरी	1.4.09 से 31.3.10 1.4.10 से 31.3.11	225 270	549 549	324 279	12 12	3888 3348
							81381

उपरोक्त के अतिरिक्त महिला आवास की अन्य आवासियों से भी इसी आधार पर बकाया किराया वसूली की गणना करके नगर परिषद के खाते में जमा करवाकर वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये।

(ङ) कामकाजी महिला आवास में रह रही महिलाओं/चौकीदार से बिजली प्रभार ₹190323/—की कम वसूली :—

नगर परिषद सोलन के कामकाजी महिला आवास क`लेखों की जांच करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा कामकाजी महिला आवास में रह रही महिलाओं से बिजली बिलों की वास्तविक राशि की वसूली न करने के फलस्वरू ₹190323/—का भुगतान नगर परिषद

कोष से किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है। बिजली बिलों की वसूली का मामला वर्ष 2007—08 व 2008—09 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 4 (ढ) (2) तथा इससे विगत के अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी उजागर किया गया था जिस पर वांन्छित कार्यवाही अपेक्षित हैः—

महिला आवास से कम वसूल की गई राशि का विवरण

अवधि	अदा किये गये बिजली बिलो की राशि	वसूल की गई राशि	कम वसूल की गई राशि
1.4.1999 से 31.3.2000	78136.50	13950.00	64186.50
1.4.2000 से 31.3.2001	88890.50	21750.00	67140.50
1.4.2001 से 31.3.2002	43781.00	19650.00	24131.00
1.4.2007 से 31.3.2009	75753.00	46014.00	29739.00
1.4.2009 से 31.3.2011	60535.00	55408.00	5127.00
		कुल योग	₹190323.00

उपरोक्त अवधि में से अवधि 1.4.2009 से 31.3.2011 तक ₹5127/—की कामकाजी महिला आवास के चौकीदार आवास के चौकीदार से की जानी वांन्छित है चूंकि इस अवधि में चौकीदार के अतिरिकत अन्य सभी कामकाजी महिलाओं से आनुपातिक आधार पर बिजली बिलों की वसूली की गई है अंकेक्षण अवधि 1.4.2009 से पूर्व की वसूली सभी कामकाजी महिलाओं एवं चौकीदार से आनुपातिक आधार पर करके अंकेक्षण को सत्यापनार्थ प्रस्तुत करें।

(ढ) ₹17948/—की शेष वसूलीः—

अंकेक्षण प्रतिवेदन 2007—08, 2008—09 के पैसा संख्या 4 (ढ) (1) द्वारा कामकाजी महिला आवास में रह रही कुमारी मोनिका से ₹16425/—की वसूली अपेक्षित है जिसमें से अंकेक्षण अवधि की समप्ति तक कुमारी मोनिका से कोई भी राशि वसूल नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त कुमारी मोनिका द्वारा माह 5/2011 में आवास को छोड़ने हेतु आवेदन दिया गया परन्तु 4/2011 का आवास का किराया ₹1363/—तथा बिजली पानी शुल्क ₹160/—न0प0 को अदा नहीं किये गये। अतः कुमारी मोनिका से उक्त कुल ₹17948/—की वसूल की जानी सुनिश्चित की जाये।

(ण) विज्ञापन शुल्क की ₹58060/–की वसूली योग्य शेष राशिः–

नगर परिषद, सोलन के वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 के विज्ञापन शुल्क की जांच के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा Award leeter No. MC/work/2010-971-72 दिनांक 9. 3.2010 के द्वारा नगर परिषद परिक्षेत्र में 3/2010 से पांच वर्षों की अवधि हेतु शहर के विभिन्न स्थानों पर निम्न विज्ञापन की दरें अधिकतम कोटेशन के आधार पर मै0 नवर्निमाण मीडिया पब्लिसिटी एस0जी0ओ0–193, सेकिण्ड फ्लोर, सेक्टर–16, पंचकुला, हरियाणा को दी गई।

विज्ञापन दरों का विवरण

क्र0सं0	विवरण	मूल्य
1	यूनीपोल्स पर स्थापित किये जाने वाले विज्ञापन	800/–प्रति वर्ष
2	बिजली खम्बों की दरें	725/–प्रति वर्ष
3	वर्षा शालिका की दरें	1550/–प्रति वर्ष
4	शहर के मुख्य स्वागत द्वार	1030/– प्रति वर्ष
5	निजि सम्पत्तियों पर लगाये जाने वाले इश्तहार (Hoardings on Pvt. Properties)	360/–प्रति वर्ग मी0 प्रति वर्ष

किन्तु कोटेशने आमन्त्रित करते हुये यह स्पष्ट किया गया कि नगर परिषद द्वारा कितने यूनिपोल्स, बिजली खम्बो, वर्षा शालिका व निजि सम्पत्तियों की संख्या को चिन्हित किया गया है जिन पर विज्ञापन लगाया जाना है जिसकी अनुपस्थिति में विज्ञापन से प्राप्त होने वाली आय की जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती है।

जबकि मै0 नवनिर्माण को जारी Award letter की शर्त संख्या I में यह स्पष्ट किया गया है कि विज्ञापन सभी बिजली के खम्बों, 20 यूनिपोल्स तथा दो मुख्य स्वागत द्वारों पर लगाया जायेगा, इस प्रकार यदि इन्ही दर्शाये गये विज्ञापन स्थलों से प्राप्त होन वाली आय की गणना की जाये तो निम्नानुसार नगर परिषद को ₹162062/–की आय प्राप्त होना अपेक्षित हैः–

(i)	20 यूनिपोल्स @8000/–प्रति वर्ष	₹160000
(ii)	2 स्वागत द्वार @1030/–प्रति वर्ष	₹2060

		₹162060

जबकि मै0 नवनिर्माण मीडिया द्वारा वर्ष 2010–11 से मात्र ₹104000/–की राशि ही नगर परिषद द्वारा प्राप्त की गई जिस कारण ₹58060/–की राशि वसूली योग्य शेष है। अतः अन्य सभी विज्ञापन स्थलों की सही संख्या को दर्शाते हुये शेष राशि की शीध्र अतिशीध्र वसूली सुनिश्चित की जाये तथा भविष्य में कोटेशने/निविदा आमन्त्रित करते समय विज्ञापन स्थलों का पूर्व में सर्वेक्षण करने के उपरान्त ही निविदायें आमन्त्रित की जाये तथा निविदाओं आमन्त्रित करते समय दर्शाये गये सभी विज्ञापन स्थलों से पूर्ण आय की वसूली सुनिश्चित की जाये। इसके अतिरिक्त मै0 नवनिर्माण से शेष ₹58060/–राशि की वसूली कर अंकेक्षण को अवगत करवाये।

(त) जलाने वाले लकड़ी के स्टॉक में ₹36920/–की कीमत 92.30 क्विंटल लकड़ी की कमी :–

नगर परिषद सोलन के वर्ष 2009–10 व 2010–11 के श्मशान घाट, चम्बाघाट की लकड़ी के स्टॉक की जांच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार 92.30 क्विंटल जलाने की लकड़ी को स्टॉक रजिस्टर में कम दर्शाया गया है:–

क्र0सं0	दिनांक	ईंधन (Fuel wood) पंजिका पृष्ठ सं0	अन्तिम शेष जो दर्शाया गया था	अन्तिम शेष जो होना चाहिए था	अन्तर (क्विंटल)
1	13.10.2009	89	1000.89	1088.89	88.00
2	5.4.2010	97	1017.89	1019.89	2.00
3	2.2.2010	95	980.29	982.59	2.30
			2999.07	3091.37	92.30

उपरोक्त 92.30 क्विंटल लकड़ी को सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा अंकेक्षण के सुझावापरान्त माह 01/2012 में स्टॉक में ले लिया गया है जिसकी पुष्टि हेतु लकड़ी के भौतिक सत्यापन

के लिए नगर परिषद द्वारा समिति का गठन किया जाये लकड़ी के भण्डार की प्रविष्टियां सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाई जाए अन्यथा ₹400/—प्रति क्विंटल के दर से सम्बन्धित कर्मचारी से 92.30 क्विंटल अर्थात 92.30X400=₹36920/—की वसूली कर नगर परिषद कोष में जमा कर अंकेक्षण को अनुपालना दर्शाई जाए।

(थ) <u>शराब शुल्क</u> :—

नगर परिषद द्वारा प्राप्त शराब शुल्क के लेखों में निम्नलिखित अनियतितायें/त्रुटियां पाई गईः—

(1) अंकेक्षण अवधि में नगर परिषद को आबकारी एवं कराधान विभाग हिमाचल प्रदेश नगर परिषद परिक्षेत्र में बची गई शराब की बोतलों पर एक रूपया प्रति बोतल के हिसाब से शराब शुल्क की निम्न विवरणानुसार ₹767664/—की राशि की आय प्राप्त हुई हैः—

वर्ष	ड्राफ्ट सं0	पत्र संख्या जिसके अन्तर्गत शुल्क प्राप्त हुआ तथा वर्ष जिससे सम्बन्धित शुल्क प्राप्त हुआ	राशि (₹)
2009—10	218422 दिनांक 19.11.2009 स्टेट बैंक आफ पटियाला, सोलन	EXN-SLN-Cash 18391 Dated 27.12.2009 द्वारा वर्ष 2007—08 से सम्बन्धित शुल्क	474197
	334394 दिनांक 2.2.2011 स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, सोलन	EXN-SLN-Cash 1123 Dated 9.02.2011 द्वारा वर्ष 2008—09 से सम्बन्धित शुल्क	293467
		कुल योग	₹767664

शराब शुल्क प्राप्ति के नगर परिषद के लेखों की जॉच करने पर पाया गया कि आगकारी एवं कराधान विभाग द्वारा देय शुल्क न तो समय पर दिया जा रहा है और न ही नगर परिषद परिक्षेत्र में बेची गई बोतलों की संख्या ही परिषद को सूचित की जा रही है जिसकी अनुपस्थिति में नगर परिषद को प्राप्त होने वाली आय की सही पुष्टि अंकेक्षण द्वारा सम्भव न हो सकी। अतः सम्बन्धित विभाग से विगत वर्षों के अपेक्षित पूर्ण विवरण के साथ—2 वर्ष 2009—10 व 2010—11 में बेची गई कुल बोतलों की संख्या की जानकारी हेतु अविलम्ब

पत्राचार करके शराब बोतलों की संख्या की जानकारी प्राप्त कर सही राशि के सत्यापन हेतु अंकेक्षण को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(2) इसके अतिरिक्त जैसा के उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि वर्ष 2007–08 में नगर परिषद परिक्षेत्र में शराब की 474197 बोतलों की बक्रिी हुई है, जो कि वर्ष 2008–09 में घटकर मात्र 293467 बोतलें ही रह गई। आबकारी एवं कराधान विभाग का यह कथन इस तथ्य के दृष्टिगत इसलिए उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि नगर परिषद परिक्षेत्र में जनसंख्या में प्रतिवर्ष अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है जिस कारण शराब बिक्री अप्रत्याशित रूप से धरने की बजाय बढ़नी चाहिए।

अतः आबकारी एवं कराधान विभाग से यह प्रकरण भी यथानुसार ही उठाये जाने के अतिरिक्त वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(3) नगर परिषद द्वारा बोतलों की बिक्री की संख्या के विवरण प्राप्ति बिना, शराब शुल्क प्राप्ति का प्रकरण 4/2007 से 3/2009 की आडिट रिर्पोट के पैरा संख्या 4 (ठ) में भी अभिलेखित किया गया था परन्तु उस पर नगर परिषद द्वारा कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई जो कि नगर परिषद कार्यालय के अंकेक्षण अभियुक्तियों के प्रति उदासीन रवैये का परिचायक है। अतः अंकेक्षण अभियुक्तिओं के सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही न किये जाने के कारणों से भी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(द) <u>बिजली शुल्क पर एक पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से प्राप्त आय</u> :–

हिमाचल प्रदेश सरकार के शहरी विभाग की अधिसूचना संख्या एल0एस0एच0डी0(1)–9/94–खण्ड–प्प दिनांक 13.12.2000 के अनुसार नगर परिषद की सीमा के भीतर बिजली की कुल खपत पर दिनांक 1.1.2001 से एक पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से सम्बन्धित नगर परिषद को विद्युत बोर्ड द्वारा दिया जान अपेक्षित है किन्तु विद्युत बोर्ड द्वारा नगर परिषद को इस प्रकार देय राशि का समायोजन स्ट्रीट लाईटों के बिलों आदि की देय राशि के विरूद्ध नियमित रूप से किया जा रहा है तथा नगर परिषद को इस मद से कोई भी आय प्राप्त नहीं हो रही है। नगर परिषद कार्यालय को 37 के पत्र संख्या डब्ैस्छध्.1732 दिनांक 30.7.07 के प्रत्युत्तर में सहायक अभियन्ता, विद्युत उप–मण्डल–प् सोलन के पत्र संख्या भ्.1ध्ै. 1ध्07.080739.741 दिनांक 4.8.2007 द्वारा प्रदान की गई सूचना/अभिलेखों यथा संलग्न परिशिष्ट "ढ" से यह स्पष्ट नहीं होता है कि अवधि विशेष को कितनी राशि नगर परिषद को एक पैसा यूनिट के हिसाब से देय है तथा उसका समायोजन किस प्रकार दर्शाया गया है तथा

इस प्रकार प्राप्त होने वाली राशि को कब से समायोजित किया जा रहा है व कितनी राशि का समायोजन किया जाना शेष है। कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद सोलन के निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश, शिमला–2 को सूचित पत्र संख्या एम0सी0 / एस0एल0एन0 / 2010–11–5386 दिनांक 7.1.2011 से विदित होता है कि नगर परिषद द्वारा माह 7 / 2004 से नियमित रूप से विद्युत बोर्ड को स्ट्रीट लाईटों का व कार्यालय के बिलसे का भुगतान किया जा रहा हैतथा ₹7832694 / – की राशि का भुगतान शेष हैंनगर परिषद कार्यालय में न तो कोई ऐसा अभिलेख उपलब्ध है जिससे यह स्पष्ट हो सकेके नगर परिषद द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से किस अवधि का कितना कर (बमे) लिया जाना अपेक्षित था तथा वास्तव में उन्हें कितना विद्युत कर (म्समजतपबपजल बमे) प्राप्त हुआ समायोजित किया गया है इसके अतिरिक्त नगर परिषद कार्यालय न तो अंकेक्षण को अंकेक्षण को संलग्न परिशिष्ट "ढ" में दर्शाये गये लेखों की व्याख्या कर सका है और न ही इस मत क ेलेखों का हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से मिलान (तमबवदबपसपंजपवद) किया जता है अतः अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर पुष्टि आगामी अंकेक्षण से करवाई जाए तथा भविष्य में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ताकि कम उगाही की सम्भावनाओं को सिरे से ही समाप्त किया जा सके।

(ध) <u>तहबाजारी शुल्क से प्राप्त आय</u> :–

नगर परिषद सोलन को वर्ष 2009–10 के दौरान ₹56455 / – तथा वर्ष 2010–11 के दौरान ₹69695 / 7की आय होगी। तहबाजारी शुल्क की इस आय की वसूली मात्र जून 2009 व जून 2010 के माह में शूलिनी मेले के दौरान की गई। यदि तहबाजारी शुल्क वर्ष के अन्य माहों अर्थात शूलिनी मेल की अवधि से पहले व बाद की अवधि में भी की जाती है। तो निश्चित तौर पर नगर परिषद को तहबाजारी शुल्क के रूप में प्राप्त होने वाली आय में बढ़ौतरी होना सम्भावित थी। अतः नगरपालिका अधिनियम 1994 की धार 66 (i)(i) के अन्तर्गत तहबाजारी शुल्क वसूल किया जाना सुनिश्चित किया जाए। तहबाजारी शुल्क वसूल न करने का मामला अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2007–08 व 2008–09 के पैरा संख्या 4 (ड) द्वारा भी प्रकाश में लाया गया था परन्तु इस सन्दर्भ में कोई प्राप्ति नहीं हुई है। जिस पर उचित कार्यवाही अमल में लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(न) <u>प्रदर्शन कर</u> :–

वित्तायुक्त एवं सचिव शहरी विकास हिमाचल प्रदेश सरकासर की अधिसूचना संख्या एल0एस0जी0डी0(1)–9/94–खण्ड–प्ट दिनांक 13.12.2000 जिसके अनुसार विकन्न नगर पालिकाओं कारे अने कउनके परिक्षेत्र में अधिरोपित करने वाले करों की दरें निर्धारित की गई है के अनुसार प्रदर्शन कर की दर ₹50/–प्रति प्रदर्शन निर्धारित की गई है। नगर परिषद द्वारा आनन्द सिनेमा सोलन से प्रतिदिन ₹50/–प्रति प्रदर्शन कर प्राप्त किया जा रहा है तथा अंकेक्षण अवधि में नगर परिषद द्वारा उक्त सिनेमा घर से प्राप्त प्रदर्शन कर का ब्यौरा निम्नानुसार हैः–

वर्ष 2009–10	₹49200
वर्ष 2010–11	₹54400

प्रदर्शन कर के रजिस्टर`स विदित होता है कि नगर परिषद द्वारा आनन्द सिनेमा सोलन से मात्र तीन प्रदर्शनों का प्रदर्शन कर ही प्राप्त किया जा रहा है किन्तु दिखाये जा रहे प्रतिदिन प्रदर्शनों की संख्या को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया जा रहा है जिसके अभाव में दर्शाये जा रहे प्रतिदिन प्रदर्शन कर की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अब सुनिश्चित करके अनुपालना अंकेक्षण को दर्शाई जाये।

(प) रेहड़ी शुल्कः–

नगर परिषद को रेहड़ी शुल्क के रूप में वर्ष 2009–10 ₹157146/–तथा 2010–11 में ₹227250/–की आय प्राप्त हुई। रेहड़ी शुल्क से सम्बन्धि अिभलेख की जांच करने पर पाया गया कि नगर परिषद रेहड़ी धारकों को न तो टोकन संख्या आंबटित की जा रही है और न ही रेहड़ी धारकों के नाम से रेहड़ी शुल्क रजिस्टर में अलग से खाता खोला गया है। जिससे सुविघापूर्वक रेहड़ी धारकों से प्राप्त की गई व बकाया राशि यदि कोई हो की जांच सुगमता से की जा सके। यह प्रकरण विगत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 4 (3)(ग) द्वारा भी प्रकाश में लाया गया था परन्तु इस पर अंकेक्षण के सुझावानुसार कोई कार्यवाही अमल में न लाया जाना एक बहुत ही गम्भीर मामला है। अतः आवश्यक वांन्छित कार्यवाही कर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(फ) ट्रेड लाईसैन्स शुल्कः–

नगर परिषद सोलन के ट्रेड लाईसैन्स शुल्क से प्राप्त होने वाली आय के अवलोकन पर पाया गया कि नगर परिषद को वर्ष 2009–10 में मात्र दो व्यापारियों ₹50/–प्रति व्यापारी

के हिसाब से ₹100/–की राशि/आय प्राप्त हुई तथा वर्ष 2010–11 में rमत्र एक ही व्यापारी से ट्रेड शुल्क राशि ₹50/–प्राप्त की गई है बजकि वष`2007–08 में 234 व्यापारियों से ट्रेड शुल्क के रूप में ₹11700/7 तथा वर्ष 2008–09 में 241 व्यापारियों से ₹12050/–की आय प्राप्त की गई थी। अतः यह प्रतीत होता है कि नगर परिषद द्वारावर्ष 2009–10 व 2010–11 ट्रेड शुल्क की राशि प्राप्त करने हेतु कोई प्रयास ही नहीं किया गया। अतः सभी ट्रेडों जिन से ट्रेड लाईसैन्स शुल्क प्राप्त होना है वर्ष 2009–10 व 2010–11 की देय राशि शीध्र अतिशीध्र वसूल की जाए तथा समय पर वसूली न करने हेतु सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए भविष्य में भी इस मत से प्राप्त हाने वाली राशि की समयवद्ध वसूली सुनिश्चित की जाए।

(ब) पानी के नये कनैक्शन शुल्क, पाईप फिटिंग शुल्क तथा सिक्योंरिटी शुल्कः–

नगर परिषद को 1.4.2009 से 31.3.2011 तक की अवधि में पानी के नये कनैक्शन शुलक पाईप फिटिंग शुल्क तथा सिक्योरिटी शुल्क के रूप में प्रा` आय का ब्यौरा निम्नानुसार हैः–

		वर्ष 2009–2010	वर्ष 2010–2011
(i)	पानी के नये कनैक्शन शुल्क	146600	174000
(ii)	पाईप फिटिंक चार्जिज	27625	36755
(iii)	सिक्योरिटी अग्रिम	99200	109300
	कुल योग	₹273425	320055

(भ) जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र शुल्कः–

नगर परिषद सोलन को जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की एवज में प्राप्त शुल्क का विवरण निम्नानुसार हैः–

वर्ष 2009–2010	₹188455.00
वर्ष 2010–2011	₹127235.00

(म) विभिन्न पक्षें से प्राप्त चैकों की पावती जारी न करनाः–

नगर परिषद सोलन के वध्र 2009–10 व 2010–11 के मलवहन कर (बवदेमततंदमल जंग) की जांच करने पर पाया गया कि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा मलवहन कर का भुगतान चैक के माध्यम से किया गया है परन्तु परिषद द्वारा चैक प्राप्ति के समय पावती (त्मबमपचज) जारी

न करके बाद में जारी की गई है जिसकी मूल प्रतियां भी सम्बन्धित व्यक्तियों को न देकर त्मबमपचज इववार में ही पाई गई है जिनमें से कुछ का विवरण निम्नानुसार हैः—

क्र0सं0	पावती संख्या	दिनांक	पावती राशि (Receipt Amt.)	चैक जारी करने की तिथि
1	074 / 639	13.7.2010	11000	2.7.2010
2	075 / 639	13.7.2010	3440	2.7.2010
3	067 / 639	13.7.2010	700	29.6.2010
4	081 / 639	13.7.2010	3184	3.7.2010
5	086 / 639	13.7.2010	1120	24.6.2010
6	07 / 651	24.7.2010	4402	16.7.2010
7	06 / 651	24.7.2010	616	6.7.2010
8	15 / 651	24.7.2010	280	19.7.2010
9	18 / 651	24.7.2010	2000	21.7.2010
10	22 / 651	24.7.2010	1020	20.7.2010

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत अंकेक्षण द्वारा यह सुझाव दियाजाता है कि भविष्य में चैक प्राप्ति के समय ही उसकी पावति भी सम्बन्धित पक्ष को जारी कर दी जाये तथा दोषी (क्र्मनीमते) यदि कोई हो, के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाये तथा चैक प्राप्ति के समय उसकी पावति जारी न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(च) जन्म—मृत्यु व विवाह पंजिकरण प्रमाण पत्र बारेः—

नगर परिषद द्वारा किये जाने वाले जन्म—मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण जारी करने का मूल्य प्रति प्रमाण पत्र के आधार पर निर्धारित किया गया है परन्तु सम्बन्धित पंजिका एवं पावतियों (त्मबमपचजे) की जांच करने पर पाया गया कि उनमें जारी किये गये प्रमाण पत्रों की संख्या नहीं दर्शाई जा रही है जिसके बिना प्रमाण पत्रों की बिक्री से प्राप्त आय की सत्यता को पुष्टि नहीं किया जा सकी। अतः जारी किये गये प्रमाण पत्रों की संख्या को व दर्शाये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में प्रत्येक पावति तथा सम्बन्धित पंजिका में जारी किये गये प्रमाण पत्रों की संख्या को दर्शायाजाना सुनिश्चित किया जाये। नगर परिषद द्वारा जारी कुछ पावतियों का विवरण निम्नानुसार है जिनमें प्रमाण पत्रों की संख्या नहीं दर्शाई गई हैः—

क्र0सं0	पावती सं0	दिनांक	प्राप्त राशि	विवरण
1	050 / 102	10.3.10	10.00	जन्म प्रमाण पत्र
2	051 / 102	10.3.10	10.00	जन्म प्रमाण पत्र
3	053 / 102	10.3.10	20.00	जन्म प्रमाण पत्र
4	054 / 102	10.3.10	20.00	जन्म प्रमाण पत्र
5	055 / 102	10.3.10	20.00	जन्म प्रमाण पत्र
6	052 / 102	10.3.10	20.00	जन्म प्रमाण पत्र
7	061 / 102	10.3.10	30.00	मृत्यु प्रमाण पत्र
8	078 / 102	12.3.10	10.00	जन्म प्रमाण पत्र
9	080 / 102	12.3.10	60.00	जन्म प्रमाण पत्र
10	082 / 102	12.3.10	60.00	जन्म प्रमाण पत्र
11	049 / 104	19.3.10	100.00	विवाह प्रमाण पत्र

(र) सलोगड़ा कूड़ा–करकट प्लाट से प्राप्त सेग्रिगेशन आयः–

नगर परिषद की आय प्राप्ति के दौरान पाया गया कि माह 3/2010 में परिषद को ₹3000/–की आय रसीद संख्या 012/104 दिनांक 16.3.2010 को श्री सतवीर सिंह से सेग्रिगेशन प्रभार के रूप में सलोगड़ा स्थित कूडा करकट संयन्त्र प्लाट से प्राप्त हुई है। किन्तु अंकेक्षण को लिखित में ऐसा कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे की प्राप्त हुई आय की पूर्ण राशि की सत्यता को प्रमाणिक किया जा सके के प्राप्त हुई राशि किस अवधि से सम्बन्धित है और कितनी राशि प्राप्त होनी अपेक्षित थी व कितनी राशि वसूली योग्य शेष है तथा प्राप्त की गई किस प्राकर निर्धारित की गई है। अतः इस अनियमितता को पूर्ण अभिलेख सहित स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में सेग्रिगेशन कार्य हेतु इच्छुक व्यक्तियों से आवश्यक निविदाये प्राप्त कर अधिकतम निविदा वाले व्यक्ति/पक्ष को या उच्चतम बोलीदाता को सेग्रिगेशन कार्य का आंबटन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(ल) नगर परिषद को विभिन्न दुकानों के किराये/लीज राशि से प्राप्त आयः–

नगर परिषद सोलन द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर दुकानों का निर्माण करके विभिन्न व्यवसायियों व कारोबारियों को किराये पर या लीज पर दी गई है परन्तु परिषद द्वारा दुकानों को किराये पर या लीज पर देते समय बनाये गये अनुबन्ध (।हतममउमदजे) व समेंम कमंक को न तो पूर्ण रूप से लागू किया जा रहा है और न ही परिषद के हित को

ध्यान में रखते हुये अनुबन्ध में अनुबन्ध की पूर्ण शर्तों को शामिल ही किया जा रहा है जिनमें निम्न वर्णित त्रुटियों व`कमियॉं पाई गई हैः–

प) परिषद द्वारा सभी व्यवसायियों से मात्र 11 माह तक दुकान को किराये पर दिये जाने का अनुबन्ध किया गया है परन्तु 11 माह के पश्चात कभी भी दुकान को पुनः किराये पर देने का कोई अनुबन्ध नहीं किया गया है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में प्रत्येक 11 माह के पश्चात नया अनुबन्ध बनाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

पप) परिषद द्वारा विभिन्न दुकानदारों/व्यवसायियों से 11 माह का अनुबन्ध किया गया है जबकि उसी अनुबन्ध में व्यवसायी का 3 वर्ष पश्चात किया बढ़ाने का भी प्रावधान किया गया है जिसे स्पष्ट किया जाये कि भाग 11 माह के अनुबन्ध में किस प्राकर 3 वर्ष के पश्चात किराये में वृद्धि की जा सकती है।

अतः अंकेक्षण द्वारा यह सुझाव दिया जाता है कि प्रत्येक व्यवसायी के साथ 11 माह का ही अनुबन्ध किया जाये तथा प्रत्येक 11 माह के पश्चात 3**%** या 4**%** की वृद्धि मासिक किराये में करने के साथ ही नया अनुबन्ध बनाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(व) अस्थाई स्टाल स्थापना से प्राप्त आयः–

अंकेक्षण को मौखिक रूप से अवगत करवाया गया कि नगर परिषद द्वारा शहर के किसी भी स्थान पर अस्थाई स्टाल खोलने हेतु ₹500/–प्रतिदिन के हिसाब से अनुमति प्रदान की जाती है तथा इसी प्राकर शहर में अवैध रूप से रेहड़ी/फड़ी लगाने वालों से ₹100/– प्रतिदिन के हिसाब से वसूल किया जाता है परन्तु इस तथ्य की पुष्टि हेतु कोई भी लिखित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे की इन दरों से प्राप्त आय को सत्यापित किया जा सके। अतः सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित दरों को अंकेक्षण को प्रस्तुत किया जाए। उपरोक्त दरों से प्राप्त आय का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र0सं0	विवरण	अवधि	राशि (₹)	दर प्रतिदिन	रसीद संख्या	नाम पता
1	अस्थाई स्टाल	19.3.2010 से 23.3. 2010	2500	500	32/104	श्री संजीव कश्यप मै0 गिगो बाइटस सोलन

2	अवैध रेहड़ी फड़ी	19.3.2010	100	100	044 / 104	श्री अफजल सोलन
3	—यथोपरि—	19.3.2010	100	100	045 / 104	श्री इश्तकर सोलन
		कुल योग		₹2700		

7 स्थापना :—

(क) ₹30250434 का स्थापना पर अधिक व्यय :—

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994 के नियम 53(1)(c) के अनुसार नगर परिषदों / नगर पंचायत के स्थापना व्यय जिसमें कर्मचारियों का वेतन व भत्ते, भविष्य निधि व गैच्युटी तथा सदस्यों को देय भत्ते इत्यादि भी शामिल हैं, की सीमा कुल व्यय का एक तिहाई निर्धारित किया गया है। किन्तु नगर परिषद सोलन द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अंकेक्षण अवधि अप्रैल 2002 से मार्च 2009 तक स्थापना पर ₹30250434 / — का निर्माधरित सीमा से अधिक व्यय किया गया जिसका वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है। इस प्राकर अनुदेय (च्तमउपेपइसम) सीमा से अधिक व्यय का ठोस तथ्यों सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये व्यय सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करते हुये नियमितकरण करवाया जाये तथा भविष्य में इस त्रुटि को न दोहराया जाये।

वर्ष	कुल व्यय	स्थापना पर वांछित व्यय का 1/3 भाग	स्थापना पर वास्तविक व्यय	अधिक व्यय
2002—03	25211825	8403943	12207276	3803333
2003—04	23350452	7883484	12953076	5169592
2004—05	35699334	11899778	19891157	7991379
2005—06	34332981	11444327	14440305	2995978
2006—07	40674748	13558249	17829904	24231937
2007—2008	60775815	20258605	23511601	3252996
2008—2009	82625756	27541919	30307420	2765501

कुल अधिक व्यय	**30250434**

(ख) गलत वेतन निर्धारण के कारण ₹33829/–का अधिक भुगतानः–

श्री अजमेर सिंह, कार्यकारी अधिकारी जो कि दिनांक 11.1.1999 से कार्यकारी अधिकारी के पद पर वेतन 6400–10640 के वेतनमान में नियुक्त हुये थे, को हिमाचल प्रदेश वित्त विभाग की अधसूचना संख्या फिन(पीआर) बी0(7) 47/98 दिनांक 31.12.2002 के अन्तर्गत दिनांक 1.1.2003 से 7000–10980 का उच्च वेतनमान प्रदान किया गया। इसके उपरान्त दिनांक 11.1.2007 से हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या फिन(पी0आर0) बी (7)–51/98 दिनांक 15.12.1998 के अन्तर्गत सुनिश्चित जीवित प्रगतिशील योजना के अन्तर्गत आठ वर्ष का सेवाकाल एक ही पद पर पूर्ण करने तथा वार्षिक वेतन वृद्धि व संशोधित वेतनमान में वेतन निर्धारण के फलस्वरूप मूल वेतन वृद्धि को छोढ़कर वेतन वृद्धि न होने पवर अगला उच्च वेतनमान अर्थात 7220–10980 प्रदान किया जाना वांछित था। किन्तु सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि 7220–11660 के वेतन मान की कर दी गई जिसके फलस्वरूप दिनांक 1.1.2006 से देय संशोधित वेतनमान में वेतन निर्धारण करते समय दिनांक 1.1.2007 को निम्न प्राकर से स्तम्भ संख्या 2 में दर्शाया अनुसार वेतन निर्धारण कर दिया गया जबकि नगर परिषद द्वारा स्तम्भ संख्या 2 में दर्शायेनुसार वेतन निर्धारण किया जाना अपेक्षित था।

स्तम्भ–I		स्तम्भ–II
अवधि	आहरित मूल वेतन	देयमूल वेतन
1.1.2007	15390+5000	15390+4400
11.1.2007	16010+5000	15990+4600
1.1.2008	16640+5000	16610+4600
1.1.2009	17290+5000	17250+4600
1.1.2010	17960+5000	17910+4600
1.1.2011	18650+5000	18590+4600

उपरोक्त के फलस्वरूप दिनांक 1.1.2007 से 31.3.2011 तक श्री अजमेर सिंह, कार्यकारी अधकारी को ₹33829/–का अतिरिक्त वित्तीय लाभ प्रदान कर दिया गया जिसका विस्तृत विवरण पूर्ण गणना सहित यथा परिशिष्ट "ण" पर दिया गया है।

अतः उपरोक्त अनुचित लाभ के कारण किए गए ₹33829/—की वसूली सुनिश्चित कर अनुपालना अंकेक्षण को दर्शाई जाए।

(ग) श्री लाभ सिंह, सफाईल कर्मचारी को गलत वेतन निर्धारण पर ₹9044/—का अतिक्ति भुगतानः—

श्री लाभ सिंह सफाई कर्मचारी जो कि दिनांक 30.4.2009 को नगर परिषद सोलन से सेवानिवृत हुये है, को नगर परिषद द्वारा दिनासंक 1.10.2007 को सफाई दरोंगा के पद पर वेतनमान 2820—4400 (संशोधित वेतनमान 49900—10680+1650) में पदोन्नत किया गया। श्री लाभ सिंह को 32 वर्षों तक एक ही पद पर कार्यरत्त रहने के कारण सुनिश्चित जीवीत प्रगतिशिील योजना के अन्तर्गत लाभ देते हुये वेतनमान 2720—4260 (संशोधित वेतनमान 4900—10680+1400) का वेतनमान दिनांक 1.3.2005 से प्रदान किया गया था तथा पदोन्नति पर श्री लाभ सिंह द्वारा अपने वेतनमान को निचले पद पर मिल रही वेतन वृद्धि की तिथि से निर्धारित करने का विक्ल्प दिया गया था। श्री लाभ सिंह उच्च पद पर पदोन्नति की तिथि को ₹5800/—मूल वेतन आहरित कर रहे थे। हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या फिन(पीआर)बी(7)—51/98 दिनांक 15.12.1998 के पैरा 2 (iv) के अनुसार यदि उच्च पद पर पदोन्नति सुनिश्चित जीवित प्रगतिशील योजना का लाभ प्राप्त करने के उपरान्त होती है तो पदोन्नति पर मात्र एक ही वेतन वृद्धि प्रदान की जायेगी जबकि श्री लाभ सिंह को 1.3.2008 का वेतन निर्धारण पर दो वेतन वृद्धियॉ प्रदान कर उनका वेतन ₹6400/—पर निर्धारित किया गया, जिसे ₹6200/—पर निर्धारित किया जाना वांन्छित था। इसके अतिरिक्त दिनांक 1.1. 2006 से देय संशोधित वेतनमान में हिमाचल प्रदेश वित्त (Pay Revision) विभाग के पत्र संख्या वित्त (पी0आर0) बी (7)—1/2009 दिनांक 19.9.2009 के पैरा संख्या (ii) के अनुसार श्री लाभ सिंह को पदोन्नति पर अर्थात 1.10.2007 को मात्र ग्रेड पे के अन्तर क बराबर ही वेतन में वृद्धि की जानी थी जबकि नगर परिषद द्वारा श्री लाभ सिंह को एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान कर दी गई जिसके फलस्वरूप उन्हें दिनांक 1.10.2007 से 28.2.2008 तक ₹2042/—का अतिरिक्त वित्तीय लाभ प्रदान कर दिया गया। तदोपरान्त दिनांक 1.3.2008 को श्री लाभ सिंह के वेतन को असंशोधित वेतनमान में दो वेतन वृद्धियूं प्रदान कर ₹6200/—के स्थान पर ₹6400/ के मूल वेतन में निर्धारित कर दिया गया जबकि संशोधित वेतनमान में मा0 एक ही वेतनवृद्धि

प्रदान किया जाना वांन्छित था। अतः श्री लाभ सिंह, दरोगा को असंशोधित वेतनमान में दिनांक 1.3.2008 से 30.4.2009 तक ₹7002/–तथा संशोधित वेतनमान में अवधि 1.10.2007 से 29.2. 2008 तक ₹2042/'अर्थात कुल 9044 (7002+2042) का अतिरिक्त वित्तीय लाभ दिया गया जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट "त" तथा "त त" में स्पष्ट किया गया है।

अंकेक्षण द्वारा स प्रकरण उजागर करने पर नगर परिषद कार्यालय द्वारा उपरोक्त ₹9044/–की वसूली कर्मचारी के संशोधित वेतनमान अवधि 1.1.2006 से 30.4.2009 की बकाया राशि जिसका भुगतान पूर्व में सम्बन्धित कर्मचारी को नहीं किया गया था से अंकेक्षण के दौरान कर ली गई है।

(घ) टंकण भत्ते का ₹8650/–का अनियमित भुगतान :–

श्री कर्म सिंह राठौर को प्रशासक, नगर परिषद सोलन के पत्र संख्या न0. प0सोलन–स0लि0–92–454 दिनांक 1.5'.1992 द्वारा नियुकत किए जाने के परिणामस्वरूप उक्त कर्मचारी ने दिनांक 1.5.1992 को ही कार्य ग्रहण किया। उक्त कर्मचारी को नगर परिषद कार्यालय द्वारा दिनांक 1.11.1992 से ₹50/–प्रतिमाह की दर से टंकण भत्ते का भुगतान हिमाचल प्रदेश असैनिक (संशोधित वेतन) नियम 1990 के प्रावधानों जो कि अधिसूचना संख्या वित्त (सी) बी(7)–6/88, दिनांक 21.7.1990 द्वारा अधिसूचित किए गए के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया क्योंकि उक्त लिपिक टंकण कार्य हेतु तैनात किया गया था। ततपश्चात उक्त कर्मचारी का नगर परिषद सोलन के कार्यालय आदेश संख्या सोलन–न90प0–6/99–55/99–2357–2361 दिनांक 1.5.1997 द्वारा लिपिक से कनिष्ठ सहायक के उच्च पद पर वर्गीकरण (Placement) किया गया, जिस कारण नियमानुसार उनकी टंकण भत्ते हेतु सुपात्रता दिनांक 1.5.1997 से ही समाप्त हो जाती है जबकि उक्त कर्मचारी को टंकण भत्ता सितम्बर 2011 तक दिया जाता रहा।

इस प्रकार इस प्रकरण में माह मई, 1997 से सितम्बर 2011 तक अर्थात 173 महीनों में ₹50/–प्रतिमाह के हिसाब से उक्त कर्मचारी को ₹8650/–का अनियमित भुगतान किया गया है जिसकी वसूली की जानी अपेथ्खत है। अतः यह वसूली यथाशीध्र सुनिश्चित कर अनुपालना अंकेक्षण को दर्शाई जाए।

(ङ) गलत वेतन निर्धारण के फलस्वरूप ₹787/7 का अधक भुगतान :–

नगर परिषद सोलन में कार्यरत्त श्री धर्म सिंह, बेलदार जो कि दिनांक 1.1.2006 से संशोधित वेतनमान 4900—106800+1400 (ग्रेड पे) में अपना वेतन आहरित कर रहे है, का वेतन नगर परिषद कार्यालय द्वारा दिनांक 1.5.2009 से ₹8920+1400 (ग्रेड पे) के स्थान पर ₹8930+1400 (ग्रेड पे0 निर्धारित कर दिया गया तथा इस॒पकार वह अपने मूल वेतन में ₹10 ⁄ —प्रतिमाह अधिक प्रापत कर रहे थे जिसकी वसूली राशि दिनांक 30.11.2011 तक ₹434 ⁄ —हुई। इस प्रकार श्री पूर्ण चन्द बेलदार सुपुत्र श्री बुधराम को भी दिनांक 1.11.2009 से ₹10990+1400 (ग्रेड पे) पर निर्धारित कर दिया गया अतः श्री धर्मसिंह बेलदार व श्री पूर्णचन्द बेलदार से ₹434 ⁄ —व ₹353 ⁄ —की वसूली अंकेक्षण के सुझावानुसार दिसम्बर 2011 के वेतन जो की जनवरी 2012 में दिया गाय है, से कर ली गई है। भविष्य में कर्मचारियों का वेतन निर्धारण नियमानुसार करना सुनिश्चित करें।

नाम श्री धर्म सिंह, बेलदारः—

क्र0सं0	माह ⁄ अवधि	माह सं0	आहरित मूल वेतन	वास्तविक मूल वेतन	मूल वेतल अधिक भुगतान राशि (₹)	मंहगाई भत्ता राशि (₹)	मूल वसूली योग्य राशि (₹)
1	1.5.2009 से 30.6.2009	2	8930+1400	8920+1400	20	4	24
2	1.7.2009 से 31.12.2009	6	8930+1400	8920+1400	60	16	76
3	1.1.2010 से 30.4.2010	4	8930+1400	8920+1400	40	14	54
4	1.5.2010 से 30.6.2010	2	9240+1400	9230+1400	20	7	27
5	1.7.2010 से 31.12.2010	6	9240+1400	9230+1400	60	27	87
6	1.1.20111 से	4	9240+1400	9230+1400	40	20	60

	30.4.2011						
7	1.5.2011 से 30.11.2011	7	9560+1400	9550+1400	70	36	106
					310	124	434

श्री पूर्ण चन्द बेलदार सुपुत्र श्री बुधराम

क्र0 सं0	माह／अवधि	माह सं0	आहरित मूल वेतन	वास्तविक मूल वेतन	मूल वेतल अधिक भुगतान राशि (₹)	मंहगाई भत्ता राशि (₹)	मूल वसूली योग्य राशि (₹)
1	1.11.2009 से 31.12.2009	2	11000+1400	10990+1400	20	5	25
2	1.1.2010 से 30.6. 2010	6	11000+1400	10990+1400	60	21	81
3	1.7.2010 से 31. 10.2010	4	11000+1400	10990+1400	40	18	58
4	1.11.2010 से 31. 12.2010	2	11380+1400	11370+1400	20	9	29
5	1.1.2011 से 31. 10.2011	10	11380+1400	11370+1400	100	45	145
6	1.11.2011 से 30. 11.2011	1	11770+1400	11760+1400	10	5	15
					350	103	353

(च) सी0सी0एस0 पैन्शन नियम, 1972 के नियम 27 की अवहेलना तथा सुनिश्चित जीवित प्रगतिशील योजना के अन्तर्गत अनुचित लाभ :—

नगर परिषद सोलन के विभिन्न कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं एवं सेवा लाभों के अंकेक्षण के दौरान पाया गा कि कर्मचारियों द्वारा बिना वेतन का अवकाश व्यतीत किया जा रहा है जिसे व्यतीत करने के उपरान्त भी सक्षम अधिकारी से किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृति करवाकर नियमित नहीं करवाया गया है। केन्द्रीय असैनिक सेवाऐं,पैन्शन नियम, 27 के अन्तर्गत डयूटी से अनाधिकृत अनुपस्थिति की दशा में अनुपस्थिति से पहले के सेवाकाल को जब्त (Forfeiture) किये जाने का प्रावधान है यदि इस प्रकार के अवकाश को, अवकाश व्यतीत करनने के उपरान्त असाघारण अवकाश (extrsordinary leave) या अन्य किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत करके नियमित न कर दिया गया हो। नगर परिषद द्वारा बहुत से कर्मचारियों को अनाधिकृत रूप से कार्यालय से अनुपस्थित रहने के उपरान्त उन्हें, उनके Leave Without Pay (LWD) से पहले के सेवाकाल को भी "सुनिश्चित जीवित प्रतिशील(।ब्च्) योजना" के लाभों हेतु गणना में लिया गया है तथा आठ वर्षों के नियमित सेवाकाल में शामिल किये जाने के उपरान्त अगले उच्च वेतनमान का लाभ प्रदान करने के परिणामस्वरूप अतिरिक्त वित्तीय लाभ प्रदान किया गया है जो कि नियमानुसार उचित प्रतीत नहीं होता है यद्यपि नगर परिषद में इस प्रकार कार्यालय से अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक है तथापि उदाहरणार्थ कुछ कर्मचारियों का विवरण निम्नानुसार है जिनके बना वेतन अवकाश अवधि को या तो देय अवकाश (Leave of the kind due) स्वीकृत करके नियमित करवाया जाये अन्यथा इन्हें प्रदान किये गये उच्च वेतनमान के फलस्वरूप प्राप्त हुये अतिरिक्त वित्तीय लाभ की वसूली कर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

कर्मचारियों का विवरण जिन्हें Leave without Pay के उपरान्त अतिरिक्त वित्तीय लाभ प्रदान किया गया

क्र0सं0	नाम व पदनाम	नियुक्ति तिथि	ए0सी0पी0एस0 प्रदान करने की तिथि	बिना वेतन के अवकाश अवधि का विवरण
1	श्रीमती बाला देवी सफाई कर्मचारी	1.4.1999	4.4.2007	10.6.06 से 12.6.06
				19.5.07 से 22.5.07
				27.9.07 से 30.9.07
				15.11.07 से 19.11.07

				26.11.07 से 5.12.07
				29.12.2008
2	श्री सतपाल सफाई कर्मचारी	7.1.1999	7.1.2007	28.7.2006
				20.3.09 से 20.4.09
3	श्रीमती राज देवी, सफाई कर्मचारी	1.3.2001	15.4.2009	26.3.03 से 31.3.03
				1.4.03 से 30.4.03
				12.8.08 से 14.8.08
				26.8.2008
				29.8.08 से 31.8.2008
				10.9.2008
				23.9.2009

इसके अतिरिक्त ऐसे अन्य प्रकरणों को भी चिन्हित कर उपरोक्तानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाए तथा सुनिश्चित किया जाए कि नगर परिषद कार्यालय में प्रत्येक ऐसे दोषपूर्ण प्रकरणों पर उपरोक्त अंकेक्षण अभियुक्तिनुसार नियमपूर्वक कार्यवाही सुनिश्चित हो सके।

(छ) सेवा पुस्तिकाएं :–

नगर परिषद के अधिकारियों की सेवा पुस्तिकाओं की जांच करने पर पाया गया कि सेवा पुस्तिकाओं का रखरखाव व उनमें की जाने वाली आवश्यक प्रविष्टियों/सूचनाओं व जानकारियों को सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टि/दर्ज नहीं किया जा रहा है जिसकी अनुपस्थिति में संस्था के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को अनुचित लाभ प्राप्त होने या उन्हें देय सेवा लाभ के प्रापत होने या सेवा लाभां व सेवा निवृति लाभों की प्राप्ति में विलम्ब से इन्कार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त सेवा पुस्तिकाओं में पूर्ण सूचनाओं के न होने से संस्थाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के प्रशासनिक नियन्त्रण के कमजोर होने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः सेवा पुस्तिकाओं में पाई गई निम्न त्रुटियों का शीध्र समक्ष सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जायेः–

(i) जी0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 खाता संख्या को सेवा पुस्तिका में न दर्ज करना।

(ii) समूह बीमा योजना (ळतवनच प्देनतंदबम ैबीमउम) खाता संख्या का से0पु0 में दर्ज न होना।

(iii) जी0पी0एफ0 / सी0पी0एफ0 व जी0आई0एस0 की राशि की प्राप्ति हेतु किसी पारिवारिक सदस्य / सदस्यों को नामांकित (छवउपदंजपवद) न करना।

(iv) परिवार के आश्रित सदस्यों की सूची न लगाना।

(v) चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु विकल्प न होना।

(vi) एल0टी0सी0 हेतु स्थाई पता प्रविष्टि न होना।

(vii) वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करने से पहले सेवा सत्यापन सुनिश्चित न करना।

(viii) छुट्टी स्वीकृति आदेशों (Leave sanction orders) की प्रविष्टि न करना।

(ix) विभिन्न कर्मचारियों के प्रथम नियुक्ति आदेशों का उल्लेख सेवा पुस्तिका में दर्ज न करना।

(x) अधिकारियें / कर्मचारियों के स्थानान्तरण आदेशों व कार्यग्रहण सूचना को सेवा पुस्तिका में दर्ज न करना।

(ज) <u>अवकाश अभिलेख न होना</u> :–

नगर परिषद कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा व्यतीत अवकाशों की पुष्टि हेतु वांन्छित अभिलेख अर्थात अवकाश हेतु आवेदन, प्रस्थान सूचना, कार्यग्रहण सूचना तथा अवकाश स्वीकृति आदेशों की प्रतियां अधिकारियों / कर्मचारियों की निजि नस्तियों (च्मतेवदंस पिसमे) में नहीं पाई गई और न ही अंकेक्षण के मांगे जाने पर प्रस्तुत की गई। इसके अतिरिक्त नगर परिषद अधिकारयाके / कर्मचारियों के पक्ष में स्वीकृत अवकाश आदेशों का सेवा पुस्तिकाओं में दर्ज नहीं किया गया है।

अतः नगर परिषद के सभी कर्मचारियों के अवकाश से सम्बन्धित पूर्ण अभिलेख उनकी निजी नस्तियों में ही रखा जाना सुनिश्चित किया जाए। सफाई कर्मियों के मामले में देखा गया है कि उनके अवकाश से सम्बन्धित अभिलेखों को सफाई निरीक्षक द्वारा ही रखा जा रहा है जो कि अवकाश नियमानुसार (Leave Rates) व सेवा नियमों के अनुसार सही नहीं है। अतः कर्मचारियों के सेवाकाल से सम्बन्धित सभी दस्तवेजों के सेवाकाल से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों

का केन्द्रियकरण कर सम्बन्धित निजि नस्तियों में ही रखा जाये तथा सभी इस्तावेजों में पृष्ठ संख्या तत्काल ही दर्ज की जाये ताकि इनमें से किसी भी अभिलेख को निकाला न जा सके।

अंकेक्षण के दौरान देखा गया कि श्री सुनील कुमार ैध्र श्री रामफल, सफाई कर्मी के छुट्टी खाते में अवधि 12.8.2008 से 18.11.2010 के बीच विभिन्न तिथियों को 50 दिनों का बिना वेतन का अवकाश दर्शाया गया है जबकि इस बिना वेतन अवकाश (स्मंअम ूपजीवनज च्ंल) की पुष्टि हेतु कोई भी अभिलेख अंकेक्षण को नहीं प्रस्तुत किया गया तथा न ही अवकाश स्वीकृति आदेशों को सेवा पुस्तिका में दर्शाया गया है। अतः यह स्पष्ट किया जाये कि उपरोक्त अवकाश अवधि सेवानिवृति लाभों की गणना में शामिल की जायेगी अथवा अन्यथा किन नियमों के अन्तर्गत इस प्रकार का अवकाश स्वीकृत किया गया है? इसी प्रकार के अन्य मामलों में भी अंकेक्षण को स्थिति स्पष्ट करें। उपरोक्त के अतिरिक्त नगर परिषद के विभिन्न कर्मचारियों द्वारा व्यतीत किये जा रहे अर्जित अवकाश या अर्धवेतन/परिणित अवकाश को भी उनकी सेवा पंजिका में प्रविष्टि नहीं किया जा रहा है। अंकेक्षण के सुझावानुसार निम्न कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं में अंकेक्षण के दझैरान ही प्रविष्टि करवाकर उसका सत्यापन भी सुनिश्चित कर लिया गया है।

क्र0सं0	नाम/पदनाम	अवकाश अवधि	दिनों की सं0
1	श्री शक्ति चन्द, इलैट्रिश्यिन	अर्जित अवकाश 21.12.06 से 11. 11.2011 के बीच विभिन्न तिथियों को	76 दिन
2	श्री दामोदर, चौकीदार	अर्जित अवकाश 30.10.09 से 16. 10.2010 के बची विभिन्न तिथियों	64 दिन
3	श्री देवी सरन, कीमैन	अर्जित अवकाश 12.1.09 से 28. 11.2011 के बीच विभिन्न तिथियों को	103 दिन
4	श्रीमती रीता शर्मा, चपड़ासी	अर्जित अवकाश 29.7.06 से 5.7. 2011 के बीच विभिन्न तिथियों को	61 दिन
5	श्री पूर्ण चन्द सुपुत्र. श्री बुधराम	अर्जित अवकाश 9.2.1994 से 22. 9.2008 के बीच विभिन्न तिथियों	146 दिन

		को परिणित अवकाश 31.8.04 से 14.10.2004	
6	श्री लीला दत्त, कीमैन	अर्जित अवकाश 12.3.07 से 20.2. 2011 के बीच विभिन्न तिथियां	56 दिन
		कुल योग	551 दिन

डपर वर्णि स्थिति से स्पष्ट होता है कि मात्र छः कर्मचारियों द्वारा व्यतीत अवकाश की संख्या 551 दिन है जिसे सेवा पृस्तिकाओं में प्रविष्टि नहीं किया गया था। य स्थिति नगर परिषद के लगभग सभी कर्मचारियों की है जिससे यह प्रतीत होता है ककि अवकाश प्रविष्टि का कार्य समयानुसार व नियमित रूप से नहीं किया जा रहा है। अतः नगर परिषद के अन्य सभी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं में सभी अवकाश प्रविष्टियों को दर्ज कर अंकेक्षण को सत्यापनार्थ प्रस्तुत करें।

(झ) सेवाकाल सत्यापन (Service Verification) न करनाः—

नगर परिषद अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं की जांच के दौरान पाया गया कि अधिकारियों/कर्मचारियो के सेवाकाल का सत्यापन नियमित रूप से नहीं किया जा रहा है जिससे कर्मचरियाके के सेवानिवृति लाभों के अनावश्यक विलम्ब की सम्भावना, से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः संस्था के प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करने से पहले उनका सेवाकाल सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये। कुछ अधिकारियों/कर्मचरियों के असत्यापित सेवाकाल का ब्यौरा निम्नानुसार है जिसे शीध्र अतिशीध्र सत्यापित करवाकर अंकेक्षण को प्रस्तुत करें तथा इस प्रकार के अन्य मामलों में भी समकार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाये।

क्र0सं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पदनाम	असत्यापित अवधि
I	श्री अजमेर सिंह ठाकुर, कार्यकारी अधिकारी	1.4.2006 से 30.6.2007
II	श्री नरेश कुमार, ड्राफ्टसमैन	21.4.2007 से 31.5.2011
III	श्री हेमन्त कुमार, कनिष्ठ सहायक	1.2.1991 से 31.3.1994 तथा 1.4. 2008 से 31.3.2009
IV	श्री योगेश कुमार, लिपिक	1.4.2006 से 31.3.2007

V	श्री कृष्ण दत्त शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता	1.5.92 से 30.4.93 तथा 1.4.95 से 31.3.96

(ञ) छुट्टी खाते (Leave Account) को पूर्ण रूप न भरा जानाः—

परिषद अधिकारयिों/कर्मचारियों को प्रत्येक छमाही के आरम्भ में प्राप्त होने वाले अर्जित अवकाश तथा वृद्धिवेतन अवकाश की प्रविष्टि देय तिथियों पर न करके कई—2 वर्षों के बाद की जा रही है तथा कई मामलों में तो अंकेक्षण अवधि की समाप्ति तक भी आवश्यक प्रविष्टियों को नहीं किया गया था अर्थात श्री शक्तिचन्द, इलैक्ट्रीशयन जो के निकट भविष्य में सेवानिवृत होने जा रहें है, को दिनांक 1.1.2007 से देय अर्जित/अद्धवेतन अवकाश नहीं दिया गया है तथा अवधि 1.4.76 से 31.12.78 का छुट्टी खाता भी सेवा पुस्तिका में नहीं पाया गया। इसी प्रकार श्री धर्मसिंह, बेलदार को भी दिनांक 1.1.2003 से देय अवकाशों की प्रविष्टि अंको सेवा पुस्तिका में नहीं की गई है। अतः शीध्र अतिशीध्र आवश्यक प्रविष्टियों कर पूर्ण किया जाये तथा इसकी प्रकार के अन्य मामलों में भी सम कार्यवाही करके अंकेक्षण को वस्तुस्थिति से अवगत करवाये तथा आगामी अंकेक्षण में अंकेक्षण के सुझावानुसार कार्यवाही करके सभी अनियमितताओं पर पूर्ण रूप से अंकुश सुनिश्चित किया जाए।

(ट) वेतन के आयकर की स्त्रोत पर कटौती नियमानुसार न करनाः—

वेतन से आयकर की स्त्रोत पर कटौती के सन्दर्भ में प्दबवउम ज्ंग ।बजए1961 के ैमबजपवद 192 ;2द्ध में निम्न प्रावधान हैः—

"।दल ैंसंतल क्पेइनतेपदह ।नजींदजल ेींसस ंज जीम जपउम वि चंलउमदजए कमकनबज पदबवउम जंग वद जीम ंउवनदज चंलंइसम ंज जीम ंअमतंहम तंजम वि पदबउम जंग बवउचनजमक वद जीम इंेपे वि तंजमे वि जंग पद वितबम वित जीम पिदंदबपंस लमंत पद ूपबी जीम चंलउमदज पे उंकमए वद जीम 3मेजपउंजमक पदबवउम वि जीम ेमेमम नदकमत जीपे ीमंक वित जीम पिदंदबपंस लमंतण जेम ंहहतमहंजम जंग बंसबनसंजमक वद जीम मेजपउेंजमक पदबवउम कपअपकमक इल 12 ंदक तवनदकमक वि जिव जीम दमंतमेज तनचमम पे तमुनपतमक जव इम कमकनबजमक तिवउ जीम उवदजीसल ेंसंतलण"

नियम के उपरोक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि वेतन से स्त्रोत पर आयकर की कटौती पूरे वर्ष में कमोबेश एक समान की जानी अपेक्षित है तथा ैचपतपज वि जीम तनसम यह है कि वर्ष के अन्त में आयकर की कटौती अत्प्रत्याशित रूप से अत्याधिक न हो। किन्तु

नगर परिषद सोलन के प्रकरण मे ंपाया गया कि कर्मचरियों के वेतन से आयकर की स्त्रोत पर कऔती उपरोक्त नियम के प्रावधानानुसार न करके वर्ष के प्रारम्भ में बहुत की कम (लगभग नगण्य) की गई तथा वर्ष के अन्तिम माह में अत्प्रत्याशित रूप से बहुत ही अधिक की गई जैसा कि निम्न प्रकरणों से स्पष्ट हो जाता हैः–

क्रमांक	अधिकारी / कर्मचारी का नाम व पदनाम	अवधि / माह	प्रतिमाह आयकर की स्त्रोत पर कटौती
1	श्री अजमेर सिंह ठाकुर, कार्यकारी अधिकारी	अप्रैल 2009 से जनवरी 2010	₹200 / –
	–यथोपरि–	फरवरी 2010	₹3180
2	श्री हरि नन्द कश्यप कनिष्ठ सहायक	अप्रैल, 2009 से जनवरी 2010	₹200
	–यथोपरि–	फरवरी 2010	₹6790
3	श्री कर्म सिंह राठौर कनिष्ठ सहायक	अप्रैल, 2009 से जनवरी 2010	₹100
	–यथोपरि–	फरवरी 2010	₹2418
4	श्री हेमन्त कुमार, कनिष्ठ सहायक	अप्रैल, 2009 से जनवरी 2010	शून्य
	–यथोपरि–	फरवरी 2010	₹1359
5	श्री शक्ति चन्द, इलैक्ट्रिशियन	अप्रैल, 2009 से जनवरी 2010	₹400
	–यथोपरि–	फरवरी 2010	₹2876
6	श्री कर्म चन्द वर्मा, सफाई निरीक्षक	अप्रैल, 2009 से जनवरी 2010	₹400
	–यथोपरि–	फरवरी 2010	₹3306
7	श्री आर0के0 गुप्ता, सहायक अभियन्ता	अप्रैल, 2009 से जनवरी 2010	₹800
	–यथोपरि–	फरवरी 2010	₹9330
8	श्री एम0एल0 ठाकुर, अतिरिक्त	अप्रैल, 2009 से जनवरी 2010	₹500

	सहायक अभियन्ता		
	—यथोपरि—	फरवरी 2010	₹7038
9	श्री कृष्ण दत शर्ता, कनिष्ठ अभियन्ता	अप्रैल, 2009 से जनवरी 2010	शून्य
	—यथोपरि—	फरवरी 2010	₹1909
10	श्री त्रिलोकी नाथ अत्री, सफाई निरीक्षण	नवम्बर, 2009 से जनवरी 2010	₹500
	—यथोपरि—	फरवरी 2010	₹7258
11	श्री अजमेर सिंह ठाकुर, कार्यकारी अधिकारी	अप्रैल, 2010 से जनवरी 2011	₹400
	—यथोपरि—	फरवरी 2011	₹4378
12	श्री कर्म सिंह राठौर, कनिष्ठ सहायक	अप्रैल, 2010 से जनवरी 2011	₹250
	—यथोपरि—	फरवरी 2011	₹1959
13	श्री हेमन्त कुमार, कनिष्ठ सहायक	अप्रैल, 2010 से जनवरी 2011	₹100
	—यथोपरि—	फरवरी 2011	₹4590
14	श्री शक्ति चन्द, इलैक्ट्रिशियन	अप्रैल, 2010 से जनवरी 2011	₹700
	—यथोपरि—	फरवरी 2011	₹2858
15	श्री त्रिलोकी नाथ अत्री, सफाई निरीक्षक	अप्रैल, 2010 से जनवरी 2011	₹1200
	—यथोपरि—	फरवरी 2011	₹4239
16	श्री आर0के0 गुप्ता, सहायक अभियन्ता	अप्रैल, 2010 से जनवरी 2011	₹1500
	—यथोपरि—	फरवरी 2011	₹18836
17	श्री एम0एल0 ठाकुर, अतिरिक्त सहायक अभियन्ता	अप्रैल, 2010 से जनवरी 2011	₹1000
	—यथोपरि—	फरवरी 2011	₹3822

18	श्री कृष्ण दत्त शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता	अप्रैल, 2010 से जनवरी 2011	₹100
	–यथोपरि–	फरवरी 2011	₹2175
19	श्री कर्म चन्द वर्मा, सफाई निरीक्षक	अप्रैल, 2010 से जनवरी 2011	₹700
	–यथोपरि–	फरवरी 2011	₹6504

अतः उपरोक्त प्रकरणों में नियमों की अवहेलना मे ंस्त्रोत पर आयकर की कटौती के सन्दर्भ में स्पष्टीकरण देते हुए भविष्य में वेतन से स्त्रोत पर आयकर की कटौती उपरोक्त नियमानुसार उचित प्रकार से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना अंकेक्षण को दर्शाई जाए।

8 व्यय :–

(क) ₹758553 के असमायोजित अग्रिम :–

नगर परिषद द्वारा विभिन्न कर्मचारियों/विभिन्न व्यक्तियों/विभिन्न संस्थाओं को विभिन्न उद्देश्यों हेतु समय–समय पर प्रदत्त अग्रिमों के लेखों की जॉच करने पर पाया गया कि यथा परिशिष्ट "थ" पर सम्पूर्ण विवरणानुसार ₹758553/–के अग्रिम दिनांक 31.3.2011 तक असमायोजित ही पड़े थे। चूकिं यह अग्रिम वर्ष 1999 से असमायोजित पड़े है तथा अत्याधिक अग्रिम नगर परिषद के कर्मचारियों को दिए गए है। अतः इन अग्रिमों का समायोजन न किया जाना नगर परिषद कार्यालय की कार्य प्रणली पर प्रश्न चिन्ह का परिचायल है।

अतः इन प्रकरणों पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए व इन अग्रिमों के सन्दीर्ा में अपेक्षित लेखें प्राप्त न होने की अवस्था मे ंप्रदत्त अग्रिम की वसूली ब्याज सहित सुनिश्चित कर नगर परिषद कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना अंकेक्षण को दर्शाई जाए।

(ख) ₹1347256 के विद्युत उपकरणों के क्रय में अनियमितता :–

माह मार्च, 2010 के व्यय वाऊचरों की जांच के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा माह 9/2009 में विभिन्न विद्युत उपकरणों के क्रय हेतु टेन्डर आमन्त्रित किये गये तथा तदोपरान्त माह 10/2009, 11/2009 तथा 10/2010 में क्रमशः वाऊचर संख्या 464, 465 तथा 736 द्वारा क्रमशः ₹215438 ₹108824 व ₹173844/– का भुगतान मै0 कमल सन्स एयर केयर, सेक्टर–10 पंचकुला को किया गया।

विभिन्न पक्षों को भेजे गये टेन्डरस आमन्त्रित पत्रों के अवलोकन से पाया गया कि नगर परिषद द्वारा फर्मों से फिलिप्स, बजाज, विप्रो तथा टविन्कल कम्पनी द्वारा निर्मित विद्युत उपकरणों की न्यूनतम दरें आमन्त्रित की गई तथा विभिन्न फर्मों/कम्पनियों द्वारा दिये गये मूल्यों में यह नहीं दर्शाया गया कि उनके द्वारा किस कम्पनी के उपकरणों के मूल्य दर्शाये गये है जिसकी अनुपस्थिति में नगर परिषद का प्रतियोगी मूल्य (टेन्डर) आमन्त्रित करने का उद्देश्य ही पूर्णरूप से विफल हो जाता है क्योंकि विभिन्न फर्मों द्वारा प्रस्तुत मूल्यों से कोई भी तुलना नहीं की जा सकी है। नगर परिषद द्वारा बजाज कम्पनी के विद्युत उपकरणों का क्रय किया गया है तो ऐसी अवस्था में नगर परिषद द्वारा केवल बजाज के ही मूल्य सभी फर्मों से क्यों आमन्त्रित नहीं किये गये? हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 98 में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रतियोगी मूल्य आमन्त्रित करते हुये वस्तुओं की वांन्छित विशिष्टता एवं गुणवत्ता को (तमुनपेपजम`चमबपपिबंजपवद –ुनंसपजल) आवश्यक रूप से दर्शाया जाये ताकि विश्वसनीय सप्लार्यस से उचित मूल्य पर वस्तुओं की प्राप्ति की जा सके। विद्युत उपकरणों के क्रय में वांन्छित औपचारिकताओं को पूर्ण न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में इस प्राकर की त्रुटियों की पुनरावृति न कि जाये तथा खरीदे गये सामान के प्रत्येक बिल पर निम्न प्रमाण–पत्र आवश्यक रूप से दिया जाये।

Certificate to be given on Purchase bills

We the following members of purchase committee are jointly and individually satisfied that the goods recommended for the purchase are of the requisite specification and quality, priced at the prevail market rates and the supplier recommended is reliable and competent of supply the goods in question."

उपरोक्त वर्णित क्रय के अतिरिक्त वाऊचर संख्या 694 व 695 माह 3/2010 के द्वारा मै0 ठाकुर ट्रेर्डस, लक्कड़ बाजार सोलन को भी विद्युत उपकरणों की आपूर्ति के उपरान्त ₹849150/–का भुगतान किया गया है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा विद्युत उपकरणों की आपूर्ति करने हेतु प्राप्त की गई सभी सम्बन्धित पक्षों द्वारा अंकित मूल्यों की मूल्य सूची (च्तपबम सपेज) से मिलान कर न्यूनतम दरों से अंकेक्षण को अवगतग करवाया जाये।

(ग) बिना बिल के ₹165188/–के स्ट्रीट लाईट विद्युत उपकरणों का अनियमित क्रयः–

नगर परिषद सोलन द्वारा माह 3/2010 में वाऊचर संख्या 696 व 697 द्वारा ₹165188/– (₹82688 व 82500) का भुगतान मै0 एस0बी0 इन्टरप्राईजिज मोहाली पंजाब को स्ट्रीट लाईटस विद्युत उपकरणों की खरीद की एवज में किया गया है। परन्तु मै0 एस0बी0 एन्टरप्राईजिज द्वारा दिये गये सामान का बिल न तो अंकेक्षण को प्रस्तुत न किये गये अभिलेखों में पाया गया और न ही अंकेक्षण द्वारा मांगे जाने पर ही प्रस्तुत किया गया जबकि खरीदे गये विद्युत उपकरणों को स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 197 प्रविष्टि किया गया है। अतः स्पष्ट किया जाए कि स्टॉक रजिस्टर में क्रय की गई मदों की किस आधार पर बिना बिल के प्रविष्टि की गई है तथा किस प्रकार ₹165188/–का भुगतान किया गया है? उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं पर भी स्थिति स्पष्ट की जायेः–

1) उपरोक्त खरीद हेतु समुचित मंजूरी ली गई है तथा सक्षम अधिकारी द्वारा विहित नियमों/आदेशों के अनुसार ही सामग्री खरीदी गई है।

2) उपरोक्त खरीद से सम्बन्धित समर्थित बिल अन्य अभिलेख सहित अंकेक्षण को प्रस्तुत किया जाए ताकि कृत भुगतान का सत्यापन किया जा सके।

3) उपरोक्त खरीदी गई मदों को प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित दर संविदा फर्म से न खरीदे जाने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा उक्त खरीद अधिक दर पर क्रय किये जाने की सिािति में अधिक भुगतान की सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से वसूली की जानी सुनिश्चित की जाये।

4) उपरोक्त खरीदी गई मदें 3/2010 से 12/2011 तक भी प्रयोग में नहीं लाई गई है जैसा कि स्टॉक रजिस्टर के अवलोकन से विदित होता है। अतः अनावश्यक विद्युत उपकरणों को क्रय करने तथा परिषद की ₹165188/–की धनराशि को व्यर्थ व्यय करने हेतु सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का उतारदायित्व निर्धारित करने के साथ–2 पूर्ण स्थिति स्पष्ट की जाये।

(घ) हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमों की अवहेलना निजि मुद्रणालय से ₹34608/–का छपवाई (च्तपदजपदह) कार्य :–

वाउचर संख्या 155 माह 7/2010 की जांच करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा माह 2/2010 में मै0 बधाट को ओप्रेटिव प्रिंटिंग प्रैस दि माल सोलन से विािन्न रसीद बुकों/प्रपत्रों तथा रजिस्टरों का मुद्रण कार्य करवाया गया जिस हेतु ₹34608/–का भुगतान

उक्त प्रैस के बिल संख्या 420 दिनांक 2.2.2010 के विरूद्ध किया गया। इस भुगतान के सन्दर्भ में निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियां हैः–

i) इन प्रपत्रों को निजि मुद्रणालय (च्तपबंजम च्तपदजपदह च्तमे) से छपवाने से पहले नगर परिषद द्वारा नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग से आवश्य अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है जैसा कि हिमाचल प्रदेश वित्तिय नियम, 1971 के नियम 19.5 के उपनियम 8 सहवठित हिमाचल प्रदेश वित्तिय नियम 2009 के निसयम 194 में वांन्छित है। अतः इस प्रकरण में इन नियमों के उलंघन के सन्दर्भ में अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त भविष्य में इन दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित किया जाये।

ii) रसीद बुकों के स्टॉक रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि मै0 बघाट को–ओप्रेटिव प्रिटिंग प्रैस सोलन द्वारा 102 रसीद बुकों (च्ंतापदह मिम इववो) की सप्लाई बिल संख्या 420 दिनांक 2.2.2010 को की गई जबकि स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 142 पर दिनांक 26.11. 2009 से 2.2.2010 तक नगर परिषद द्वारा उपरोक्त रसीद बुकों में से 22 रीद बुकों को विभिन्न कर्मचारियों को जारी भी कर दिया गया था जोकि असम्भव एवं संशयपूर्ण प्रतीत होता है। अतः इस प्रकरण की विस्तृत छानबीन कर वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

iii) उपरोक्त मुद्रित सामग्री में से ₹4200/–की निम्नविवरणानुसार सामग्री दिनांक 19.12.2011 तक अनुपयुक्त पड़ी थी जिससे स्पष्ट होता है कि यह कार्य कार्याल की आवश्यकता को ध्यान में न रखते हुये आपूर्तिकर्ता को अनावश्यक लाभ देने के उद्देश्य से किया गया हैः–

क्र0सं0	विवरण	मात्रा (प्रतियो में)	मूल्य (₹)	कुल राशि (₹)
1	कन्टीजैन्ट बिल फार्म	20	70	1400
2	पानी कनैक्शन फार्म	20	70	1400
3	पानी आवेदन फार्म	20	70	1400
			कुल योग	₹4200

अतः इस प्रकरण में अंकेक्षण को ठोस कारणों सहित वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जाये अन्यथा साभिप्राय (प्दजमदजपवदंससल) करवाये गये उपरोक्त अनियमित मुद्रण कार्य के लिये उत्तरदायत्वि निर्धारित करते हुये दोषी के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चिमत कर अनुपालना अंकेक्षण को दर्शाई जाये।

(ङ) ₹16738/–की प्रकाशित सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियॉ न करनाः–

नगर परिषद के माह 3/2010 व माह 7/2010 के व्यय वाऊचरों की जांच करने पर पाया गया कि कार्यालय द्वारा निम्नविवरणानुसार प्रकाशित सामग्री की स्ऑक प्रविष्टियां नहीं की गई हैः–

क्र0 सं0	वाउचर का विवरण	प्रकाशित सामग्री का विवरण	फर्म का विवरण	प्रकाशित सामग्री का मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) {(3)(4)}
1	वाउचर सं0 124 माह 7/2010	2500 अदद भ्दक इपसस / ₹350६चमत 1000	जीम समह मदक च्तपदजमते ंदक ंकअमतजपेमते अपकम इपसस छवण 349 कंजमक 22.4. 2010	₹875
2	–यथोपरि–	300 अदद निमन्त्रण पत्र सपरून कार पार्किंग स्थल उदघाटन बारे ₹3.50 प्रति कार्ड की दर से तथा 4% अतिरिक्त कर	डध्ै कनजजेवद वींमिज च्तपदजमते डण्६ बवउचसमग बपतबनसंत त्वंक ैवसंद अपकम इपसस छवण 1837 कजण 15. 5.2010	₹1092
3	वा0सं0 150 माह 7/2010	1200 अदद निमन्त्रण पत्र तथा 600 थ्वसकमते क्रमशः	डध्ैमीहंस च्तपदजमते ंदक चंबामते	₹14711
4		₹355 प्रति 100 तथा ₹1625 प्रति	तंरहंती तवंक ैवसंद	

100 की दर से
तथा 5%
अतिरिक्त कर

कुल योग ₹16738

अतः उपरोक्त प्रकाशित सामग्री की प्राप्ति व निर्माण की स्टॉक प्रविष्टियॉ करके अनुपालना अंकेक्षण को दर्शाने के अतिरिक्त भविष्य में प्रकाशित सामग्री स्टॉक प्रविष्टि समय रहते की जानी सुनिश्चित की जाए।

(च) पुरानी एवं अनुपयोगी वस्तुओं की नीलामी के फलस्वरूप ₹9451/–की शेष वसूलीः–

नगर परिषद द्वारा दिनांक 10.8.2010 को अवधि 7.6.2006 से 14.7.2010 के दौरान स्ट्रीट लाईटस, पानी सप्लाई डस्ट बिन्स (लोहे के) व अन्य लोहे के पुराने व मुरम्मत के अयोग्य वस्तुओं की नीलामी की गई तथा निलामी में मै0 आशु जैन निवासी धर्मपुर जिला सोलन को अधिकतम बोली के आधार पर 13337 किलो ग्राम लोहे का समाान तथा 94 किलोंग्राम पितल का सामान क्रमशः ₹16.50 प्रति किलों तथा ₹94/–प्रतिकिलो के हिसाब से नलिाम किया गया जिसका मूल्य निम्नविवरणानुसार ₹237451/–आंका गयाः–

क्र0सं0	विवरण	नीलाम की गई वस्तु का भार	नीलामी दर प्रति किलो	कुल नीलामी मूलय
1	लोहे का सामन	13337कि0ग्रा0	16.50	220060.50
2	पीतल का सामान	94कि0ग्रा0	185	17390.00
				237450.50
			व्त`ल	₹237451

उपरोक्त ₹237451.00 मे ंसे नगर परिषद को मात्र ₹228000/–की ही राशि प्राप्त हुई जिसका विवरण निम्न हैः–

क्र0सं0	रसीद सं0	दिनांक	राशि (₹)

1	118 / 80	10.8.2010	5000
2	118 / 85	16.8.2010	94000
3	118 / 86	17.8.2010	50000
4	132 / 26	4.9.2010	54000
5	132 / 62	29.9.2010	25000
			228000

अतः नीलाम की गई वस्तुओं की कुल राशि में से ₹9451/–(237451–228000) की राशि प्राप्त होनी शेष है जिसकी शीध्र अतिशीध्र वसूली की जाये तथा इसके अतिरिक्त निम्न अनियमितताओं बारे भी अंकेक्षण को स्थिति स्पष्ट की जायेः–

1) नीलाम की गई वस्तुओं की नीलामी हेतु बनाई गई समिति में किन–2 अधिकारयिों/कर्मचारियों को शामिल किया गया इसकी सूची न तो अंकेक्षण को प्रस्तुत अभिलेखों में पाई गई और न ही अंकेक्षण के मांगे जाने पर प्रस्तुत की गई जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें।

ण्) नगर परिषद द्वारा नीलाम की गई वस्तुओं को वनज गाड़ी में सामान को भरने के प्श्चात करवाया गया है परन्तु खाली गाड़ी का वनज नगर पिरषद के किस अधिकारी की उपस्थिति में करवाया गया है यह स्पष्ट नहीं किया गया है और न ही सम्यापित या प्रमाणित किया गया है कि वनज करते समय गाड़ी खाली थी जिसकी अनुपसि्थ्ति में गाड़ी का वनज सही न होने की आशंका उत्पन्न होती है जिसे स्पष्ट किया जाये।

(छ) ₹37984 के सामान की स्टॉक प्रविष्टियां अंकेक्षण का न दर्शाना :–

नगर परिषद सोलन के माह 7/2010 के व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि नगर परिषद कार्यालय द्वारा निम्नविवरणानुसार ₹37984/– का सामान विभिन्न फर्मों से क्रय किया गया जिसकी स्टॉक प्रविष्टियॉ (प्राप्ति एवं निर्गम) अंकेक्षण को नहीं दर्शाई गईः–

क्रमांक	फर्म, बिल तथा वाउचर का विवरण	क्रय की गई वस्तु का विवरण	वस्तु की प्रमात्रा	राशि
1	वा0सं0 158 माह 7/2010 द्वारा मैसर्ज	Compag PC CQ 3 120 ix, Pentium E 533(w) 2.6 GhzDual	1	₹27550

	आर0के0एस0 कम्पयूटरर्ज दि माल सोलन से बिल संख्या 0024 दिनांक 17.6.2010 के अन्तर्गत	core, JGB RAM,320GB SATA Hard Disk, DUD writer, Key Board optical Mouse 18" Compaq W185qLCD Monitor		
2	–यथोपरि–	APC BR 550 CI-IN UPS with AVR 550 V A having 21 minutes back uptime	1	₹2380
3	–यथोपरि–	HDLCD TV Tuner of make Tech. com. With insteallation	1	₹2350
4	–यथोपरि–	Computer Table having size 0.75x0.60mtrs	1	₹2800
			योग	₹35080
		5% वैट प्रभार		₹1754
		कुल योग		₹36834
5	वा0सं0 124 माह 7/2010 द्वारा मैसर्ज एम0एस0 स्टील वर्कस राजगढ़ रोड, सोलन से बिल संख्या 005 दिनांक 12.4. 2010 के अन्तर्गत	पानी की टंकी के ढक्कन	5	₹1150
			कुल योग	₹37984

चूंकि स्ऑक प्रविष्टियों के अभाव में दर्शया गया क्रय प्रमाणिक नहीं माना जा सकता। अतः वांन्छित स्ऑक प्रविष्टियॉ (प्राप्ती व निर्गत की) आगामी अंकेक्षण को दर्शाने के अतिरिक्त यह प्रविष्टियों वर्तमान अंकेक्षण को न दर्शाए जाने के कारणों से भी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ज) <u>वास्तुनक्शा, आंकलन ब्यौरा व संरचनात्मक रेखाचित्र (Achitectural Map, detaited estimate and structural drawings) प्रभार के रूप में ₹37500/–का अपव्यय</u> :–

वाचउर संख्या 651 माह 3/2010 की जांच करने पर पाया गया किइस वउाचर द्वारा श्री अमि सूद, वास्कार को सन्नी साईड, सोलन में नगर परिषद द्वारा बनाई जाने वाली पार्किंग के वास्तुनक्शा, आंकलन ब्यौरा व सरंचनातमक रेखाचित्र प्रभार का ₹18750/–का भुगतान बतौर द्वितीय व अन्तिम बिल के रूप में किया गया। इसके अतिरिक्त प्रथम चलत बिल का ₹18750/–का भुगतान दिनांक 17.9.2009 को किया गया है। इस प्राकर इस वास्कात को उपरोक्त कार्य हेतु ₹18750/–(+) ₹18750=₹37500/–का कुल भुगतान किया गया है।

इस प्रकरण में जहॉ तक वास्तुकार की सेवाऐं वास्तुनक्शाा तथा सरंरचनात्मक रेखाचित्र बनाने हेतु लेने का प्रश्न है नगर परिषद कार्यालय में वास्तुकार का पद न होने के कारण न्यायोचित है। किन्तु आंकलन ब्यौरा (Delaited estimate) बनाने हेतु भी वास्तुकार की सेवाऐं लेना तर्कसंगत प्रतीत हनीं होता क्योंकि नगर परिषद कार्यालय में सहायक अिभियन्ता तथा दो कनिष्ठ अभियन्ता के अतिरिक्त शहरी विकास निदेशालय में अधिशासी अिभियन्ता भी कार्यरत्त है। अतः ऐसी अवस्थाओं में आंकलन ब्यौरा निजि वास्कार से तैयार करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

इसके अतिरिक्त उपरोक्त द्वितीय एवं अन्तिम बिल की प्रविष्टियॉ किसी भी माप पुस्तिका में नहीं की गई है जबकि प्रथम चलत बिल की प्रविष्टियां माप पुस्तिका संख्या 209 के पृष्ठ 48 तथा 49 पर की गई है। अतः वांन्छित प्रविष्टियॉ अंकित कर अनुपालना अंकेक्षण को दर्शाने के अतिरिक्त उक्त प्रविष्टियॉ अब तक न किए जाने के कारणों से भी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(झ) <u>₹150000/–का भुगतान तर्क संगत अभिलेख के बिना करनाः</u>–

वाउचर संख्या 169 माह 7/2010 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को वाटर सैस (Water cess) का ₹150000/– का भुगतान किया गया ।अभिलेख के अवलोकन सेपाया गया कि नगर परिषद कार्यालय द्वारा उपरोक्त बोर्ड को ˘जमत बमे के भुगतान से सम्बन्धित काई रजिस्टर अथवा कोई अन्य तक्रसंगत अभिलेख का रखरखाव नहीं किया गया है जिससे यह ज्ञात हो सके कि प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को किस अवधिका कितना शुल्क अदा किया जा चुका है तथा कितना भुगतान योग्य शेष है। उपरोक्त ₹150000/–का भुगतान वाउचर के साथ संलग्न हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड कार्यालय शिमला में

दिनांक 14.1.2010 को नगर परिषद सोलन कार्यालय के कर्मचारियों की उपस्थिति में हुई व्यक्तिगत सुनवाई में पारित निम्न आदेशों की अनुपालना में किया गया हैः–

After detailed deliberation the following issues were decided:

(i) Demand Draft Nos 915102 and 156038 dated 13.01.2010 and 11.2.2010 of ₹1.00 Lakh each has been remitted in the regional office Parwanoo vide letter No. MCS/2010-165-166 and Endst no. 580 dated 12.1.2010 and 10.2.2010 The balance principal amount of ₹304048/- only will be deposited within two mentos period. The interest will be remitted in the shape of wquated instalments to be decided after the principal amount is fully paid up.

(ii) Water cess return from 1.12.2007 to 31.12.2009 to be filed within a week time.

उपरोक्त से स्पष्ट है कि जहॉ एक और नगर परिषद कार्यालय द्वारा हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को ॅजमत ब्मे के रूप में किए जा रहे भुगतान से सम्बन्धित कोई तर्कसंगत अभिलेख का रख–रखाव नहीं किया जा रहा वहीं यह भुगतान नियमित रूप से भी नहीं किया जा रहा अन्यथा उपरोक्त आदेशों में विलमब पर ब्याज का प्रश्न उत्पन्न न होता।

अतः इस प्रकरण की गहन छानबीन कर वस्तुस्थिति ज्ञात की जाए तथा इस भुगतान से सम्बन्धित लैजर अथवा रजिस्टर तैयार करके भविष्य मे प्रत्येक प्रविष्धियों भुगतान के समय ही की जानी सुनिश्चित की जाए। इस प्रकरण में यह भी सुनिश्चित की जाए कि भुगतान में विलम्ब पर ब्याज का भुगतान नगर परिषद की निधि से न करके सम्बन्धित कर्मचारी2कर्मचारियों से सुनिश्चित किया जाए।

(ञ) सफाई ठेकेदारों को किए गए ₹79190/–को भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना :–

नगर परिषद कार्यालय द्वारा वाउचर संख्या 129 माह 7/2011 द्वारा निम्नविवरणानुसार सफाई ठेकेदारों को ₹79190/–का भुगतान किया गया :–

क्र0 सं0	**भुगतान वा0सं0 व दिनांक**	**राशि**
1	श्री मुकेश कुमार, पुत्र श्री मनफूल वार्ड नं0 13 ग्राम कलीन, सोलन बाबत अदायगी बराए शहर के विभिन्ननालों की सफाई माह 6/2010 में करने बारे।	₹27940

2	श्री महेश चन्द पुत्र श्री राम किशोर वार्ड नं0 13 ग्रामकालीन सोलन बाबत अदायगी बराए हाऊसिंग बोर्ड कलौनी फेज–II की सफाई माह 6/2010 में करने बारे	₹3750
3	श्री महेन्द्र सिंह सुपुत्र श्री सोहनवीर, आदर्शनगर धोबीघाट, सोलन बाबत अदायगी बरा वार्ड नं0 7 की सफाई माह 6/2010 में करने बारे।	₹25500
4	–यथोपरि–बाबत वार्ड नं0 1 तथा 13 की सफाई माह 6/2010 में करने बारे।	22000
	कुल योग	**₹79190**

उपरोक्त वाउचर के साथ संलग्न कार्यालय नोटों के अनुसार उपरोक्त सफाई ठेकेदारों को उपरोक्त ₹79190/–का भुगतान निम्न विवरणानुसार किया गया हैः–

(1) क्रम संख्या 1 पर वर्णित श्री मुकेश कुमार को 10 सफाई कर्मचारियों के 254कार्य दिवसों का ₹27940/–का भुगतान यिा गया है जिसकी मजदूरी औसत प्रति सफाई कर्मचारी ₹110/–प्रतिदिन हे।

(2) क्रम संख्या 2 पर वर्णित श्री महेश चन्द को एक सफाई कर्मचारी के 30 दिनों का ₹3750/–का भुगतान किया गया है जिसकी मजदूरी औसत प्रति सफाई कर्मचारी ₹125/–प्रतिदिन है।

(3) क्रम संख्या 3 पर वर्णित श्री मोहिन्द्र सिंह को 7 कर्मचारियों के 210 कार्य दिवसों का ₹255000/–का भुगतान किया गया है जिसकी मजदूरी औसत प्रति सफाई कर्मचारी ₹121.43 है।

(4) क्रम संख्या 4 पर वर्णित इसी सफाई ठेकेदार (मोहिन्द्र सिंह) को 6 सफाई कर्मचारियोग के 180 कार्य दिवसों का जिसकी मजदूरी औसत प्रति सफाई कर्मचारी ₹122.22 है।श

अतः उपरोक्त मजदूरी में असमानता का औचित्य स्पष्ट करने के अतिरिक्त अंकेक्षण को उन कारणसों व परिस्थितियों से भी अवगत करवाया जाए जिनके रहते हुए नगर परिषद कार्यालय द्वारा 87 विद्यमान सफाई कर्मचारियों के होते हुए भी सफाई कार्य ठेके पर दिया गया।

चूंकि इस सन्दीा में चर्चा में अंकेक्षण को यह बताया गया कि यह कार्य ठेके पर देने बारे नगर परिषद के सदन में निर्णय लिए गए है, तथा न तो अंकेक्षण को उक्त निर्णय दर्शाए

गए और न ही कोई अन्य अभिलेख जैसे कि छवजपबम प्दअपजपदह ज्मदकमतेध्फनवजंजपवदे तुल्नात्मक विवरणी, ूंतक समजजमत तथा अनुबन्ध यदि कोई किया गया है, अंकेक्षण के बारम्बार मागने पर भी उपलब्ध नहीं करवाए गए। अतः इन दस्तावेजों को उपलब्ध न करवाने के कारणों से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त समस्त वांन्दित अिाालेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ट) <u>विज्ञापनों पर ₹69714/—का अनियमित व्यय</u> :—

वाउचर संख्या 168 माह 7/2010 की जॉच करने पर पाया गया कि नगर परिषद, सोलन द्वारा शूलिनी मेला, 2010 के विज्ञापन के प्रकाशन/प्रसारण का निम्न समाचाार पत्रों/सीटी चैनल/स्क्रीन प्लें ऐजेन्सी को निम्न विवरणानुसार ₹69174/—का भुगतान किया गया।

क्रमांक	समाचार पत्र/सीटी चैनल/स्क्रीन प्ले एजैन्सी का विवरण	भुगतान की गई राशि
1	पंजाब केसरी	₹10080
2	आपका फैसला	₹8000
3	दिव्य हिमाचल	₹6500
4	दैनिक भास्कर	₹5000
5	पहली खबर	₹5000
6	शूलिनी समाचार	₹8000
7	ग्रास साप्ताहिक	₹3000
8	मैसर्ज बृज व्यू ब्रांड बैन्ड नैटवर्क	₹6000
9	सोलन पत्रिका	₹2500
10	हिमालयन पब्लिकेशनज	₹2500
11	मैसर्ज पाम्ज मीडिया प्रोडक्शन	₹2500
12	अमर उजाला	₹5094
13	दैनिक जागरण	₹5000
	कुल योग	₹69174

वित्तायुक्त एवं सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार के मितव्ययता आदेश संख्या फिन1–स(14)1/83 दिनांक 6.9.1995 के अनुसार विज्ञापनों पर व्यय हेतु प्रशासनिक विभाग, तभी सक्षमह॓ जब विज्ञापन के सन्दर्भ में वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की हो किन्तु इस प्रकरण में नगर परिषद कार्यालय द्वारा न तो प्रश्शसनिक विभाग और न ही वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की गई हैं जिनकी अनुपस्थिति में नगर परिषद कार्यालय द्वारा कृत उपरोक्त ₹69174/–का भुगतान अनियमित है। अतः इस प्रकरण में अपेक्षित आवश्यक प्रशासनिक विभाग व वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त की जाए ताकि कृत अनियमित भुगतान का नियमन सम्भव हो सके।

इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि नगर परिषद कार्यालय द्वारा विज्ञापन रजिस्टर अविा लैजर का रख रखाव नहीं किया जा रहा जिसकी अनुपस्थिति में यह ज्ञात न हो सका कि अंकेक्षण अवधि में नगर परिषद कार्यालय द्वारा विज्ञापनों पर कुल कितना व्यय किया गया है क्योंकि उक्त कार्यालय द्वारा विज्ञापन चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति तथा अन्य छुटपुट व्यय को General contingencies से वहन किया जाता है। अतः भविष्य में न केवल उपरोक्त रजिस्टर/लैजर का रख रखाव अपितु चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति तथा विज्ञापनों पर व्यय सम्बन्धित वयय शीर्षों से वहन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ठ) तकनीकी अनुमोदन प्रभार (Technical Sanction charges) के रूप में ₹23893/–का अपव्यय :–

वाउचर संख्या 649 माह 3/2010 की जांच करने पर पाया गया कि नगर परिषद कार्यालय द्वारा अधिशासी अभियन्ता हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग सोलन को नगर परिषद कार्यालय के पीछे प्रस्तावित कार पार्किंग के प्राक्कलन (मेजपउंजम) की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के एवज में अनुमानित लागत अर्थात ₹2389300/–का 1**%** भाग को ₹23893/–का भुगतान किय ागया।

चूंकि शहरी विकास निदेशालय में अधिशासी अभियन्ता के र्प्यवेक्षण में एक पूर्णांग (full fledged) कक्षा (wing) स्थापित है। अतः हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग सोलन को कृत उपरोक्त भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(ड) ₹3350/–का संदेहास्पद भुगतानः–

वाउचर संख्या 712 माह 3/2010 द्वारा मैसर्ज राज टैन्ट सर्विस लक्कड़ बाजार सोलन को दिनांक 15.8.2009 को स्वतंत्रता दिवस के आयोजन हेतु नगर परिषद सोलन को टैन्ट, सोफे मेजों, कुर्सियॉं और कालीन इत्यादि किराए पर उपलब्ध करवाने के एवज में उक्त फर्म के निम्न बिलों का ₹16910/—का भुगतान किया गयाः—

क्र0सं0	फर्म बिल संस्था व दिनांक	वस्तु का विवरण	वस्तु की प्रमात्रा	किराया प्रति वस्तु	कुल राशि
1	2521 दिनांक 16.8.09	कुर्सियां (cane)	300	₹5	₹1500
2	—यथोपरि—	कुर्सियां (Dunlop)	150	₹12	₹1800
3	—यथोपरि—	टैन्ट 15"X10"	8	₹250	₹2000
4	—यथोपरि—	पर्दे 15"X10"	16	₹80	₹1280
5	—यथोपरि—	कालीन	50	₹100	₹5000
6	—यथोपरि—	मेज	6	₹25	₹150
7	—यथोपरि—	मेज का कपड़ा	6	₹5	₹30
8	—यथोपरि—	गलीचा (Galicha)	20	₹30	₹600
9	—यथोपरि—	सोफा	6	₹100	₹600
10	—यथोपरि—	Red Carpet	6	₹100	₹600
				कुल योग	₹13560
11	2548 दिनांक 20.9.09	टैन्ट	2	₹250	₹500
12	—यथोपरि—	कुर्सियां (cane)	50	₹5	₹250
13	—यथोपरि—	कुर्सियां	50	₹12	₹600

		(Dunlop)			
14	–यथोपरि–	कालीन	20	₹100	₹2000
				कुल योग	₹3350
			₹13560+₹3350		₹16910

उपरोक्त से स्पष्ट है कि क्रम संख्या 1 से 10 पर वर्णित सामान ही दिनांक 15.8.09 को आयोजित स्तन्त्रता दिवस समारोह में प्रयोग हुआ तथा शेष क्रम संख्या 11 से 14 पर वर्णित सामान उस दिन प्रयोग नहीं हुआ क्योंकि सामान उस दिन प्रयोग नहीं हुआ क्योंकि बिल संख्या 2548 दिनांक 20.9.2009 का है तथा यदि क्रम संख्या 1 से 10 की भांति क्रम संख्या 11 से 14 पर सामान भी दिनांक 15.8.200'9 को प्रयोग हुआ होता तो इस सामान का किराया भी दिनांक 16.8.2009 के बिल में शामिल हुआ होता।

चूंकि यह कार्य वर्क आर्डर संख्या 000039 (ठववा छवण 6) दिनांक 14.8.2009 राशि ₹16910/–के विरूद्ध करवाया गया है अतः प्रतीत होता है कि दिनांक 20.9.2009 का बाद वाला ₹3350/–का बिल मात्रा उपरोक्त वर्क आर्डर की राशि को मिलान करने के उद्देश्य से प्रस्तुत यिा गया है। अतः दर्शाया गया गया यह ₹3350/–का भुगतान संदेहास्पद प्रतीत होता है जिसकी दानबीन कर वस्तुसिीति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा इस राशि की वसूली दोषी कर्मचारी से सुनिश्चित कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ढ) <u>समाचार पत्रों पर ₹2909/–का अपव्यय</u> :–

अतिरिक्त सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या फिन(सी)ए(3)8/83,दिनांक 9.10.2002 द्वरा विभागाध्यक्ष हेतु दो समाचार पत्रों की सीमा निर्धारित की गई है किन्तु नगर परिषद सोलन के प्रकरण में पाया गया कि उक्त कार्यालय द्वारा अंकेक्षण अवधि में माह 8/2010 से 10/2010 को छोड़कर शेष मासों में तीन से पॉच तक समाचार पत्रों का प्रतिदिन क्रय नगर परिषद कोष से किया गया है जिस कारण इस मद पर निम्न विवरणानुसार ₹2909/–का अपव्यय किया गया हैः–

माह	माह के दौरान क्रय किए गए समाचार	भुगतान की राशि (जो पूरे माह में की	अपव्यय की राशि (न्यूनतम भुगतान को

	पत्र	गई)	अपव्यय मानते हुए)
4/2009	हिन्दुस्तान टाईम्ज दिव्य हिमाचल पंजाब केसरी आपका फैसला	₹94 ₹94 ₹92 ₹60	₹92+₹60=₹152
5/2009	हिन्दुस्तान टाईम्ज दिव्य हिमाचल पंजाब केसरी आपका फैसला	₹98 ₹108 ₹95 ₹62	₹95.50+₹62=157.50
6/2009	हिन्दुस्तान टाईम्ज दिव्य हिमाचल पंजाब केसरी आपका फैसला दैनिक भास्कर	₹94 ₹94 ₹92 ₹90 ₹60	₹90+₹6=₹150
7/2009	हिन्दुस्तान टाईम्ज दिव्य हिमाचल पंजाब केसरी आपका फैसला दैनिक भास्कर	₹97 ₹97 ₹95 ₹93 ₹62	₹93+₹62=₹155
8/2009	हिन्दुस्तान टाईम्ज दिव्य हिमाचल पंजाब केसरी आपका फैसला दैनिक भास्कर	₹98 ₹95 ₹90 ₹80 ₹96	₹90+₹80=₹170
9/2009	हिन्दुस्तान टाईम्ज	₹94	₹90+₹80=₹170

	दिव्य हिमाचल पंजाब केसरी आपका फैसला दैनिक भास्कर	₹90 ₹94 ₹92 ₹80	
10/2009	हिन्दुस्तान टाईम्ज आपका फैसला दिव्य हिमाचल दैनिक भास्कर पंजाब केसरी	₹94 ₹90 ₹95 ₹85 ₹92	₹90+₹85=₹175
11/2009	हिन्दुस्तान टाईम्ज आपका फैसला दिव्य हिमाचल पंजाब केसरी दैनिक भास्कर	₹90 ₹94 ₹92 ₹80	₹90+₹80=₹170
12/2009	हिन्दुस्तान टाईम्ज पंजाब केसरी दिव्य हिमाचल आपका फैसला दैनिक भास्कर	₹97 ₹95 ₹97 ₹93 ₹82	₹93+₹82=₹175
1/2010	हिन्दुस्तान टाईम्ज पंजाब केसरी दिव्य हिमाचल आपका फैसला दैनिक भास्कर	₹95 ₹93 ₹95 ₹90 ₹87	₹90+₹87=₹177
2/2010	हिन्दुस्तान टाईम्ज दैनिक भास्कर	₹88 ₹76	₹76+₹84=₹160

	दिव्य हिमाचल पंजाब केसरी आपका फैसला	₹88 ₹86 ₹84	
3 / 2010	हिन्दुस्तान टाईम्ज पंजाब केसरी आपका फैसला दिव्य हिमाचल दैनिक भास्कर	₹94 ₹92 ₹90 ₹94 ₹80	₹90+₹80=₹170
4 / 2010	हिन्दुस्तान टाईम्ज पंजाब केसरी आपका फैसला दिव्य हिमाचल दैनिक भास्कर	₹94 ₹92 ₹90 ₹94 ₹85	₹90+₹85=₹175
5 / 2010	हिन्दुस्तान टाईम्ज पंजाब केसरी आपका फैसला दिव्य हिमाचल दैनिक भास्कर	₹98 ₹95.50 ₹93 ₹98 ₹82	₹93+₹2=₹175
6 / 2010	हिन्दुस्तान टाईम्ज पंजाब केसरी आपका फैसला दिव्य हिमाचल दैनिक भास्कर	₹94 ₹92 ₹60 ₹94 ₹84	₹60+₹84=₹144
7 / 2010	हिन्दुस्तान टाईम्ज दिव्य हिमाचल दैनिक भास्कर	₹97 ₹98 ₹91.50	₹91.50+₹62=₹153. 50

	आपका फैसला पंजाब केसरी	₹62 ₹95	
8／2010	दिव्य हिमाचल दैनिक भास्कर	₹94 ₹84	शून्य
9／2010	दिव्य हिमाचल दैनिक भास्कर	₹94 ₹87.50	शून्य
10／2010	दिव्य हिमाचल दैनिक भास्कर	₹98 ₹89.50	शून्य
11／2010	दिव्य हिमाचल दैनिक भास्कर आपका फैसला	₹91 ₹90 ₹42	₹42
12／2012	दिव्य हिमाचल दैनिक भास्कर आपका फैसला	₹97 ₹100 ₹62	₹62
1／2011	दिव्य हिमाचल दैनिक भास्कर आपका फैसला	₹94 ₹90 ₹60	₹60
2／2011	दिव्य हिमाचल दैनिक भास्कर आपका फैसला	₹88 ₹84 ₹56	₹56
3／2011	दिव्य हिमाचल आपका फैसला दैनिक भास्कर	₹94 ₹60 ₹90	₹60
		कुल योग	₹2909

अतः उपरोक्त ₹2909/–के अपव्यय की वसूली उत्तरदायितव निर्धारित करते हुये राशि नगर परिषद निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित कर अनुपालना अंकेच्क्षण को दर्शाई जाए। क्योंकि अपव्यय का ऐसा ही प्रकरण अंकेक्षण अवधि 1.4.2007 से 31.3.2009 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी प्रकाश में लाया गया था जिसकी वसूली अंकेक्षण समाप्ति तक ही नहीं की गई अतः वसूली न किए जाने के कारणों से भी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ण) पानी फिटिंग्स के क्रय में अनियमितता :–

नगर परिषद सोलन द्वारा माह 01/2009 मे ंपानी की फिटिंग्स की आपूर्ति हेतु विीिन्न फर्मों से टैडर्स आमन्त्रित किये गये जिसमें मै0 आर0 के0टरेडर्स दी माल सोलन के पक्ष में अवार्ड लेटर नवम्बर, एमसी0/वर्क/2009–459 दिनांक 6.2.2009 के द्वारा न्यूनतम दरों के आधार पर पानी फिटिंग की आपूर्ति का आदेश दिया गया जिसमें निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गईः–

i) आपूर्ति की जाये वाली मदों की विशिष्टता का कोई वर्णन नहीं किया गया है कि कौन सी कम्पनी/फर्म के द्वारा निर्मित सामान की सप्लाई की जायेगी क्योंकि विभिन्न कम्पनियों द्वारा निर्मित एक ही प्रकार की वस्तु बाजार में भिन्न–2 मूल्यों पर उपलब्ध है जिसे निविदाये आमन्त्रित करते समय तथा आपूर्ति आदेश देते समय स्पष्ट किया जाना अत्यन्त आवश्यक है ताकि संस्था को अच्छी किस्म की वस्तु सही एवं प्रतियोगी मूल्य पर प्राप्त हो सके तथा एक ही कम्पनी द्वारा निर्मित उत्पाद की विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं/व्यवसायियों द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले मूल्यों में प्रतियोगिता मूल्यों का लाभ प्राप्त किया जा सके। अतः एक ही प्रकार के उत्पाद के मूल्यों में प्रतियोगिता न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में अंकेक्षण के सुझावानुसार कार्यवही अम्ल में लाई जाये।

ii) अवार्ड लैटर में यह नहीं दर्शाया गया है कि उनके द्वारा (व्यवसायी/फर्म) दिये गये मूल्य कब तक मान्य होगे।

iii) कि फर्म द्वारा कितनी अवधि के भतर वस्तुओं की आपूर्ति कर दी जायेगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त अवार्ड लैटर के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अवार्ड लैटर में वस्तुओं की आपूर्ति के स्थान पर निर्माण कार्यों की शर्तों को शामिल किया गया है जिस बारे भविष्य में आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही अम्ल में लाई जाये।

(त) पानी की सप्लाई लाईनों से बदले गये पुराने सामान को भण्डार में वापिस न करना :–

नगर परिषद के जल कार्य अनुभाग के खपत रजिस्टर व स्ऑक रजिस्टर की जॉच करने पर पाया गया कि पानी सप्लाई लाईनों में कृत मुरम्मत कार्य के कारण बढ़ती गई मुरम्मत सामग्री/सामान की पूरी मात्रा को भण्डार में जमा नहीं किया जा रहा है। अंकेक्षण अवधि 1.4.2009 से 31.3.2011 तक उपयोग में लाये जाने हेतु जाररी सामान तथा नये सामान को बदलने के फलस्वरूप प्राप्त हुये पुराने सामान का विवरण पैरा था दर्शाया गया है। जिससे प्रतीत होता है कि नये जारी सामान की तुलना में वापिस प्राप्त हुये सामान की मात्रा लगभग नगण्य है जिससे दर्शाया गया मुरम्मत कार्य संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः इस प्रकरण की गहन छानबीन कर अभियांत्रिकी कक्ष (Engineering cell) से यह सुनिश्चित करवाया जाये कि जारी किये गये नये सामान का प्रयोग नगर परिषद को पानी सप्लाई लाईनों की मुरम्मत हेतु ही प्रयोग में लाया गया है। इसके अतिरिक्त पुराने सामान जिसे भण्डार में वापिस नहीं किया गया है का आंकलन विभागीय स्त्तर पर करके सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये इसकी वसूली सुनिश्चित करने के साथ–2 गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 4 (ङ) में दर्शाई गई कम प्रमात्रा हेतु भी उतारदायित्व निर्धारित किया जाये तथा आवश्यक वसूली से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(थ) पानी की सपलाई लाईनों से बदले गये पुराने सामान भण्डार मे ंवापिस करने पर पाई गई कम वस्तुओं का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0सं0	सामग्री/वस्तु का विवरण	अंकेक्षण अवधि में उपयोग में लाई गई कुल प्रमात्रा	अंकेक्षण समाप्ति तक वापिस की गई पुरानी वस्तु की प्रमात्रा	कम वापिस की गई प्रमात्रा
1	Tee (All Dia)	114	35	79
2	Socke (all dia)	289	69	220
3	Band (all dia)	57	7	50
4	Nipple (all dia)	645	54	591

5	Albow (all dia)	415	13	402
6	Gate Value (all dia)	167	48	119
7	Redueer (all dia)	12	1	11
8	Toda wrench (all dia)	27	27	—
9	Pipe wrench 14"x18"	7	4	3
10	Die set ½"	2	1	
11	Brass Tape	29	4	1
12	G 1 pipe (all dia)	176	50	25
13	Flunge (all dia)	4	1	126
14	Union (all dia)	647	104	3
15	Plug (all dia)	110	—	543
				110

(द) <u>जल अनुभाग के स्टॉक/स्टोर बारेः</u>–

नगर परिषद सोलन के जल अनुभाग से सम्बन्धित वस्तुओं के स्टार/स्टॉक की जांच करने पर पाया गया कि विभिन्न वस्तुओं की स्टॉक प्रविष्टि करते समय यह नहीं दर्शाया जा रहा है कि खरीद गई वस्तु की क्या विशिष्टता (चमबप्रपबंजपवद) है अर्थात वस्तु किस कम्पनी द्वारा निर्मित की गई है और वस्तु का मूल्य क्या है क्योंकि बाजार में एक ही प्रकार की विभिन्न कम्पनियों द्वारा वस्तुओं विभिन्न मूल्यों पर उपलब्ध है। अतः खरीदी गई वस्तुओं की गुणवता व मूल्यों को ध्यान में रखते वस्तु की स्ऑक प्रविष्टि की जाये तथा किसी ीाी कर्मचारी को वस्तु विशेष को पुनः जारी करते समय उसी वस्तु को दिनांक सहित वापिस स्टॉक में लिया जाये जिसे स्टॉक से जारी किया गया था। नगर परिषद द्वारा पुरानी व मुरम्मत के अयोग्य (न्देमतअपबंइसम) वस्तुओं की प्राप्ति का स्पष्ट रूप से दर्शाया जये कि अमुक वस्तु किस कर्मचारी से व कब प्राप्त की गई है तथा प्रत्येक प्रकार की वस्तु के लिए अलग–2 पृष्ठों पर प्रविष्टि की जानी सुनिश्चित की जाये तथा इन वस्तुओं की नीलामी करते समय सभी

वस्तुओं की सूची बनाकर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही नीलामी हेतु प्रस्तुत की जाये।

इसके अतिरिक्त विभिन्न वस्तुओं की खरीद हेतु प्रापत की गई सक्षम अधिकारी की स्वीकृति को सम्बन्धित बिलों के साथ संलग्न किया जाये ताकि प्रत्येक खरीदी गई वस्तु की स्टॉक प्रविष्टि सुनिश्चित की जा सके तथा खरीद की पूर्ण जांच भी समीव हो सके।

(घ) स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों के नामांकन (Investory/Stock Register No.) बारे :–

विभिन्न मदों के स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों की जांच करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा किसी भी रजिस्टर को मुख्य स्टोर से जारी करते समय भण्डारण किया गया है कि उस रजिस्टर विशेष को इनवेन्टरी रजिस्टर (Register Maintaimed to record the issue of registers by the store incharge) के किस पृष्ठ व किस क्रमांक पर दर्ज किया गया है जिससे की कार्यालय प्रयोग में लाये जा रहे रजिस्टरों की सत्यता प्रमाणिक की जा सके तथा कार्यालय प्रमुख को कार्यालय प्रयोग में लाये जा रहे सभी रजिस्टरों की भी सही जानकारी प्राप्त हो सके। अतः नगर परिषद के सभी स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों को Inventory Register में दर्ज कर अंकेक्षण को अवगत करवाये।

(न) स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन न करनाः–

नगर परिषद सोलन द्वारा विद्युत उपकरण पंजिका के स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन नहीं करवाया गया है। अतः वर्ष–प्रतिवर्ष भौतिक सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये। जैसा कि हिमाचल प्रदेश वित्तिय नियम 2009 के नियम 140 में भी वर्ष में एक बार स्टोर/स्टॉक वस्तुओं का भौतिक सत्यापन किया जाना वांन्छित है।

9 निर्माण कार्य :–

(क) ₹41967335/–के टैन्डर बिना समाचार पत्रों में प्रकाशन के जारी करनाः–

नगर परिषद के अवधि 1.4.2009 से 31.3.2011के निर्माण कार्यों के अभिलेख कीपड़ताल करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा निम्न विवरणानुसार 365 विभिन्न निर्माण कार्यों से सम्बन्धित 17 टैन्डर बिना किसी समाचार पत्र में प्रकाशन के जारी किए गए है। हिमालच प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों एवं निर्माध कार्यों से सम्बन्धित नियमों के अनुसार यदि निर्माण कार्य टैन्डर की अनुमानित राशि ₹50000/–से अधिक है तो

टैन्डर नोटिस का क्षेत्रीय समाचार पत्रों एवं गिरिराज साप्ताहिक में प्रकाशित होना अनिवार्य है ताकि टैन्डर जारी करने वाली संस्था को प्रतियोगी दरों का अधिक से अधिक लाभ मिल सके।

क्र0सं0	टैन्डर आमन्त्रण सम्बन्धी पत्र सं0	दिनांक	टैन्डर की कुल राशि	निर्माण कार्यों की कुल सं0
1	No. MCS-Tender-2009-4535-39	20.11.2009	₹175927	2
2	No.MCS-Tender-2309-13	21.6.2009	₹2416634	31
3	No.MCS-Tender-2326-30	24.6.2009	₹2226787	36
4	No.MCS-Tender-4401-05	10.11.2009	₹3249812	41
5	No.MCS-Tender-4477-82	17.12.2010	₹2110288	27
6	No.MCS-Tender-981-86	9.3.2010	₹1799752	19
7	No.MCS-Tender-1571-1574	15.4.2010	₹2525334	31
8	Number not mentioned in the office copy	4/2010	₹2854666	33
9	No.MCS-Tender-2010-2033-37	7.6.2010	₹13534751	16
10	No.MCS-Tender-2010-3214-18	6.8.2010	₹499601	1
11	No.MCS-Tender-3225-39	7.8.2010	₹1206241	13
12	No.MCS-Tender-3961-64	4.10.2010	₹5917925	69
13	No.MCS-Tender-5394	7.1.2011	₹139605	2
14	No.MCS-Tender-2010-5944	28.2.2011	₹130508	2
15	No.MCS-Tender-8580-84	16.3.2011	₹833948	10
16	No.MCS-Tender-3573-77	18.8.2009	₹172000	1
17	No.MCS-Tender-3472-76	16.9.2009	₹2178556	31
		कुल योग	₹41967335	365

चूंकि उपरोक्त प्रकरणों में टैण्डर नियमों की अवज्ञा मे ंबिना समाचार पत्रों में प्रकाशित किए हुए जारी किए गए है। अतः नगर परिषद को प्रतियोगी दरों का लाभ प्राप्त किए बिना अत्प्रत्याशित वित्तीय हानि की सम्भावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस प्राकर की अनियमितता को अंकेक्षण द्वारा अवधि 1.4.2007 से 31.3.2009 के अंकेक्षण प्रतिवेदन द्वारा भी उजागर किया गया था किन्तु फिर भी नगर परिषद कार्यालय द्वारा इस सन्दर्भ में नियमानुसार कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। इसक अतिरिकत अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण अवधि में जारी किए गए टैण्डरों के प्रकाशन के सन्दर्भ में अपेक्षित सूचनाऐं मौखिक रूप से कई वार मांगने के अतिरिक्त इन सूचनाओं हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 03 दिनांक 02.01.2010 द्वारा भी अनुरोध किया गया था। किन्तु नगर परिषद कार्यालय द्वारा अपेक्षित सूचनाऐं उपलब्ध न करवाऐ जाने के कारण अंकेक्षण द्वारा यह सूचनाऐं अपने स्त्तर पर नगर परिषद कार्यालय के अभिलेख के अनुसार तैयार की गई।

नगर परिषद कार्यालय की उपरोक्त कार्यवाही उनकी कार्यप्रणाली पर एक प्रश्न चिन्ह लगाती है। अतः उपरोक्त प्रकरण नगर परिषद के उच्चधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ इस सन्दर्भ में उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए दोषियों में लाने व भविष्य में ऐसे प्रकरणों की पुनरावृति घटित न हो पाना सनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से लाए जाते है ताकि नगर परिषद को वित्तीय हानि न हो पाना सुनिश्चित किया जा सके।

(ख) अनुबन्ध की धारा 2 के अन्तर्गत ठेकेदारों से निर्माण कार्य विलम्ब से पूर्ण करने पर भी ₹436557/–की क्षतिपूर्ती राशि वसूल न करना :–

निर्माण कार्य के बिलों एवं सम्बन्धित अभिलेख की जॉच करने पर पाया गया कि ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित समय अवधि के भीतर पूर्ण न करने पर तथा नगर परिषद कार्यालय द्वारा ठेकेदारों के अनुबन्ध पर आवश्यक समय बढ़ौतरी प्रदान न करने की अवस्था में भी ठेकेदारों से अनुबन्ध की धारा–2 के अन्तर्गत वसूली नहीं की गई है। अनुबन्ध की उक्त धारा के अनुसार "In the event of the contractor failing to comply with this condition he shall be liable to pay on amount equal to one percent or such smaller amount as the Municipal Council may decide on the said estimated cost of the whole work for every day that the due quantity of the work remains incomplete provided always that the entire amount of compensation shall not exceed 10% on the estimated cost of the work shown in the Tender" नगर परिषद के वर्तमान लेखा परीक्षण के चयनित मासों में निम्नलिखित प्रकरणों में पायाग या

कि नगर परिषद कार्यालय द्वारा उपरोक्त अनियमितता के परिणामस्वरूप निम्नविवरणानुसार ₹436557/–की राशि विभिन्न ठेकेदारों से वसूली योग्स शेष थीः–

क्र0 सं0	माप पुस्तिका सं0 व पृ0	कार्य का विवरण व ठेकेदार का नाम	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि	कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि	कार्य की अनुमानित लागत	क्षतिपूर्ती राशि (अनुमानित लागत का 10%)
1	254 पृ0 74 तथा 75	C/O stall within Municipal limit Solan (Contractor Sh. Nain Singh)	10.11.09	10.12.09	28.6.11	₹59405	₹5941
2	258 पृ0 6 तथा 7	C/O Stair case i.e. laying of sand stone from thodo ground to Parking & to Municipal Rest House (Contractor Sh. Namit Gupta)	1.8.2009	1.9.2009	24.6.2010	₹72741	₹7274
3	258 पृ0 11 तथा 12	Providing pawer tile flooring at courtyard in Municipal Council office solan Phara-I (Contractor Sh. Namit Gupta)	13.11.09	13.12.09	12.3.10	₹99232	₹9923
4	258 पृ0 12 तथा 13	Providing power tile flooring at courtyard in M.C. office Solan (Contractor Sh. Namit Gupta)	13.11.09	13.12.09	15.3.10	₹99232	₹9923
5	260 पृ0 1 से 13	C/O proposel parking complex of M.C. at Sunny side Solan (Contractor Sunil Thakur)	7.11.08	7.11.09	कार्य अंकेक्षण समाप्ति तक पूर्ण नहीं हुआ	₹1806142	₹180614
6	262 पृ0 1 से	P/L 60mm home pipe drain near Punj villa school in ward -7 (contractor Sh. Ram paul)	30.3.10	30.4.10	15.6.10	₹7988	₹7988

7	254 पृ0 60 से 63	P/L rec slab over existing nalah in ward No. 10 Sh. Height raised on R.R. Wall (Constractor Sh. Shankar Dass)	10.11.09	9.12.09	1.1.10	₹35675	₹3567
8	254 पृ0 63 से 66	C/O drain from Nank villa to char Khamba in ward No. 10 (Contractor Sh. Ramesh Kumar)	10.11.09	9.12.09	6.1.10	₹39942	₹3942
9	259 पृ0 89 से 93	C/O rain shelter at saproon chowk in ward No. 2 (Contractor Sh. Amardeep)	23.3.10	22.4.10	अंकेक्षण समाप्ति तक कार्य समाप्त नहीं हुआ था	₹82887	₹8289
10	261 पृ0 64 तथा 65	C/O Parking at Saproun, near gurdwara in wrd No.2 (Contractor Sh. Naim singh)	25.4.10	24.5.10	–यथोपरि–	₹96869	₹9687
11	254 पृ0 98 से 100	C/O path from Sh. S.S. Sahnits house to Hussain Jung house in ward No. 7/11 (contractor Sh. Suresh Vashisht)	26.2.2010	25.2.2010	16.8.2010	₹98908	₹9891
12	253 पृ0 87 से 90	C/O car parking complex behind children Park Solan Sh. Providing C.C. work and painting (Contracting Sh. Prem Kumar)	25.2.09	25.3.09	29.1.10	₹98733	₹9873
13	259 पृ0 18 तथा 19	R/R of path from Sunny side road to old Dental collage Hostal in ward No. 12 Sh. P/F Chequed letes on path	10.11.09	9.12.09	8.1.2010	₹97816	₹9782

		(Contractor Sh. Gulzari Lal)					
14	259 पृ0 66 से 68	R/R of path opposite Rajesh Kapoor office to Katoch"s house at Sunney side in ward No. 12 Sh. 2nd class brick work R.R. Madinry, Cement Concrete (Contractor Sh. Madan Lal Mehta)	8.2.09	8.3.09	31.12.09	₹48888	₹4889
15	253 पृ0 90 से 92	C/O railing from Mctial"s house to Basu"s house in ward No. Sh. Providing G.I. Peipe railig (Contracting Sh. Nek Ram)	25.2.09	25.3.09	2.3.10	₹7750	₹7750
16	248 पृ0 90 से 93	C/O drain from rajgrah road towards scientist colony inward No.11 (Contractor Sh. Ramesh Chand Sharma)	10.12.09	9.1.10	3.3.10	₹97246	₹9725
17	248 पृ0 76 से 81	R/R of steps/path near Ujala Store and near vipal Gas Agency in ward in 11 (Contractor Sh. Vikrant Sharma)	10.1109	10.12.09	10.2.10	₹55907	₹5591
18	256 पृ0 45 से 49	R/R of Path from the house of R.R. Verma to Konark Hotel in ward No.-4 (Contractor Sh. Rajesh Kumar)	30.7.08	29.8.08	2.1.10	₹30210	₹3021
19	256 पृ0 51 से 56	P/F Chequed tile from Hospital road to SDM residence in ward No.-10 (contractor Sh. Karanjeet)	26.2.09	26.3.09	4.1.10	₹95000	₹9500
20	251 पृ0 73 से 76	R/R of path both sides of foot cellvert Patran village in ward No. 11 (Contractor Sh.	10.11.09	9.12.09	3.3.10	₹39584	₹3958

		Naresh Kumar)					
21	259 पृ0 71 से 76	R/M of Municipal Staff quarter at Dhobighat in ward No. 12 (Contractor Sh. Naian Singh)	10.11.09	9.12.09	10.3.10	₹39762	₹3976
22	259 पृ0 44 से 46	C/O drain from Railway line to smt Raj Kumari Nwegi"s house at Kaleen near Saproon chowk in ward No. 13 (Contractor Sh. Vishal Kaushal)	8.2.09	8.03.09	25.2.10	₹23949	₹2395
23	262 पृ0 61–62	C/O Parkig at old court Road, Solan, Phase-III (contractor Sh. Ramesh Chand Sharma)	10.11.09	10.12.09	18.3.10	₹98447	₹9845
24	257 पृ0 92 से 96	C/O Path from Nelagi Subbash Chander Marg to Serkelenn in ward No-13 (contractor Sh. Anup Chand Dutla)	14.10.09	13.11.09	5.2.10	₹99916	₹9917
25	259 पृ0 14 से 19	R/R of paths from Titee House to Durga Jyotish Kender and path from Batta house Lowards Principal Bali"s house in (Contractor Sh. Gulzari Lal)	25.11.09	24.12.09	8.1.10	₹52772	₹5277
26	261 पृ0 1 से 9	R/R of path from Dhobighat road to adrass Nagar in ward No.-7 (contractor Sh. Ram Paul)	26.2.09	26.3.09	10.3.10	₹95756	₹9576
27	260 पृष्ठ 26–28	R/R of path nalah opposite Gularias house at Shakti Nagar in ward No. 8 (Contractor Sh. Madam Lal	10.11.09	10.11.09	31.3.10	₹13280	₹1328

		Mehta)					
28	254 पृ0 67 से 68	C/O Nalah with slab from NH-22 (Kather bye pass) towards Ram Dass welding Shop (contractor Sh. Ramesh Chand Sharma)	12.11.09	12.12.09	4.4.1	₹93641	₹9364
29	256 पृ0 92 से 95	C/O stairs from Kanwar House to Sharma House and drain to Luhar Mohalla in ward No. 2 (Contractor Sh. Naresh Kumar)	28.3.10	27.4.10	19.10.10	₹99621	₹9962
30	256 पृ0 89 से 91	R/R of nalah from Sh. R.L. Jandev house towards Hospital in ward no.-9 ()Contractor Sh. Shiv Kumar)	28.3.10	27.4.10	19.5.10	₹37627	₹3763
31	251 पृ0 86 से 91	R/R of path/Steps from Roop Ram house to Ram Lal house near vishwas Public School (contractor Sh. Vijay Thakur)	5.3.10	4.4.10	3.6.10	₹56451	₹5645
32	254 पृ0 81 से 85	R/R of path at Dhobighat in Adrash vihar coloney in ward No. 7 (contractor Sh. amardeep)	7.2.09	7.3.09	30.3.10	₹92126	₹9213
33	254 पृ0 76 तथा 77	R/R of road from Nanak villa to pooaccomodatyion in ward No. 10 (Contractor Sh. Ramesh Chand Sharma)	18.7.09	17.8.09	13.4.10	₹65600	₹6560
34	256 पृ0 96 से 99	C/O Path and drain from Sh. Balbir House to Railway line at uday vihar in ward No.-I (Contractor Sh. C.P. Dharma)	18.8.09	17.9.09	29.9.09	₹66127	₹6613
35	259 पृ0 86 से 89	R/R of path/drain opposite Govt. fair price shop to Sh.	23.3.10	22.4.10	14.6.10	₹27664	₹2766

		Desh Raj house in ward No. 12 (Contractor for Sh. Naresh Kumar)					
36	264 पृ0 1 से	R/R of path from S.R. Mahta house to main culvert in ward No.-10 (Contractor Sh. Bhupinder singh)	30.3.2010	29.4.2010	16.7.2010	₹93026	₹9303
37	254 पृ0 59 तथा 60	C/O Parking complex building at children Park Solan (Contraxtor Sh. Prem Kumar)	14.10.09	13.11.09	18.12.09	₹99256	₹9926
						कुल योग	₹436557

अतः उपरोक्त ₹436557/–की क्षतिपूर्ती सम्बन्धित ठेकेदारों से सुनिश्चित कर अनुपालना अंकेक्षण को दर्शाई जाए।

(ग) ₹37000/–की राशि की 200 बोरियॉ सीमेन्ट का दुरूपयोगः–

नगर परिषद की अवधि 1.4.09 से 31.3.11 तक की इन्डैन्ट पुस्तिकाओं व स्टॉक रजिस्टरों के मिलान करने पर पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में ठेकेदारों को एक बार जारी सीमेन्ट की प्रमात्रा की स्टॉक रजिस्टरों में दो बार प्रविष्टियां की गई है जिसके परिणामस्वरूप इन प्रकरणों में ₹37000/–की 200 बोरियॉ सीमेन्ट का दुरूपयोग हुआ हैः–

(i) श्री अनूप चन्द दत्ता, ठेकेदार को इन्डैन्ड संख्या एम0एल0टी0–38/09 द्वारा सीमेन्ट की 100 बोरियॉ सीमेन्ट जारी की गई जिसकी स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ–100 पर 100 बोरियॉ तथा पूनः इसी रजिस्टर के पृष्ठ 102 पर 100 बोरियाू सीमेन्ट जारी किए जाने सम्बन्धी प्रविष्टियॉ की गई । इस प्रकार एक बार 100 बोरियां सीमेन्ट जारी किए जाने की अपेक्षा जारी किए जाने की प्रविष्टियॉ दो बार करने के परिणामस्वरूप इस प्रकरण में 100 बोरियॉ सीमेन्ट का दुरूपयोग हुआ है क्योंकि ठेकेदार से मापपुस्तिका संख्या 252 के पृष्ठ 61 द्वारा मात्र 100 बोरियॉ सीमेन्ट की कीमत कीक टौती ₹180/–प्रति बोरी के हिसाब से की गई है। अतः शेष

100 बोरियों की वसूली ₹180/–प्रतिबोरी के हिसाब से करते हुए ₹18000/–की राशि नगर परिषद कोष में जमा करवाई जाए व अनुपालना अंकेक्षण को दर्शाई जाए।

(ii) इन्डैन्ट संख्या के0डी0–6–298 द्वारा श्री नमित गुप्ता, ठेकेदार को 100 बोरियॉ सीमेन्ट जारी की गई। इन जारी 100 सीमेन्ट बोरियों की स्टॉक प्रविष्टियॉ स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ–6 पर दो बार करने के परिणामस्वरूप 100 बोरियों की बजाए 200 बोरियॉ सीमेन्ट की जारी किए जाने सम्बन्धी स्टॉक प्रविष्टियॉ हुई है। इस प्रकरण इस प्रकरण में 100 बोरियॉ सीमेन्ट का दुरूपयोग हुआ है। चूंकि इस प्रकरण में सीमेन्ट की निर्गम दर (प्निम तंजम) ₹190/–प्रति बोरी है, अतः इस प्रकरण में 100 बोरियॉ सीमेंन्ट की कीमत ₹190/–प्रति बोरी के हिसाब से वसूल करते हुए ₹19000/–की राशि नगर परिषद कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित करते हुए अनुपालना अंकेक्षण को दर्शाई जाए।

(घ) <u>ठेकेदार से श्रमकर (स्ंइवनत ब्मे) की ₹86586/–की कटौती न करना</u> :–

नगर परिषद के माह 3/2010 व 7/2010 के निर्माण कार्यों के बिलों की जॉच करने पर पाया गया कि नगर परिषद कार्यालय द्वारा ठेकेदारों से निम्नविवरणानुसार श्रमकर की ₹86586/–की कटौती नहीं की गई है जबकि श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या 1–2000(स्ंइण)ठॅ।– दिनांक 30.1.2009 के अनुसार कुल निर्माण लागत का एक प्रतिशत भाग इस कटौती के रूप में ठेकेदारों से वसूल किया जाना व भ्च्ब् ठनपसकपदह ंदक वजीमत ब्वदेजतनबजपवद ॅवतामते ॅमसंतिम ठवंतक में जमा करवाया जाना अपेक्षित था।

क्रमांक	वा0 का विवरण	कार्य का विवरण व ठेकेदार का नाम जिससे श्रमकर की कटौती नहीं की गई	कृत भुगतान की कुल निर्माण लागत	श्रमकर जो ठेकेदार से नहीं काटा गया (कुल भुगतान लागत का 10%)
1	659/3–2010	Sh. Nain Singh Contractor Beautification of Mall Road of Solan Town	198827	1988.27

2	662 of 3／2010	Repair & Restoration of Path from Kotla-Nala Yard Near Pajo School ward No.-11 by Sh. Vikram Sharma Contractor	38431	384.31
3	675 of 3／2010	C/O Transport Nagar at Solan By Sh. Nain Singh	563318	5633.18
4	677 of 3/2010	C/O Parking Complex behind M/C Building Rajgarh Road Solan By Sh. Namit Gupta	383114	3831.14
5	683 of 3/2010	R/R of Path at Khundidhar in ward No. 11 By Sh. Suman Kumar Contractor	61993	619.33
6	685 of 3/2010	C/O Parking at Sunni Side Solan Contractor Sh. Sunil Thakur	1175345	11753.45
7	692 of 3/2010	C/O Parking behind M/C Building Rajgarh Road Solan Contractor Sh. Namit Gupta	416201	4162.01
8	119 of 7/2010	C/O Hume Pipe drain near Pnj villa School in ward No. 7, Solan Conts. Sh. Ram Pal chauhan	182672	1826.72
9	130 of 7/2010	Contr. Sh. Namit Gupta C/O Parking behind M/C Solan on Rajgarh Road	306618	3066.18
10	131 of 7/2010	Contr. Sh. Vinod Sahni C/O Parking behind M/C Solan on Rajgarh Road	712754	7127.54
11	132 of 7/2010	Contr. Sh. Madan Lal Mehta R/R of Nalah opp. Guleria House at Shakti Nagar, Ward No. 8 Solan	24608	246.08
12	133 of 7/2010	Contrs:- Sh. AmarDeep C/O rain shelter at Saproon Chowk ward No. 2 Solan	50218	502.18
13	134 of 7/2010	Contrs:- Sh. R.C. Sharma C/O Nalah with Slab from NH-22 (bye Pass Kather) towards Ram Dass wekling shop in ward No. 2/3 Solan	166321	1663.21
14	135 of 7/2010	Contrs:- Sh. Vikram Sharma R/R of old Sirmour Road in ward No. 11 Solan	122979	1229.79

15	136 of 7/2010	Contrs:- Sh. Naresh Kumar C/O stairs from Kaura house in ward No.2 Solan	69428	694.28
16	137 of 7/2010	Contrs:- Sh. Nain Singh C/O Parking at Saproon Solan Near Gurudwara	118035	1180.35
17	1380 of 7/2010	Contr. Sh:- KulBhushan Paint R/R of Path from Salogra Road to adjoining area	109770	1097.70
18	139 of 7/2010	Contr. Sh. Ramesh Kumar C/O Path from Pari house of Nalah in ward No.-10	85880	858.80
19	140 of 7/2010	Contr. Sh. Vishal Kaushal C/O Path/Drain from Tank Road rowards way of School, ward No.-8 Solan	66644	666.44
20	142 of 7/2010	Contr. Sh. Shiv Kumar R/R of Nalah from Sh. R.L Jander house towards Hosptial Road ward No. 9 Solan	58001	580.01
21	143 of 7/2010	Contr. Sh:- Vinay Thakur R/R of Path Near Vishwash Public School, Ward No. 11 Solan	130646	1306.46
22	144 of 7/2010	Contr. Sh.:-Surinder Kumar Vashist C/O Path from Sh. S.S. Sahani hose to Hussain House in ward No. 7/11 Solan	211033	2110.33
23	145 of 7/2010	Contr. Sh. Bishan Dass R/R of R/Wall near crematorium house, Chambaghat, ward No-4	35279	352.79
24	146 of 7/2010	Contr. Sh. Amra Deep R/R of Path at Dhobighat Adarsh Vihar Colony in ward no. 7	6798	67.98
25	147 of 7/2010	Contr. Sh. Devender singh C/O Nalah from K.C. house to Geeta house in ward No.-2 Solan	34622	346.22
26	148 of 7/2010	Contr. Sh. Kishan Lal A/R & M/O of Municipal Staff Quarter near Mohan Park Solan	12148	121.48
27	170 of 7/2010	Contr. Sh. Vikrant Sharma R/R of Path near M.C. dust Bin below Pojja School ward No.11	122766	1227.66
28	172 of 7/2010	Contr. Sh. Ramesh Chan Sharma R/R of Path/Road from Nank Villa to Govt. Residence ward No. 10, Solan	102162	1021.62
29	173 of 7/2010	Contr. Sh. C.P. Dharma C/O Path/drain from Sh. Balbir house to Railway line ward No. 1	93282	932.82
30	174 of 7/2010	Contr. Sh. Naresh Kumar R/R of path /drain from	56635	566.35

		Govt. Depot to Sh. Des Raj House ward No. 12		
31	175 of 7/2010	Contr. Sh. Bhupinder Singh R/R of Path from Sh. S.R. Mehta house to Nalah, Ward No. 10	136110	1361.10
32	177 of 7/2010	Contr. Sh. Karamjeet Singh, R/M of various Roads in Municipal Council solan	19920	199.20
33	701 of 3/2010	Contr. Sh. Guljari Lal R/R at path from Sunny side Road to old Dental Collage Ward no. 12	126837	1268.37
34	70 of 3/2010	Contr. Sh. Nain singh C/O Approach Road from NH-22 of Army area	108354	1083.54
35	703 of 3/2010	Contr. Sh. Nain Singh C/O Parking at saproon near Gurudwara Ward No. 2 Solan	177567	1775.67
36	704 of 3/2010	Contr. Sh. Madan Lala Mehta R/R of Path opp. Rajesh Kapoor house/offise to Katoch house at sunny side ward No. 12	72867	728.67
37	706 of 3/2010	Contr. Sh. Anoop Chand Dutta C/o Parking at Children Park Solan	166749	1667.49
38	707 of 3/2010	Contr. Sh. Nek Ram C/O railing from Mittal House to Basu house in ward No. 9 solan	62570	625.70
39	708 of 3/2010	Contr. Sh. C.P. Dharma R/R of Toilet Near Ambed Market ward No. 6 solan	55079	550.79
40	709 of 3/2010	Contr. Sh. Ramesh Kumar C/O Drain from Nanak Villa to Char Khamba in ward No. 10	67964	679.64
41	710 of 3/2010	Contr. Sh. Sharkar Dass P/L of RCC slab over existing nalah in ward No. 10	65623	656.23
42	711 of 3/2010	Contr. Sh. R.C. Sharma C/o Parking at old court Road Solan	166038	1660.38
43	715 of 3/2010	Contr. Sh. R.C. Sharma C/O drain from Rajgarh road towards scientist colony in ward No. 11	127474	1274.74
44	716 of 3/2010	Contr. Sh. Vikram Sharma R/R of steps/path near vipul gao Agency ward No. 11 Solan	93541	935.41
45	717 of 3/2010	Contr. Sh. Prem Kumar C/O Padestrain Path from railway station road to sanjeevani hospital solan	112386	1123.86
46	718 of 3/2010	Contr. Sh. Rajesh Kumar R/R of Path from the house	52269	522.69

		of Sh. R.R. Verma to Konark Hotel ward No. 4		
47	719 of 3/2010	Contr. Sh. Vikrant Sharma R/R of path in madhban Colony Solan Ward No. 9	100225	1002.25
48	720 of 3/2010	Contr. Sh. Nain singh R/R of Pipeline in Solan City	20000	200.00
49	721 of 3/2010	Contr. Sh. Ram Pal Chauhan R/R of path from Dhubighat raod to AdrashNagar ward No. 7 Solan	79646	796.46
50	722 of 3/2010	Contr. Sh. Naresh Kumar R/r of path both sides of foot culvert at patrar village Nalah ward No. 11	77364	773.64
51	723 of 3/2010	Contr. Sh. Karanjeet Singh P/L chequred files from Hospital Road to SDM Residence, ward No. 10	109051	1090.51
52	724 of 3/2010	Contr. M/S R.K. Traders R/R of Thoda ground Solan	20000	200.00
53	725 of 3/2010	Contr. Sh. Nain Singh R/R of R/wall near Girls School Solan	163592	1635.92
54	726 of 3/2010	Contr. Sh. Madam Lal Mehta C/O path from Rajesh Kapoor house to wards Adarsh Katoch, ward No. 12	58879	588.79
55	727 of 3/2010	Contr. Sh. Prem Kumar C/O Parking Complex building at children Park solan	24383	243.83
56	728 of 3/2010	Contr. Sh. Nain Singh R/M of Municipal Staff quarters at Dhobighat, ward no. 12 Solan	78602	786.02
57	730 of 3/2010	Contr. Sh. Ramesh Chand Sharma C/O Parking at old court road Solan	30813	308.13
58	731 of 3/2010	Cotr. Sh. Vishal Kaushal C/O drain from Railway line to Smt. Raj Kumari Negi house at Kaleen near saproon chowk ward No. 13, Solan	72821	728.21
59	732 of 3/2010	Contr. Sh. Anoop Chand Dutta C/O Path from Netaji Subhash charner Marg to Ser Kaleen in ward No. 13 Solan	207648	2076.48
60	733 of 3/2010	Contr. Sh. Gurmeet Singh C/O V. Shape drain from Divya sawroop Ashram to BSNL Tel. Exchange Solan	25002	250.02
61	734 of 3/2010	Contr. Sh. Prem kumar C/O Parking complex Building at children Park Solan	53395	533.95
62	735 of 3/2010	Contr. Sh. Guljari Lal R/r of Path from Sh. Titu house to Durga Tyotish Kender ward No. 12 Solan	78741	787.41

63	737 of 3/2010	Contr. Sh. Vivek Oberoi C/O Shed in children Park Solan Near Dargah	65831	658.31
64	658 of 3/2010	i) C/O Staff with municipal limit SolanCo,ntr. Sh. Nain singh ii) R/M at Shilly Road in ward No. 8 Solan Contr. Sh. Nain Singh	46070 18713	460.70 187.13
		कुल योग		₹86585.92

अतः न केवल उपरोक्त ₹86586/–की वसूली सम्बन्धित ठेकेदारों से सुनिश्चित कर "भ्ण्च्ण् ठनपसकपदह ंदक वजीमत बवदेजतनबजपवद ूवतामते ूमसंितम इवंतक समे ंजमा करवाई जाए अपितु अंकेक्षण अवधि में समस्त ऐसे प्रकरणों में ीी यथानुसार कार्यवाही करने के अतिरिक्त भविष्य में उक्त वसूली व कार्यवाली प्रत्येक निर्माण कासर्य बिलों में सुनिश्चित कर अनुपालना अंकेक्षण को दर्शाई जाए।

(ङ) ठेकेदारों को आंबटित निर्माण कार्यों की दरों में अप्रत्याशित भिन्नताः–

नगर परिषद के निर्माण कार्यों के आंबटन सम्बनधी अभिलेख की जांच करने पर पायाग या कि एक ही प्रवृति के निर्माण कार्यों, जो कि विभिन्न ठेकेदारों को या तो एक साथ और या फिर नगण्य अन्तराल में आंबटित किए गये है की दरों में अप्रत्याशित भिन्नता पाई गई जिन्हें न्यायोचित ठहराने के समर्थन में कोई विभागीय औचित्य तैयार नहीं किया गया था। निनियम दर में भिन्नता के कुछ प्रकरणें नीचे दिये गये हैः–

क्र0सं0	कार्य की मद	वा0सं0 व मास	निर्माण कार्य का विवरण	कार्य आंबटन पत्र संख्या व तिथि	दर प्रति यूनिट
1	Culfing in earth work	709 माह 3/2010	C/O Drain from Nank vill to char Khamba in ward no. 10 solan	Award lettr No. M/C/work/2009-4424 dated 10.11.09	110 per m^3
		701 माह 3/2010	R/R of path from Sunny side Road to old Dental Collage Hostle inward No. 12	Award letter No. M/C/work/2009-4414 dated 10.11.09	140/ m^3

2	Providing & Laying of cement concrete work 1:6:12 (40mm)	709 माह 3/2010	C/O drain from Nank villa to char Khamba in Ward No. 10, Solan	Award letter No. M/C/work/2009-4424 dated 10.11.09	1450/ m^3
		722 माह 3/2010	R/R of path in ward No. 11, Solan	No. M/C/work/2009-4408 dated 10.11.09	1490/ m^3
		716 माह 3/2010	R/R of steps/path in ward No. ,, Solan	No. M/C/work/2009-4418 dated 10.11.09	1525/ m^3
		719 माह 3/2010	R/M of Municipal Staff at old Court Road in ward No. 9, Solan	No. M/C/work/2009-379 dated 2.2.09	1475/ m^3
3	R/R of path	722 माह 3/2010	R/R of path of both side of foot culvert, ward No. 11 Solan	No. M/C/work/2009-4408 dated 10.11.09	825/ m^3
		702 माह 3/2010	C/O approach road NH-22 to Army Area	No. M/C/work/2009-725 dated 26.2.10	775/ m^3
4	From work with steel plates	701 माह 3/2010	R/R of path from Sunny side road to old Dental Collage Ward No. 12 Solan	Award letter No. M/C/work/2009-4414 dated 10.11.09	140/ m^2
		722 माह 3/2010	R/R of path in ward No. 11, Solan	No. M/C/work/2009-4408 dated 10.11.09	185/ m^2
5	Cement plaster	721 माह 3/2010	R/R of path from	No.	90/ m^2

	15mm(1:4)		Dhobighat to Adarsh Nagar, ward No. 7, Solan	M/C/work/2009-831 dated 26.2.09	
		723 माह 3/2010	P/L of chequred tiles from Hospital Road of SDM residence ward No. 10, Solan	No. M/C/work/2009-837 dated 26.2.09	80/ m^2
		717 माह 3/2010	C/O Pedestrain path from Railway Staion to Sanjeevani Hospital ward No. 2 Solan	No. M/C/work/2008-462 dated 5.2.10	70/ m^2
		704 माह 3/2010	R/R of path opposite Rajesh Kapoor offise to Katoch house at Sunny side solan Ward No. 12	No. M/C/work/2009-488 dated 7-3-09	75/ m^2
6	P/L of cement concrete work 1:2:4 (20mm)	710 माह 3/2010	P/L RCC slab over existing Nanak in ward No. 10 Solan	No. M/C/work/2009-4413 dated 10.11.09	300/ m^3
		722 माह 3/2010	R/R of path both sides of foot culvert at vill. Patrar ward No. 11 Solan	No. M/C/work/2009-4408 dated 10.11.09	3300/ m^3

उपरोक्त प्रकरणो में देरी में अत्प्रत्याशित ीिन्नता के बावजूद भी अंकेक्षण को इस सन्दर्भ में विभागीय औचित्य (क्मचंतजउमदजंस रनेजपवपिबंजपवद) से अवगत नहीं करवाया गया जिससे इस भिन्नताओं को उचित ठहरायश जा सके। अतः इस धारणा से इन्कार नहीं किया जा सकता कि इन प्रकरणों में सम्बन्धित ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहंचाया गया है। अतः इन प्रकरणों की विस्तृत जॉच करते हुए या तो वांन्छित विभागीय औचित्य अंकेक्षण को दर्शाए जाये अनयथ्क्षा उतारदायित्व निर्धारित करते हुए अन्तर राशि की वसूली सम्बन्धित

ठेकेदारों अथवा सम्बन्धित कर्मचारियों से सुनिश्चित कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(च) ठेकेदारो ंसे जलप्रभार (ूजमत बींतहमे) की ₹36010/–की वसूली न करना :–

नगर परिषद के निर्माण कार्यों के बिलों की जॉच करने पर पाया गया कि निमनलिखित प्रकरणों में निम्नविवरणानुसार ठेकेदारो ंस`जल प्रभार (ूजमत बींतहमे) की वसूली नहीं की गई है जबकि ूंतक समजजमत की शर्त संख्या 5 के अनुसार इन प्रकरणों में ीाी ठेकेदारों से कृत कार्य के मूल्य का 1.5**%** भाग जलप्रभार के रूप मे ंवसूल किया जाना अपेक्षित था:–

क्र0सं0	भुगतान वा0सं0 तथा माप पुस्तिका का विवरण	कार्य का विवरण व ठेकेदार का नाम	कृत कार्य की मूल्य	अपेक्षित जल प्रभार की कटौती जो की जानी थी (स्तम्भ (4) का 1.5**%**)
1	685 माह 3/2010 माप पुस्तिका संख्या 260 पृष्ठ 1 से 13	C/O Proposed parking complex of M.C. at Sunny side solan (Contractor Sh. Sunil Thakur)	₹1712544	₹25688
2	131 माह 7/2010 माप पुस्तिका संख्या 258 पृष्ठ 89–95	C/O Proposed parking complex of M.C. behind M.C. building (Sh. Santary fituings in toilet block) (Contractor Sh. Vinod Sahni)	₹220292	₹3304
3	131 माह 7/2010 माप पुस्तिका संख्या 258 पृष्ठ 84 से 88	C/O Proposed Parking complex of M.C. behind M.C. building (Sh. Flooring contractor Sh. Vinod Sahni)	₹195339	₹2930
4	702 माह 3/2010 माप पुस्तिका संख्या 259 पृष्ठ 62–63	C/O approach road NH-22 to Army area (Sh. C/O retaining wall) (contractor Sh. Nain singh)	₹94910	₹1424
5	703 माह 3/2010 माप पुस्तिका संख्या	C/O Parking at Saproon near Gurudwara in ward No. 2 (Sh.	₹177567	₹2664

	259 पृष्ठ 64 से 66	C/O retaining wall) (contractor Sh. Nain singh)		
			कुल योग	₹36010

अतः उपरोक्त ₹36010/–की वसूली सम्बन्धित ठेकेदारो से सुनिश्चित कर अनुपालना अंकेक्षण को दर्शाई जाए।

(छ) माप पुस्तिका में गलत गणना के कारण ठेकेदारों को ₹14835/–का अधिक भुगतानः–

निम्नलिखित प्रकरणों में पाया गया कि माप पुस्तिकाओं में ठेकेदारों द्वारा कृत निर्माण कार्य की प्रमात्रा की॰णना करते समय गणितानुसार जमा, घटाव, मात्र व गुणा की गणना त्रुटिपूर्वक करते हुए अथवा अन्त शेर्षे को अग्रेनीत (Carry forward) करते हुए कृत निर्माण कार्य की गणना उच्चत्तर ओर (Higher side) ली गई जिस कारण इन ठेकेदारों को निम्नानुसार ₹14835/–का अधिक भुगतान हुआ हैः–

वा0सं0 तथा माप पुस्तिका का विवरण जहॉ गलत गणना की गई है	कार्य का विवरण व ठेकेदार का नाम	मद का विवरण	माप पुस्तिका में त्रुटिपूर्वक ली गई प्रमात्रा	कार्य की प्रमात्रा जो वास्तव में होनी चाहिए थी	भुगतान की दर	अधिक भुगतान की राशि
वा0सं0 172 माह 6/2009 माप पुस्तिका सं0 245 पृ010	C/O Proposed Parking complex of Municipal Council behind M.C. Building Rajgarh Road, solan (contractor Sh. Namit Gupta)	Cutting in earthwork in all kinds of soils and disposed of excavation earth	819.102M^3	818.562 M^3	₹130/– प्रति घन मीटर	₹70.20 अर्थात ₹70

–यथोपरि–	&;Fkksifj&	Providng and laying cement concrete work medanically mixed and vibrated 1:1:5:3 in wall	12.086 M^3	12.083 M^3	₹3200 per M^3	₹9. 60अर्थात ₹10
वा0सं0 438 माह 10/2009 माप पुस्तिका संख्या 245 पृ0 47	&;Fkksifj&	Providing mild teel/Tor Steel reinforcement for RCC work i/c bending bindig and placing in position complex upto all floor leveli/ccarriage of material in all leads and lifts.	1758.54 Kgs	1744.11 Kgs	₹58.25 per Kg	₹855
वा0सं0 675 माह 3/2010 माप पुस्तिका संख्या 259 पृ0 57	C/O Transport Nagar at Solan (Contractor Sh. Nain Singh)	Cutting in earth work in all kinds of soil such as saturared soil including bailing out water etc.	2045.60 M^3	2043.20 M^3	₹68 per M^3	₹163.20 अर्थात ₹163
वा0सं0 677 माह 3/2010 माप पुस्तिका संख्या 258 पृ0 8	C/O breast wall for approach road at proposed parking behind M.C. building (Contractor Namit Gupta)	P/L Cement Cencrete 1:6:12	7.02 M^3	7.00 M^3	₹1675 per M^3	₹33.50 अर्थात ₹34
वा0सं0 685 माह 3/2010 माप पुस्तिका संख्या 260 पृ0 11	Proposed parking complex of M.C. at Sunny side solan (Contractor Sh. Sunil Thakur)	Providing from work with steel plates in columns pillars posts and strusts	128.50 वर्ग मीटर	128.30 वर्ग मीटर	₹170 प्रति वर्ग मीटर	₹34

वा0सं0 119 माह 7/2010 माप पुस्तिका संख्या 262 पृ0 I	P/L 60mm Hume pipe drain near Punj villa School in ward No. 7 (Contrctor Sh. Ram Paul)	P/L cement concrete 1:4:8 (1 cement 4 sand 8 grade stone) i/c all Carriage	9.07 घन मी0	9.04 घन मी0	₹1650 प्रति घन मी0	₹49.50 अर्थात ₹50
वा0सं0 709 माह 3/2010 माप पुस्तिका संख्या 254 पृ0 64	C/O drain from Nank villa to char Khamba in ward No. 10 (Contractor Sh. Ramesh Kumar)	P/L cement concrete 1:6:12 (1 cemnt 6 sand 12 graded stone aggregate 40mm nominal size)in foundation and plinths	7.95 घन मी0	7.855 घन मी0	₹1450 प्रति घन मी0	₹137¤75 अर्थात ₹138
वा0सं0 131 माह 7/2011 माप पुस्तिका संख्या 258 पृ0 93	C/O Proposed parking complex of M.C. Solan Sh. Sanitary futtings intoilet block (contractor Sh. Vinod Sahni)	P/F vitreous China squatting plate patter urinal of size 450mmx350mmwit internal longtudnal flush pipe	4 अदद	3 अदद	₹15प्रत्येक	₹1500
वा0सं0 133 माह 7/2010 माप पुस्तिका 259 पृ0 90	C/O rain Sheter at Saproon chowk in ward No. 2 (contractor Sh. Amardeep)	Providing mild steel/tor steel reinforcement for RCC work including winding bending and placing in position complete upto floor two level	27.80 झहे	25.86 झहे	₹46 प्रति किलोग्राम	₹89.24 अर्थात ₹89
वा0संख्या 173 माह 7/2010	C/O path and drain from Sh. Balbir House to	Excavation in earth work and disposal of earth upto all leads and lifts	22.10 M^3	22.02 M^3	₹250 प्रति M^3	₹20

माप पुस्तिका संख्या 256 पृ0 96	Railway line at Uday Vihar in ward No. 1 (contractor Sh. C.P. Dharma)					
वा0सं0 716 माह 3/2010 माप पुस्तिका संख्या 248 पृ0 79	Repair & resforation of steps/path near Ujala store and near vipul Gas Agancy in eard No. 11 Solan (Contractor Sh. Vikrant Sharma)	Providing & fixing pre-case checkered tiles 20mm thick laid in floors & rerades of steps etc.	153.12 M^2	152.47 M^2	₹510 प्रति M^2	331.50 अर्थात ₹332
व0सं0 730 माह 3/2010 माप पुस्तिका संख्या 256 पृ0 61	C/O Parking at old Court Road Solan (Contr. Sh. Ramesh Sharma)	Providing of laying of cement concrete work 1:6:12 (1 cement 6 sand & 12 agreegate stone 40 mm nominal size and curing complete	0.960 M^3	0.901 M^3	₹1450 प्रति M^3	₹85.55 अर्थात ₹86
वा0सं0 136 माह 7/2010 माप पुस्तिका संख्या 256 पृ0 95	C/O stairs from Kaura house to Sharma House & Drain to Luhar Mohalla ward No. 2 Solan (contractor Sh. Naresh Kumar)	Random Rubble Masonary polygonal rubble masonary uncoursed with hard stone of approvel quality in foundation & plinth in cement master in 1:6:12	17.81 M^3	15.32 M^3	₹1675 प्रति M^3	₹4170. 75 अर्थात ₹4171
–यथोपरि–	&;Fkkifj&	Providing & Laying of cement conment concrete flooring 1:2:4 (1 Cement	54.65 M^2	53.81 M^2	₹160 प्रति M^2	₹134.40 अर्थात

		2 sand& 4 agreegate shope 20mm nominal size)				₹134
वा0सं0 172 माह 7/2010 मा पुस्तिका संख्या 254 पृ0 77	Repair & respiration of road from Nank Villa to pooled accomodation in ward No. 10 (Contr. Sh. Ramesh Chand Sharma)	Providng 7 Laying of cement Concrete work 1:6:12 and curing complete	22 M^3	21.70 M^3	1475 प्रति M^3	442.50 अर्थात ₹443
वा0सं0 172 माह 7/2010 माप पुस्तिका संख्या 254 पृ0 77	&;Fkksifj&*	Extra for making of approved patternson cement floors dteps & Landig etc.	272.46 M^3	270.91 M^3	₹20 प्रति M^3	₹31
वा0सं0 721 माह 3/210 मा पुस्तिका संख्या 261 पृ0 1 से 9	R/R of Path from Dhobighat road to Adarsh Nagar in ward No. 7 (Contractor Sh. Ram Paul)	P&F precast chequered tiles 20mm thick laid in floors treads of steps and landings on a ded of 25mm average thick ness of C.M. 1:4: (1 cement 4 sand)	279.79 M^2	279.75 M^2	₹480 प्रति M^2	₹19.20 अर्थात ₹19
वा0सं0 143 माह 7/2010 माप पुस्तिका संख्या 251	R/R of path/steps from Roop Ram house to Ram Lal house near vishwas public	R/R Masnory/polygonal masonry with hard stone of approved wuality in C.M. 1:6: (1 Cement 6 sand)	32.12 M^3	28.57 M^3	₹1875 प्रति M^3	₹6656. 25 अर्थात ₹6656

पृ0 86 से 90	school (contractor vinay thakur)					
					कुल योग	₹14835

अतः उपरोक्त ₹14835/—की वसूली सम्बन्धित ठेकेदारो से सुनिश्चित कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ज) <u>ठेकेदार को जारी सीमेन्ट की पूरी खपत न होने व शेष सीमेन्ट ठेकेदार द्वारा भण्डार में वापिस न लौटाए जाने की अवस्था में ठेकेदार से ₹17100/—की शेष वसूली:—</u>

श्री विनोद साहनी, ठेकेदार को श्री के0डी0 शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता के एम0ए0एस0 रजिस्टर से 372 बोरियॉ सीमेन्ट जारी की गई जैसा कि उक्त रजिस्टर के पृष्ठ 12 पर कृत प्रविष्टियों के अवलोकन से विदित होता है। इन दर्शाई गई जारी 372 बोरियॉ सीमेन्ट में से 327 बोरियॉ सीमेन्ट की वसूली माप पुस्तिका संख्या 245 के पृष्ठ 101 पर की गई है जबकि शेष 45 बोरियों की खपत व वसूली के सन्दर्भ में अंकेक्षण को अवगत नहीं करवाया गया तथा प्रतीत होता है कि शेष 45 बोरियॉ सीमेन्ट की न तो खपत हई है और न ही ठेकेदार से वसूली की गई हे। नियमानुसार ऐसे प्रकरणों में ठेकेदार से जारी सामान की वसूली निर्गम दर (Issue rate) ये दुगनी दर पर की जानी अपेख्यिात है। इस प्रकरण मे सीमेन्ट की निर्गत दर ₹190 प्रति बोरी है।

अतः इस प्रकरण में गहन छानबीन कर वस्तुसििति से अंकेक्षण को अवगत करवायश जाए अन्यथा नियमितानुसार 45 बोरियॉ सीमेन्ट की वसूली ₹190X2=₹380 प्रति बोरी के हिसाब से सम्बन्धित ठेकेदार से सुनिश्चित करते हुए ₹380X45=₹17100/—की राशि नगर परिषद कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

(झ) <u>ठेकेदारों से त्रुटिपूर्ण वार्ता (Negotation of rates) के कारण ₹4853/—का अधिक भुगतान</u> :—

निर्मा कार्य सम्बन्धी नियमो व प्रक्रिया के अनुसार निर्माण कार्यों के टैन्डरों मे यदि न्यूनतम दरें Quote करने वाले ठेकेदार की दरें यदि Justification से अधिक हो तो उक्त

ठेकेदार को वार्तालाप (Negotation) के लिए आमन्त्रित किया जाता है तथा ठेकेदार से ऐसर अवस्था में पूर्व में फनवजंजमक दरों को कम करवाया जाता है। अर्थात ऐसी अवस्था में ठेकेदार द्वारा ुनवजंजमक दरों की तुलना विभाग द्वारा तैयार की हुई रनेजपपिबंजपवद से करके तदानुसार ही ठेकेदार से दरें कम करवाई जाती है किन्तु नगर परिषद सोलन के निर्माण कायोर्कं के बिलों की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में न्यूनतम दरें ुनवजम करने वाले ठेकेदारों को वार्तालाप (छमहवबंजपवद) के लिए तो बुलाया गया किन्तु वार्तालाप उन ठेकेदारों द्वारा ुनवजंजमक न्यूनत दरो पर न करके उच्चतम दरें ुनवजम करने वाले अथवा न्यूनतम दों से अधक दरें ुनवजम करने वाले ठेकेदार की ुनवजंकमक दरो ंको आधार मान कर किया गया। इस त्रुटिपूर्ण बार्तालाप (छमहवबंजवद व तिंजमे) के कारण नगर परिषद द्वारा दो विभिन्न प्रकरणों में निम्न गणनानुसार ₹4853 का अधक भुगतान किया गया है।

(1) वाउचर संख्या 716 माह 3/210 द्वारा श्री विक्रान्त शर्मा ठेकेदार को त्मचंपत ंदक तमेजमतंजपवद व िजमचेध्चंजी दमंत नरंसेेजवदम ंदक दमंत अपचनस हें ।हमदबल ूतक छवण 11 नामक कार्य का भुगतान किया गया। इस निर्माण कार्य से सम्बन्धित अभिलेख की जॉच करने पर पाया गया कि इस कार्य हेतु श्री विक्रान्त शर्मा द्वारा ुनवजंजमक दरें न्यूनतम क्थी जैसा कि इस निर्माण कार्य से सम्बनिधत तुलनात्मक विवरणी के आधार पर तैयार निम्न तालिका से स्पष्ट होता हैः–

		Rates quoted			
Item	Sh. Vivek Dobhal	Sh. Nain singh	Sh. Vikrant Sharma	Rate finlased ofter Negotiation	Name of the contractor to who work awarded
Second Class brick work	₹3800 per m^3	₹3860 per m^3	₹3500 per m^3	₹3000 per m^3	Sh. vokrant Sharma
P/L CC 1:6:12	₹2800 per m^3	₹2815 per m^3	₹2500 per m^3	₹1525	-do-
P/L CC 1:2:4	₹4000 per m^3	₹4065 per m^3	₹3800 per m^3	₹2950	-do-
P/L preoast chaquered tiles landing on a bed 25mm average	₹600 per m^2	₹650 per m^3	₹580 per m^3	₹510 per m^3	-do-

thickness of C.M. 1:4 (1 cement 4sand)					

इस प्रकरण में Negotiation of rates श्री विक्रान्त शर्मा द्वारा quotated rates पर न करके श्री विवके ढोबाल जिनकी दरें Second Lowest है पर की गई तथा यदि वार्तालाप श्री विकान्त शर्मा द्वारा quotated rates पर ही किया होता तो अनुपातिक रूप से awarded rates निम्नानूसार होते:–

Second class brick work	Awarded rate Rates on which negotiation was done	Original rates quotated by the contractor to whom work has been awarded
	3000／3800X3500	₹2763per m3
P/L Cc 1:6:12	As this item has not been executed as such its rates have out been deveved	
P/l CC 1:2:4	As this item has also not been executed as such its rates have also net been deveved	
P/L precast chequered tiled on a bed 25 thickness of C.M. 1:4 (1 cement 4sand)	510／600x580	₹493 per m2

इस प्रकार इसप्रकरण में निम्न गणनानुसार ₹3813／–का अधक भुगतान हुआ है:–

Item	Awarded rates	Propertionate rates as deveved above	Difference (column 2 minus cotumn 3)	Quantity of itme executive	Amount of excess payment (column 4 xcolumn 5)
Second class brick work	₹3000 per m^3	₹2763 per m^3	₹237 per m^3	5-15 per m^3	₹1220-55
P/F Precast chequered tiles 20mmthixk laid on a bed 20mm average thickness of CM 1:4	₹510 per m^2	₹493	₹17 per m^3	152-47	₹2591-99
					कुल योग ₹3812-54 अर्थात ₹3813

(पप) वाउचर संख्या 733 माह 3/2010 द्वारा श्री मुरमीत सिंह ठेकेदार को "C/O U shape drain from Divya Sawroop ashram to BSNL Telephone Exchange in ward No. 6" नामक निर्माण कार्य का भुगतान किया गया। इस निर्माण कार्य के अभिलेख की जांच करने पर पाया गया श्री गुरमीत सिंह ठेकेदार द्वारा quotated rates बेशक न्यूनतम थे किन्तु नगर परिषद कार्यालय द्वारा वार्तालाप (Negotiation) करते समय Negotiation श्री गुरमीत सिंह, ठेकेदार द्वारा quotated rates पर न करके श्री नरेश कुमार ठेकेदार जिनकी दरें उच्चतम थी, द्वारा quoted rates पर किया गया।यदि यह वार्तालाप श्री गुरमीत सिंह, ठेकेदार द्वारा quotated rates के आधार पर किया होता तो अनुपातिक तौर पर उन्हें देय दरें निमनानुसार होती जैसा कि विभिन्न ठेकेदारों द्वारा quotated rates के आधार पर कृत निम्न गणना से स्पष्ट हो जात हैः–

		Rates quotated			
Item	Naresh Kumar	Vinay thakur	Gurmeet Singh	Rates firnalised after negotiation	Name of the contractor to whom award
Excavation in drain channel	₹265 per m^3	₹260per m^3	₹250 per m^3	₹140 per m^3	Sh. Gurmeet singh
P/L CC 1:6:12	₹1975 per m^3	₹1950per m^3	₹1900 per m^3	₹1450per m^3	-do
Providing from work with steel plates	₹180 per m^3	₹175 per m^3	₹160 per m^3	₹130 per m^3	-do
P/L 1:2:4	₹3580 per m^3	₹3550 per m^3	₹3500 per m^3	₹3100 per m^3	-do-
Note:- as the item Nos. 5 to 7 of the DNIT has not been executes as such these items have not been taken into calculations					

क्मतपअंजपवद वि जीम चतवचवतजपवदंजम तंजमेरू.

Excavation in drain		
channel	Awarded rates Rates on which negotiation was done	Original rates quoted by the contractor to whom the work has been awarded
	140/265x250	₹231 per m^3
P/L CC 1:6:12	1450/1975x1900	₹1395 per m^3
Providing from work with steel plates	130/180x160	₹116per m^2
P/L CC 1:2:4	3100/3580x3500	₹3031 per m^3

इस प्रकार इस प्रकरण में निम्न गणननुसार ₹1040 ⁄ –का अधिक भुगतान हुआ हैः–

प्जमउ	।्तकमक तंजमे	च्तवचमतजपवदंजम तंजमे ` कतपमअमक ;इवअम	क्प्मितमदबम ;बवसनउद 2 उपदने बवसनउद 3द्ध	फनंजपजल वि पजमउ मगबमनजमक	।उवनदज वि मगबमे चंलमदज ;बवसनउद 4गबवसनउद 5द्ध
म्गबंअंजपवद पदकतंपद बींददमस	₹140 per m^3	₹132per m^3	₹8 per m^3	12.02 m^3	₹96.16
च्ध्स्. ब्ब 1रू6रू12	₹1450 per m^3	₹1395 per m^3	₹55 per m^3	3.01 m^3	₹165.55
च्तवअपकपदह तिवउ ूवता ूपजी `जममस चसंजमे	₹130per m^3	₹116 per m^3	₹14 per m^3	32.05 m^2	₹448.70
च्ध्स ब्ब 1रू2रू4	₹3100 per m^3	₹3031per m^3	₹69 per m^3	4.77 m^3	₹329.13

			कुल योग		₹1039.54 अर्थात ₹1040

अतः उपरोक्त दोनों प्रकरणों में क्रमशः ₹3813 तथा ₹1040/– (कुल योग ₹4853/–) की वसूली सम्बन्धित ठेकेदारों अथवा ऐसा न होनें की अवस्था में उतारदायित्व निर्धारित करते हुए दोषी कर्मचारियों से सुनिश्चित की जाए व अनुपालना अंकेक्षण को दर्शाई जाए।

(ण) ठेकेदार को ₹72867/–के भुगतान से सम्बन्धित निर्माण कार्य समाधान प्रमाण पत्र (Completion Cestificate) अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :–

वाऊचर संख्या 704, माह 3/2010 की जांच करने पर पाया गया कि इस वाऊचर द्वारा श्री मदन लाल मैहता, ठेकेदार को "R/R of path opposite Rajesh Kapoor"s office to Katoch House at Sunny side in ward No. 12 Sh. 2nd class brick work for steps R.R, Masnary, cement concrete" नामक निर्माण कार्य हेतु प्रथम एवं अन्तिम बिल के रूप में ₹72867/–का भुगतान किया गया। इस निर्माण कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या 259 के पृष्ठ 66 से 68 पर प्रविष्टियों व भुगतान वाउचर के साथ संलग्न "निर्माण कार्य बिल" के अनुसार यह कार्य समाप्त (complete) हा चुका है तथा इसी कारण ठेकेदार को प्रथम तथा अन्तिम बिल का भुगतान किया गया है।

किन्तु इस कार्य के समापन सम्बन्धी "Completion cerificate" न तो भुगतान वाउचर व निर्माण कार्य बिल के साथ संलग्न है और न ही अंकेक्षण द्वारा आर–आर मांगे जाने पर भी अंकेक्षण को प्रस्तुत किया गया तथा प्रतीत होता है कि उक्त प्रमाण पत्र जारी ही नहीं किया गया। चूंकि वांन्छित प्रमाण पत्र के बिना कृत भुगतान अयिमित है। अतः इस प्रकरण की छानबीन कर वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ताकि कृत भुगतान का नियमन सम्भव हो सके।

(त) ठेकेदारों को नगर परिषद भण्डार से सीमेन्ट जारी किए बिना निर्माण कार्य करवानाः–

निदेशक शहरी विकास हिमाचल प्रदेश के आयुक्त नगर निगम व प्रदेश के समस्त नगर परिषदों/पंचायतों के कार्यकारी अधिकारी/सचिवों को सम्बोधित पत्र संख्या यू0डी0–एच0(एफ0)(10)–2/2005 दिनांक 6.9.2005 के अनुसार निर्माण कार्यों में होने वाली

सामग्री जैसे कि स्टील सीमेन्ट तथा सी0जी0आई0 शीट इत्यादि की निर्धारित गुणवता व प्रमात्रा के अनुश्रवण (डवदपजवतपदह) हेतु यह आवश्यक है कि यह सारी निर्माण सामग्री सरकार द्वारा अनुमोदित संस्थाओं से क्रय करके ठेकेदारो को उपलब्ध करवाई जाए किन्तु नगर परिषद सोलन के प्रकरण मे ंपाया गया कि अवधि 1.4.2009 से 31.3.2011 के अंकेक्षण की विस्तृत जांच के लिए क्रमशः चयनित मासों मार्च 2010तथा जुलाई 2011 में निम्नलिखित प्रकरणो में ठेकेदारों से कार्य उन्हें नगर परिषद सोलन के भण्उार से सीमेन्ट उपलब्ध करवाए बिना ही निष्पादित किया गया जबकि इन निर्माण कार्यों में सीमेन्ट का उपयोग भी हुआ है जैसा कि इनक र्यों के विरूद्ध दर्शाए गए कार्यों के दवउमदबसंजनतम से भी स्पष्ट हो जाता है:–

क्र0सं0	कार्य का विवरण व ठेकेदार का नाम	माप पुस्तिका का विवरण जहां सीमेन्ट से होने वाले कार्यों का विवरण है	कार्य का nomenclature व प्रमात्रा तथा इस कार्य हेतु मानक सार अपेक्षित सीमेन्ट की प्रमात्रा	अपेक्षित सीमेन्ट की कुल प्रमात्रा
1	P/L 60mm internal diameter hume pipe drain near Punj villa School in ward No-7 (Contractor Sh. Ram Paul)	माप पुस्तिका संख्या 262 पृ0 1 से 6	P/L cement concrete 1:4:8 (1 cement 4 sand :8 graded stone aggregate 40.00mm nominal size i/c all carriage 9.04m^3x3.42 bogs per m^3	30.91 bags
			(2) Second class brick work in cement mertar 1:6 14.12 m^3x1.20bags per m^3	16.94bags
			(3) P/L cement contrete work 1:2:4 (1 cement 2 sand 4 graded stone 20mm nominal size) infoundation and plinths upto all floor levels i/c all carriage 1.00 m^3x6.40bags per m^3	6.40bags
			(4) P/L Cement concrete work 1:2:4 (1 cement	13.63bags

			:2sand 4 graded stone 20mm nominal size) in suspended floors, roops, Pandings and their supports etc, i/c all carriage 2.13 m^3x6.40bags per m^3	
			(5) 15mm cement plaster in singles coat on rough side of of bricks/concrete/stone Wall for interior plastering upto floor two level i/c internal rounded any les in CM 1:3 (1 cement 3 sand) 45:42 m^3x0.22bags per m^3	9.99bags
2	P/L R.C.C. slab over existing nalah in ward No. 10 Sh. Height raised on R.R. wall (Contractor Sh. Shankar Dass)	माप पुस्तिका संख्या 254 पृष्ठ 60 से 63	(1) P/L CC 1:6:12 (1 Cement 6 sand 12 graded stone aggregate 40mm nominal size) in foundation and plinths i/c all carriage 7.10 m^3x2.20 bags per m^3	15.62bags
			(2) P/L 40mm thick cement concrete flooring 1:2:4 (1 cement 2 sand 4 graded stone 20mm nominal size i/c all carriage 89.53 m^3xbags/10 m^2	26.86bags
			(3) R/R masnary/Polygenal Rubble masnary with C.C. 1:6:12 (1 cement 6 sand 12 graded stone 12 raded stone 20mm nominal size) 8.27 m^3x1.65 bags per m^3	13.64bags
			(4) P/L C.C work 1:2:4 (1	21.70bags

			cement 2 sand 4 graded stone aggregate 20mm nominal size and curing complete excluding cost of from work 3.39 m^3x6.40bags per m^3	
3	C/O drain from Nanak villa to char Khamba in ward No. 10 (Contractor Sh. Ramesh Kumar)	माप पुस्तिका संख्या 254 पृ0 63 से 66	(1) Providing and laying cement concrete 1:6:12 (1 cement 6 sand 12 graded stone 40mm nominal size) in foundation and plinths 7.855 m^3x2.20bags/ m^3	17.28bags
			(2) P/L C.C. 1:2:4 (1 cement 2 sand 4 graded stone aggregate 20mm nominal size) and curing complete excluding cost of from work infoundation and plinths 15.39 m^3x6.40 bags per m^3	98.50bags
4	C/O Parking at children Park Solan Sh. proving collapsible steel gate, railing white washing distempering etc. (Contractor Sh. Anup Dutta)	माप पुस्तिका संख्या 254 पृ0 66 से 73	P/L cement concrete work 1:1.5:3 (1 cement 1.5 sand 3 graded stone aggregated 20mm nominal sizq) and curing complete excluding cost of from work and reinforcement for rorm work and reinferencment for reingerced concrete work in foundation and plinths 0.82 m^3x8.00 bags per m^3	6.56bags
5	C/O rain shelter at saproon chowk in	माप पुस्तिका	(1) P/L CC 1:6:12 (1	4.62bags

	ward No2 (Contractor Sh. Amardeep)	संख्या 259 पृ0 89 से 93	cement 6 sand 12 graded stone 12 graded 40.00mm nominal size) in foundation and plinths 2.10 m^3x2.20 bags per m^3	
			(2) 2nd class brick work using common burnt clay building bricks in C.M. 1:6: (1 cement 6 sand) 7.30 m^3x7.20 bags per m^3	8.76bags
			(3) P/L CC work 1:2:4 (1 cement 2 sand and 4 graded stone aggregate 20mm nominal size and curing complete 0.34 m^3x6.40 bags per m^3	2.15bags
			(3) P/F precast chequred tiles 20mm thick laid in floors treads of steps on a bed of 25mm thickness of C.M. 1:4 (1 cement 4 sand) jointed with neat cement slurry 28.28 m^2x0.369 bags per m^2	10.43bags
			(4) 15mm cement plaster in single coat on rough side of brick/concrete/stone walls in C.M. 1:4 (1 cement 4 sand) 32.83 m^2x1.30 bags per10 m^2	4.27bags
6	R/R of old sirmour road near captain Sood"s house in ward No. 11 (Contractor Sh. Vikrant Sharma)	माप पुस्तिका संख्या 260 पृ0 42 से 44	(1) P/L CC 1:6:12 (1 cement 6 sand 12 graded stone aggregate 40mm	6.91bags

			nominal size) in foundation and plinths 3.14 m^3x2.20 bags per m^3	
			(2) R/R Masnary/polygonal rubble massnary (uncursed/brought to curses) with hard stone of approned quality in foundation and plinths in CC 1:6:12 (1 cement 6 sand 12 graded stone aggregate 20 mm nominal size) in C.M. 1:6 (1 cement 6 sand in foundation and plinths in breast wall/retaing wall 50.42 m^3x1.65 bags per m^3	83.19bags
			(3) P/L CC work 1:2:4 (1 cement 2 sand 4 graded stone aggregate 20mm nominal size) in foundation and plinth 1.37 m^3x6.40 bags per m^3	8.77bags
7	C/O Parking at Saproon near gurudwara in ward No.2 (Contractor Sh. Nain Singh)	माप पुस्तिका संख्या 261 पृ0 64 से 65	(1) P/L C.C. work 1:4:8 (1 cement 4 sand 8 gaded stone aggregate 40mm nominal size) in foundation and plinths 18.65 m^3x3.42 bags per m^3	63.78bags
			(2) P/L C.C. work 1:1½: 3 (1 cement 1½sand 3 graded stone 20mm nominal size) in foundation and plinths	118.56 bags

			$14.82\ m^3$x8bags per m^3	
8	C/O Path from Puri House to Nalah in ward No. 10 Sh. C/O breast wall	माप पुस्तिका संख्या 253 पृ0 96 से 100	(1) P/L CC 1:6:12 (1 cement 6 sand 12 graded stone 40mm nominal size) in foundation and plinths $0.97\ m^3$x2.20bags per m^3	2.13 bags
			(2) P/L C.C. work 1:2:4 (1 cement 2 sand 4 graded stone 20mm nominal size) insuspended floors, roofs landing and shelves etc. $2.49\ m^3$x6.40bags per m^3	15.94 bags
			(3) 2nd class brick work using common burnt clay building bricks in C.M. 1:6 (1 cement 6 sand 10.89 m^3x1.20bags per m^3	13.07 bags
			(4) P/F precast chequred tiles 20mm thick laid in a bed of 25mm average thickness of coment mortar 1:4 (1 cement 4 sand) Jointed with neat cement slurry 51.12 m^2x0.369bags per m^2	18.86 bags
			(5) 15mm cement plaster in single coaton brick/concrete/stone walls in C.M. 1:4 (1 cement 4 sand) 14.22 m^2x1.25bags per ten m^2	1.78 bags
9	C/O Path from Sh. S.S. Sohni house to Hussain jung house in ward No. 7/11	माप पुस्तिका संख्या 254 पृ0	(1) P/L C.C. 1:6:12 (1 cement 6 sand 12 graded	3.54 bags

	Sh. C/O wall on nalah at damaged portion on nalah and providing RCC slab (Contractor Sh. Suresh Kumar vashisht)	98 से 100	stone aggregated 40 mm nominal size) in foundation and plinths 1.61 m^3x2.20bags per m^3	
			(2) P/L CC 1:5:10 (1 cement 5 sand 10 stone aggregate 40mm nominal size) with 15% plum, the size of plums shall be 150mm to 300mm as per HPPWD specification 48.72 m^3x2.39bags per m^3	116.44 bags
			(3) P/L CC work 1:2L4 (1 cement 2 sand 4 graded stone aggregate 20mm nominal size) in suspended floors, roofs landing and shelves and their supports, Balcenies, beams, girers bressners upto floor two levels 9.05 m^3x6.40bags per m^3	57.92 bags
10	R/R of retaining wall near crematorium house at chambaghat (Contractor Sh. Bishan Dass)	माप पुस्तिका संख्या 254 पृ0 96 से 98	R/R masnaru/Polygonal masnary (uncoussed/brought to courses) with hard stone of approved quality in C.M. 1:6 (1 cement 6 sand) 20.43 m^3x1.65bags per m^3	37.71 bags
11	R/R of path from Sunny side road to old Dental Collage hostel in ward No. 12 Sh. P/F chequered tiles on path (Contractor Sh. Gulzari Lal)	माप पुस्तिका संख्या 254 पृ0 74 से 75	Second class brick work using common burnt building bricks in C.M. 1:6 (1 cement 6 sand) 13.11	15.73 bags

			m^3x1.20bags per m^3	
13	C/O approach road NH-22 to army area Sh. C/O retaining wall (Contractor Sh. Nain Singh)	माप पुस्तिका संख्या 259 पृ0 62 से 63	R/R masnary/Polygonal R masnary (uncursed/brought to course) with hard stone of approved quality in C.C. 1:6:12 (1 cement 6 sand 12 graded stone) in breast/retaining wall 47.93 m^3x1.65bags per m^3	79.08 bags
14	C/O Parking at sproon near gurudwara in ward No. 2 Sh. C/O retaining wall (Contractor Sh. Nain Singh)	माप पुस्तिका संख्या 259 पृ0 64 से 64	(10 P/L CC 1:6:12 (1 cement 6 sand 12 graded stone aggregate 40mm nominal size) in foundation and plinths 2.43 m^3x2.20bags per m^3	5.35 bags
			(2) R.R. masonry/Polygenal rubble masnary in foundation and plinths with C.C. 1:6:12 (1 cement 6 sand 12 stone in C.M. 1:6 (1 cement 6 sand 13.41 m^3x1.65bags per m^3	22.13 bags
			(3) P/L CC 1:2:4 (1 cement 2 sand 4 graded stone of 20mm nominal size) in foundation and plinths 44.08 m^3x6.40bags per m^3	282.11 bags
15	R/R of path opposite Rajesh Kapoor"s office to Katoch"s house at Sunny side in ward No 12 Sh. 2nd class brick work fro steps, R.R. masnary cement concrete (contractor Sh. Madan Mehta)	माप पुस्तिका संख्या 259 पृ0 66 से 68	(1) P/L CC 1:6:12 (1 cement 6 sand 12 graded stone aggregate 40mm nominal size) in foundation 4.24 m^3x2.20bags per m^3	9.35 bags

			(2) R/R Masnary/Polygonal masonry (uncoursed/brought to course) with hard stone of approved quality in foundation and plinths including leveling up with C.C. 1:6:12 1 cement 6 sand 12 graded stone aggregate 20 mm nominal size) in C.M. 1:6 (1 cement 1:6 (1 cement 6 sand) 40.75 m^3x1.65bags per m^3	67.24 bags
16	C/O railing from Mittal"s House to Basu"s House in ward No 9 Sh. Providing G.I. pipe railing (Contractor Sh. Nek Ram)	माप पुस्तिका संख्या 253 पृ0 90 से 92	P/L CC 1:2:4 (1 cement 2 sand 4 graded stone aggregate 20mm nominal size) 0.67 m^3x6.40bags per m^3	4.29 bags
17	R/R of public toilet near Ambedkar market in ward No. 6 (Contractor Sh. C.P. Dharma	माप पुस्तिका संख्या 259 पृ0 48 से 52	P/F precast chequered tiles 20 mm thick laid in floors treads of steps and steps and landing on a bed of 25mm thickness of cement mortar 1:4 (1 cement 4 sand) 24.92 m^2x0.369bags per m^2	9.20 bags
18	C/O drain from Rajgarh road towards Scientist colony in ward No. 11 (Contractor Sh. Ramesh Chand Sharma)	माप पुस्तिका संख्या 248 पृ0 90 से 93	(1) P/L Cc 1:6:12 (1 cement 6 sand 12 graded stone 40mm nomina size) in foundation and plinths 4.17 m^3x2.20bags per m^3	9.17 bags
			(2) P/L CC 1:2:4 (1 cement 2 sand 4 graded stone	34.05 bags

			20mm nominal size) in foundation and plinths 5.32 m^3x6.40bags per m^3	
19	R/R of steps/path near Ujala store and near vipul gas agency in ward No. 11 (contractor Sh. Vikrant Sharma)	माप पुस्तिका संख्या 248 पृ0 76 से 81	(1) 2nd class brick work using common burnt clay building bricks in C.M. 1:6 (1 cement 6 sand) 5.15 m^3x1.20bags per m^3	6.18 bags
			(2) P/F precast chequered tiles 20mm thick laid in floor treads of steps and pandings on a bed of 25mmaverage thickness of C.M. 1:4 (1 cement 4 sand) 152.47 m^2x0.369bags per m^2	56.26 bags
20	C/O Pedestrain path from Railway station Road to Sanjeevani Hospital at All Road ward No. 2 (Contractor Sh. Prem kumar)	माप पुस्तिका संख्या 259 पृ0 34 से 37	(1) P/L CC 1:2:4 (1 cement 2 sand 4 graded stone 20mm nominal size) in suspended floors 0.32 m^3x6.40bags per m^3	2.05 bags
			(2) P/F precast chequesed title 20mm thick laid in floors treads of stepsand landings on a bed of 25mm average thickness of C.M. 1:4 (1 Cement 4 sand 166.11 m^2x0.369bags per m^2	61.29 bags
			(3) 15mm thick cement plaster in single coat in rough side of bricks/stone in C.M. 1:6 (1 cement 6	2.18 bags

			sand) 31.61 m^2x0.86bags per 10 m^2	
21	R/R of path from house of Sh. R.R. verma to Konark Hotal in ward No 4 (Contractor Sh. Rajesh Kumar)	माप पुस्तिका संख्या 256 पृ0 45 से 49	(1) P/L CC 1:2:4 (1 cement 2 sand 4 graded stone aggregate 20mm nominal size) 0.30 m^3x6.40bags per m^3	1.92 bags
			(2) P/F precast chequesed tiles 20mm thick laid on floors treads of steps and landing on a bed of 25mm of average thickness of C.M. 1:4 (1 cement 4 sand) 99.60 m^2x0.36bags per m^2	36.75 bags
			(3) 15mm thick cement plaster in single coat on rough side of bricks/stone masonry with C.M. 1:4 (1 cement 4 sand)38.77 m^2x1.25bags per m^2	4.85 bags
22	R/M of Municipal Stalls at old court road and path at Madhudan colony in ward No 9 (Contractor Sh. Vikrant Sharma)	माप पुस्तिका संख्या 259 पृ0 37 से 40	910 P/L C.C. 1:6:12 (1 cement 6 sand 12 graded stone aggregate 40 mm nominal size) in foundation and plinths 6.77 m^3x2.20bags per m^3	14.89 bags
			(2) P/L CC 1:2:4 (1 cement 2 sand 4 graded stone aggregate 20mm nominal size) in foundation and plinths 0.57 m^3x6.40bags per m^3	3.65 bags
			(3) P/F precast chequered	61.54 bags

			tiles 20 mm thick laid in floors and landings on a bed of 25mm average thick ness of C.M. 1:6 sand) 166.77 m^2x0.369bags per m^2	
23	P/L Chequered tiles from Hospital road to SDM residence in ward No. 10 (Contractor Sh. Karanjeet)	माप पुस्तिका संख्या 256 पृ0 51 से 56	(1) P/L CC 1:6:12 (1 cement 6 sand 12 graded stone aggregate 40mm nominal size) 3.03 m^3x2.20bags per m^3	6.67 bags
			(2) 2nd class brick work using common burnt clay in C.M. 1:6 (1 cement 6 sand) 2.66 m^3x1.20bags per m^3	3.19 bags
			(3) P/F chequered tiles 20mm thick laid in floor treads of steps and landings on a bed of 25mm average thickness of C.M. 1:4 (1 cement 4 sand) 190 m^2x0.369bags per m^2	70.11 bags
			(40 15mm cement plaster in single coaton rough side of brick wall plastering upto floor two level in C.M. 1:4 (1 cement 4 sand 67.47 m^2x1.30bags per 10m^2	8.77 bags
24	R/R of path both sides of foot culvert at patrar village nalah in ward No. 11 (Contractor Sh. Nanak Kumar)	माप पुस्तिका संख्या 251 पृ0 73 से 76	(1) P/L CC 1:6:12 (1 cement 6 sand 12 graded stone aggregate 40mm	14.41 bags

			nominal size) 6.55 m^3x2.20bags per m^3	
			(2) P/L CC 1:5:10 (1 cement 5 sand 10 graded 40 mm nominal size) 18.11 m^3x2.39bags per m^3	43.28 bags
			(3) P/L CC 1:2:4 (1 cement 2 sand 4 graded stone aggregate 20mm nominal size 6.5 m^3x6.40bags per m^3	41.60 bags
25	Restoratio of retaining wal near Govt. Girls School, solan (Contractor Sh. Nain Singh)	माप पुस्तिका संख्या 256 पृ0 56 से 58	(1) R/R Masonry /Polgonal masonry (uncoursed/brought to course) with hard stone of approved wuality with C.C. 1:6 (1 cement 6 sand) 67.40 m^3x1.65bags per m^3	111.21 bags
			(20 P/L C.C. 1:1.5:3 (1 cement 1.5 sand 3 graded stone aggregate 20mm nominal size 9.47 m^3x2.39bags per m^3	22.63 bags
			(3) 15mm thick plaster in single soat on the fair side of brick in C.M. 1:4 (1 cement 4 sand) 80.24 m^2x1.25bags per ten m^2	10.03 bags
26	C/O Path opposite Rajesh Kapoor clinic towards house of Sh. Adarsh Katoch in ward No. 12 (Contractor Sh. Madan Lal Mehta)	माप पुस्तिका संख्या 259 पृ0 69 से 71	(1) P/L C.C. 1:6:12 (1 cement 6 sand 12 graded stone aggregate 40mm nominal size) in foundation and footings 2.84	6.25 bags

			m^3x2.20bags per m^3	
			(2) R.R masonry /Polygonal rubble masonry (uncoured/brought to courses) with hard stone of approved quality in C.M. 1:6 (1 cement 6 sand) 15.42 m^3x1.65bags per m^3	25.44 bags
			(3) 2^{nd} class brick work using common burnt clay building bricks in C.M. 1:6 (1 cement 6 sand and curing complete 7.56 m^3x1.20bags per m^3	9.07 bags
27	R/M of Municipal staff quarters at dhobighat in Dhobighat ward No. 12 (Contractor Sh. Nain singh)	माप पुस्तिका संख्या 259 पृ0 71 से 76	(1) P/L C.C. 1:6:12 (1 cement 6 sand 40mm nominal size) 17.75 m^3x2.20bags per m^3	39.05 bags
			(2) R.R Masonry/Polgonal rubble masonry (uncursed/brought to courses) with hard stone of approved quality inC.M 1:6 (1 cement 6 sand) 4.83 m^3x1.65bags per m^3	7.97 bags
			(3) P/L CC 1:2:4 (1 cement 2 sand 4 graded stone aggregate 20mm nominal size) 7.66 m^3x6.40bags per m^3	49.02 bags
28	C/O drain from Smt. Raj Kumari Negi"s house at Kaleen near saprron chowk in ward No 13 (Contractor Sh.	माप पुस्तिका संख्या 259 पृ0 44 से 46	(1) P/L CC 1:6:12 (1 cement 6 sand 12 graded stone aggregate 40 mm	13.31 bags

	Vishal Kaushal)		nominal size) 6.05 m^3x2.20bags per m^3	
			(2) 2nd class brick work using common burnt clay building bricks in C.M. 1:4 (1 cement 4 sand 5.29 m^2x1.30bags per m^2	6.88 bags
			(3) P/L CC 1:2:4 (1 cement 2 sand 4 graded stone aggregate 20mm nominal size) 0.75 m^3x6.40bags per m^3	4.80 bags
29	C/O U shape drain from Divya Swarup Bhawan to BSNL Telephone exchange in ward No 6 (Contractor Sh. Gurudwara Singh)	248 पृष्ठ 94 से 96	(1) P/L CC 1:6:12 (1 cement 6 sand 12 graded stone 40mm nominal size) 3.01 m^3x2.20bags per m^3	6.62 bags
			(2) P/L CC 1:2:4 (1 cement 2 sand 4 graded stone 20 mm nominal size) 4.77 m^3x6.40bags per m^3	30.53 bags
30	R/R of path from Sh. Titu"s house to Durga Jyotish Kandra and path from Batta"s house towards Principal Bali"s house in ward No-12 (contractor Sh. Gulzari Lal)	259 पृष्ठ 14 से 17	(1) P/L CC 1:6:12 (1 cement 6 Sand 12 graded stone 40mm nominal size) 1.30 m^3x2.20bags per m^3	2.86 bags
			(2) P/L CC 1:2:4 (1 cement 2 sand 4 graded stone 20 mm nominal size) 12.20 m^3x6.40bags per m^3	78.08 bags
			(3) 2nd class brick work using common burnt clay building bricks in C.M. 1:6 (1 cement 6 sand) 0.77	0.92 bags

			m^3x1.20bags per m^3	
			(4) P& F chequered tiles 20mm thick on a bed of 25 mm average thickness of C.M. 1:4 (1 cement 4 sand) 70.56 m^2x0.363bags per m^2	25.61 bags
			(5) 15mm cement plaster in single coat on rough side in C.M. 1:4 (1 cement 4 sand) 13.50 m^2x1.30bags per m^2	17.55 bags
31	R/R of path from Bhobighat road to Adarsh nagar in ward No 7 (Contractor Sh. Ram Paul)	माप पुस्तिका संख्या 261 पृ0 1 से 9	(1) P&Fixing precast chequered tiles 20mm thick laid in floor treads of steps and landings on a bed of 25mm average thickness of C.M. 1:4 (1 cement 4 sand) 279.75 m^2x0.363bags per m^2	101.55 bags
			(2) 2^{nd} class brick work using common burnt clay building bricks in C.M. 1:6 (1 cement 6 sand 0.408 m^3x1.6bags per m^3	0.65 bags
32	C/O Shed in children Park near Dargah (Contractor Sh. Vivek oberoi)	माप पुस्तिका संख्या 256 पृ0 63 से 65	(1) P&L cement concrete 1:6:12 (1 cement 6 sand 12 graded stone aggregate 40mm nominal size) 3.70 m^3x2.20 bags per m^3	8.14 bags
			(2) P&L Spartic ceramic tiles 5.5 mm thick in flooring(300x300mm) treads of steps laid on a bed	10.93 bags

			of 12mm thick mortar 1:3 (1 ement 3 sand) finished with pointing in white cement 51.33 m^2x0.213bags per m^2	
			(3) P&F glazed tiles 6mm thick in skirtingrisess of steps and Lado 12 mm thick cement mortar 1:3(1 cement 3 sand) and jointed with cement slurry 29.29 m^2x0.213bags per m^2	6.24 bags
33	C/O Proposed parking complex of M.C. Solan behind M.C. ofiice building	माप पुस्तिका संख्या 258 पृ0 7 से 9	(1) P&L CC 1:6:12 (1 cement 6 sand 12 graded stone 40mm nomina size) 7.00 m^3x2.20bags per m^3	15.40 bags
			(2) R.R. Masonry/Polygonal rubble masonry in hard stone of approved quality in C.M. 1:6 (1 cement 6 sand) 71.32 m^3x1.65bags per m^3	117.68 bags
34	R/R of nalah opposite gularia House at shaktinagar in ward No 8 (Contractor Sh. Madan Lal Mehta)	माप पुस्तिका संख्या 258 पृ0 7 से 9	(1) P/L CC 1:2:4 (1 cement 2 sand 4 graded 40mm nominal size) 3.78 m^3x6.40bags per m^3	24.19 bags
35	C/O stairs from Kanwar House to Sharma house and drain to Lohar Muhalla in ward No 2 (Contractor Sh. Naresh Kumar)	माप पुस्तिका संख्या 256 पृ0 92 से 95	(1) P/L CC 1:6:12 (1 cement 6 sand 12 graded stone aggregate 40mm nominal size 3.68 m^3x2.20bags per m^3	8.10 bags
			(2) R.R. Masonry/Polygonal rubble	25.28 bags

			masonry (uncused brought to courses) with hard stone of approved quality in C.M. 1:6 (1 cement 6 sand 15.32 m^3x1.65bags per m^3	
			(3) P/L Cc 1:2:4 (1 cement 2 sand 4 graded stone aggregate 20mm nominal size 3.43 m^3x6.40bags per m^3	21.95 bags
			(4) Second class brick work using common burnt clay building bricks in C.M. 1:6 (1 cement 6 sand) 1.47 m^3x1.20bags per m^3	1.76 bags
			(5) P/L CC 1:2:4 (1 cement 2 sand 4 graded stone aggregate 20mm nominal size) 40mm thick flooring 53.81 m^3x0.30bags per m^3	16.13 bags
36	R/R of nalah from Sh. R.L. Jandev house towards Hospital road in ward No 9 (contractor Sh. Shiv Kumar)	माप पुस्तिका संख्या 256 पृ0 89 से 91	(1) P/L CC 1:6:12 (1 cement 6 sand 12 graded stone aggregate 40 mm nominal size) 3.02 m^3x2.20bags per m^3	6.64 bags
			(2) 2nd class brick work using common burnt clay building bricks in C.M. 1:6 (1 cement 6 sand) 9.08 m^3x1.20bags per m^3	10.90 bags
			(3) 15mm cement plaster in single coat on rough side of bricks/concrete/stone in	3.80 bags

			C.M. 1:4 (1 cement 4 sand) 29.20 m^2x0.13bags per m^2	
			(4) P/L 40mm thick Cc flooring 1:2:4 (1 cement 2 sand 4 graded stone aggregate 20mm nominal size) 14.41 m^2x0.30bags per m^2	4.32 bags
			(5) P/L RCC slab 1:2:4 (1 cement 2 sand aggregate 20mm nominal size) 2.33 m^3x6.40bags per m^3	14.91 bags
37	R/R of path/steps from Roop Ram House to Ram Lal house near vishwas Public School (Contractor Sh. Vinay Thakur)	माप पुस्तिका संख्या 251 पृष्ठ 87 से 91	(1) P/L CC 1:6:12 (1 cement 6 sand 12 graded stone aggregate 40mm nominal size) 2.61 m^3x2.20bags per m^3	5.74 bags
			(2) R/R masonry Polygonal masonry with hard stone of approved quality in C.M. 1:6 (1 cement 6 sand0 28.57 m^3x1.65bags per m^3	47.14 bags
			(3) P/L CC 1:2:4 (1 cement 2 sand 4 graded stone aggregate 20mm nominal size) 1.65 m^3x6.40bags per m^3	10.56 bags
			(4) 2^{nd} class brick work using common burnt clay building bricks in C.M. 1:6 (1 cement 6 sand) 10.66 m^3x1.20bags per m^3	12.79 bags
			(5) 15mm cement plaster in	19.14 bags

			single coat on rough side of bricks/concrete/stone wall in C.M. 1:4 (1 cement 4 sand) 147.23 m^2x0.13bags per m^2	
38	R/R of path at Dhobighat in Adarsh vihar colony in ward No 7 (Contractor Sh. Amardeep	माप पुस्तिका संख्या 254 पृ0 81 से 85	(1) P/L CC 1:6:12 (1 cement 6 sand 12 gradded stone aggregate 40mm nominal size 8.81 m^3x2.20bags per m^3	1.78 bags
			(2) 2nd class brick work using common burnt clay building bricks in C.M. 1:6 (1 cement 6 sand 0.999 m^3x1.20bags per m^3	1.20 bags
			(3) P&F precast chequered tiles 20mm thick laid on floors treads of steps and landing on a bed of 25mm average thickness of C.M.1:4 (1 cement 4 sand) 263.92 m^2x0.369bags per m^2	97.38 bags
			(4) 15mm cement plaster in single coat on rough side of bricks/concrete/stone walls in C.m. 1:4 (1 cement 4 sand) 32.11 m^2x0.13bags per m^2	4.17 bags
39	R/R of road from Nanak Villa to pooled accommodation in ward No 10 (Contractor Sh. Ramesh Chand Shrama)	माप पुस्तिका संख्या 254 पृष्ठ 76 से 77	(1) P/L CC 1:6:12 (1 cement 6 sand 12 gradded stone aggregate 40mm nominal size 21.70	47.74 bags

			m^3x2.20bags per m^3	
			(2) P/L CC 1:2:4 (1 cement 2 sand 4 graded stone aggregate 40mm nominal size) 19.27 m^3x6.40bags per m^3	123.33 bags
40	C/O path and drain from Sh. Balbir"s house to Railway line at Uday Vihar in ward No-I (Contractor Sh. C.P. Dharma)	माप पुस्तिका संख्या 256 पृष्ठ 96 से 99	(1) P/L CC 1:6:12 (1 cement 6 sand 12 gradded stone 40mm nominal size 14.97 m^3x2.20bags per m^3	32.93 bags
			(2) 2nd class brick work using common burnt clay building bricks in C.M. 1:6 (1 cement 6 sand0 5.13 m^2x1.20bags per m^2	6.16 bags
			(3) 2nd class brick work using common burnt clay building bricks in C.M. 1:4 (1 cement 4 sand) 12.05 m^2x1.30bags per m^2	15.67 bags
41	R/R of path plinths opposite Govt. fair price shop to Sh. Desh Raj house in ward No 12 (contractor Sh. Naresh (Kumar)	माप पुस्तिका संख्या 259 पृष्ठ 86 से 89	(1) P/L CC 1:6:12 (1 cement 6 sand 12 gradded stone aggregate 40mm nominal size) 0.34 m^3x2.20bags per m^3	0.75 bags
			(2) 2nd class brick work using common burnt clay building bricks in C.M. 1:6 (1 cement 6 sand) 12.29 m^3x1.20bags per m^3	14.75 bags
			(3) P/L CC 1:2:4 (1 cement 2 sand 4 graded stone aggregate 40mm nominal	10.69 bags

			size) 1.67 m^3x6.40bags per m^3	
42	R/R of Paths from S.R. Mehta house to main culvert in wrad No 10 (Contractor Sh. Bhupinder Singh)	माप पुस्तिका संख्या 264 पृष्ठ 1 से 3	(1) P&L CC 1:6:12 (1 cement 6 sand 12 gradded stone aggregate 40mm nominal size) 18 m^3x2.20bags per m^3	39.60 bags
			(2) R.R. masonary/Polygonal rubble masonary with hard stone of approved quality in C.M. 1:6 (1 cement 6 sand) 30.62 m^3x1.65bags per m^3	50.52 bags
			(3) P&L CC 1:2:4 (1 cement 2 sand 4 graded stone aggregate 20mm nominal size) 14.458 m^3x6.40bags per m^3	92.53 bags
43	C/O Parking complex building at children Park (Contractor Sh. Prem Kumar)	माप पुस्तिका संख्या 254 पृष्ठ 59–60	(1) P&L CC 1:4:8 (1 cement 4 sand 8 graded stone 20mm nominal size) 29.08 m^3x3.40bags per m^3	98.87 bags
			(2) 2^{nd} class brick work masonry using common burnt clay building bricks in C.M. 1:6 (1 cement 6 sand) 10.05 m^3x1.20bags per m^3	12.06 bags
			(3) 6mm thick cement plaster in C.M. 1:3 (1 cement 3 sand) 161.01 m^2x0.073bags per m^2	11.75 bags
			(4) 15mm thick cement	71.38 bags

			plaster in single side of brick/concrete/stone walls for interior plastering in C.M. 1:4 (1 cement 4 sand) 549.05 m^2x1.30bags per m^2	
			(5) P&F precast chequered tiles 20mm thick laid in floors treads of stepsand landings on a bed of 25mm average thick ness of C.M. 1:4 (1 cement 4 sand) 45.59 m^2x0.369bags per m^2	16.82 bags
			(6) R.R Masonary in hard stone of approved quality in C.M. 1:6 (1 cement 6 sand) 3.12 m^3x1.65bags per m^3	5.15 bags

निर्माण कार्य below specification करवानाः—

निर्माण कार्यो के मानकों के अनुसार यदि निर्माण कार्यें में सीमेन्ट का उपयोग वांन्छित प्रमात्रा से (+) अथवा (7) में 5**%** बढ़ाने अथवा घटाने से अधिक अथवा कम होगा तो वह निर्माण कार्य below specification माना जाएगा। नगर परिषद के निम्नलिखित निर्माण कार्यों की जांच करने पर पाया गया कि कि निर्माण कार्यों में 5**%** की देय भिन्नता (Variation) को सीमेन्ट की सैद्वान्तिक खपत (Thecretical consumption) से घटाने पर भी निर्माण कार्यों में वांन्छित सीमेन्ट की प्रमात्रा से कम सीमेन्ट का उपयोग हुआ है जिस कारण यह कार्य below specification हुए हैः—

वा0सं0	निर्माण कार्य का विवरण	सीमेन्ट की कृल सैद्धान्तिक खपत तथा 5**%** भिन्नता के पश्चात खपत जो वास्तव में	सीमेन्ट की खपत जो वास्तव में की गई तथा इन्डैन्ट का विवण	सीमेन्ट कह कुल कम खपत

		होनी चाहिए थी		
718 माह 3/2010	R/R of path from house of Sh. R.R. verma to	सैद्धान्तिक खपत 44.99 बोरियां (–)5% देय भिन्नता=2.25 बोरियां	40 बोरियां (इन्डैन्ट संख्या के0डी0–3–178 द्वारा	2.74 बोरियां
	Konark Hotel in ward No 4	सीमेन्ट की खपत जो वास्तव मं होनी चाहिए थी	25 बोरियां तथ के0डी0–5–267 द्वारा 15 बोरियां	

अंकेक्षण द्वारा निदेशक शहरी विकास के उपरोक्त पत्र का हवाला देते हुए यह प्रकरण नगर परिषद कार्यालय से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 111 दिनांक 24.10.2011 151 दिनांक 22.12.11 तथा 157 दिनांक 31.12.11 द्वारा भी उठाया गया था जिनमें अंकेक्षण को उन कारणों व परिस्थितियों से अवगत करवाने हेतु अनुरोध किया गया था जिनके कारण नगर परिषद कार्यालय को निदेशक, शहरी विकास के उपरोक्त पत्र की अवहेलना से सीमेन्ट से होने वाले निर्माण कार्य ठेकेदारों को नगर परिषद द्वारा सीमेन्ट उपलब्ध न करवाए जाने की अवस्था में भी करवाने हेतु बाध्य होना पड़ा।

किन्तु अंकेक्षण कार्य समाप्त होने तक भी नगर परिषद कार्यालय से इस सन्दर्भ में अंकेक्षण को कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः वांन्छित कारणों व परिस्थितियों से अंकेक्षण को अब अवगत करवाने के अतिरिक्त न केवल अंकेक्षण की विस्तृत जॉच हेतु चयनित उपरोक्त दोनों मासों अपितु अंकेक्षण अवधि में इस प्राकर के अन्य निर्माण कार्यों को भी चिन्हित कर ऐसे समस्त निर्माण कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्किाओं व भुगतान बिलों में सक्षम प्राधिकारी से यह सत्यापन करवाया जाए कि सम्बन्धित निर्माण कार्यों में ठेकेदारों द्वारा अपने स्त्तर पर प्रयुक्त सीमेन्ट की गुणवता व प्रमात्रा निर्माण कार्यों सम्बन्ध निर्धारित मानकों के अनुरूप है तìा यह कार्य नगर परिषद कार्यालय द्वारा अपने जोंखिम पर करवाया गया है, और या फिर ऐसे सभी प्रकरणों की उच्च स्त्तरीय तकनीकी जॉच सुनिश्चित करते हुए जांच के परिणामों से अंकेक्षाण को अवगत करवाने के अतिरिक्त भविष्य में ऐसे प्रकरणों की पुनरावृति न हो पाना भी सुनिश्चित किया जाए।

10 वाहन :–

;कद्ध वाहनों की ईंधन खपत निर्धारित खपत से अध्णिक होने के कारण नगर परिषद पर ₹486016/—से अधिक का अतिरिक्त वित्तीय शेषः—

नगर परिषद के वाहनों की अवधि 1.4.2009 से 31.3.2011 की लॉग बुकों की जांच करने पर पाया गया कि वाहनों की ईंधन खपत निर्धारित खपत से कहीं अधिक है जिस कारण निम्न बणनुसार नगर परिषद पर ₹486016/—से अधिक का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा हैः—

वाहन का विवरण	माह	माह में तय दूरी (कि0मी0)	माह में डीजल की कुल खपत	वाहन द्वारा प्रति लि0 डीजल से तय दूरी	वाहन की वांन्छित औसत (कि0मी0 प्रति लीटर)	वांन्छित औसत आधार पर डीजल की खपत	डीजल की अधक खपत	
एच0पी0—14 2960(डम्पर प्लेसर)	4/2009	3468	820	4.22	6	578	242	
	5/2009	1643	345	4.76	6	274	71	
	6/2009	3506	757	4.63	6	584	173	
	7/2009	3306	783	4.22	6	551	232	
	8/2009	2931	703	4.17	6	489	214	
	9/2009	2098	490	4.28	6	350	140	
	10/2009	2863	697	4.10	6	477	220	
	11/2009	185	155	1.19	6	31	124	
	12/2009	2202	553	3.98	6	367	186	
	01/2010	1043	319	3.26	6	174	145	
	02/2010	1533	445	3.44	6	256	189	
	03/2010	1931	441	4.37	6	322	119	
	04/2010	2693	652	4.13	6	449	203	
	05/2010	2440	563	4.33	6	407	156	
	06/2010	2948	660	4.46	6	491	169	
	07/2010	2757	643	4.28	6	460	183	

	08／2010	2262	580	3.90	6	377	203	
	09／2010	1787	550	3.24	6	298	252	
	10／2010	2586	656	3.94	6	431	225	
	01／2010	2120	426	4.97	6	353	73	
	1／2011	634	150	4.22	6	106	44	
	2／2011	1497	486	3.08	6	250	236	
	3／2011	1453	455	3.19	6	242	213	38.26
							4012	
एचपीसंख्या–14–3785	4／2009	2321	560	4.14	6	387	173	
	5／2009	4597	1074	4.28	6	766	308	
	6／2009	2889	672	4.29	6	482	190	
	7／2009	2976	650	4.58	6	496	154	
	8／2009	2222	470	4.72	6	370	100	
	9／2009	3377	797	4.23	6	563	234	
	10／2009	2897	730	3.96	6	483	247	
	11／2009	4975	1100	4.52	6	829	271	
	12／2009	3508	813	4.32	6	585	228	
	1／2010	2746	681	4.02	6	458	223	
	2／2010	2100	520	4.03	6	350	170	
	3／2010	2790	719	3.88	6	465	254	
	4／2010	2053	504	4.07	6	342	162	
	5／2010	1963	488	4.02	6	327	161	
	6／2010	3103	789	3.93	6	517	272	
	7／2010	2561	650	3.94	6	427	223	
	8／2010	3083	740	4.16	6	514	226	
	9／2010	2848	691	4.12	6	475	216	
	10／2010	2257	583	3.87	6	376	207	
	11／2010	3955	988	4.00	6	659	329	
	12／2010	5174	1360	3.80	6	862	498	
	1／2011	4195	1071	3.92	6	699	372	

	2/2011	2360	624	3.78	6	393	231	
	3/2011	4024	1014	3.96	6	671	343	38.26
							5792	
एच0पी0संख्या 14—2400 टिप्पर ट्रक	4/2009	820	310	2.64	4	205	105	
	5/2009	888	331	3.68	4	222	109	
	6/2009	1003	371	2.70	4	251	120	
	7/2009	1033	385	2.68	4	258	127	
	8/2009	850	317	2.68	4	213	104	
	9/2009	844	318	2.67	4	211	107	
	10/2009	928	343	2.70	4	232	111	
	11/2009	743	280	2.65	4	186	94	
	12/2009	770	293	2.62	4	193	100	
	1/2010	840	313	2.68	4	210	103	
	2/2010	642	243	2.64	4	161	82	
	3/2010	933	345	2.70	4	233	112	
	4/2010	933	352	2.65	4	233	119	
	5/2010	863	319	2.70	4	216	103	
	6/2010	899	343	2.62	4	225	118	
	7/2010	815	305	2.67	4	204	101	
	8/2010	775	289	2.68	4	194	95	
	9/2010	763	289	2.64	4	191	98	
	10/2010	807	298	2.70	4	202	96	
	11/2010	821	309	2.65	4	205	104	
	12/2010	474	178	2.66	4	119	59	
	1/2011	305	115	2.64	4	76	39	
	2/2011	560	208	2.68	4	140	68	
	3/2011	865	320	270	4	216	104	38.26
							2378	
एच0पी0—14ए—5030	4/2009	665	80	8.31	9	74	6	38.26

	5/2009	872	100	8.72	9	97	3	
	6/2009	598	103	5.80	9	66	37	
	7/2009	1287	160	8.04	9	143	17	
	8/2009	1054	131	8.05	9	117	14	
	9/2009	1280	189	6.77	9	142	47	
	10/2009	1064	132	8.06	9	118	14	
	11/2009	700	107	6.54	9	78	29	
	12/2009	1668	207	8.05	9	185	22	
	1/2010	918	129	7.11	9	102	27	
	2/2010	1243	162	7.67	9	138	24	
	3/2010	1451	185	7.84	9	161	24	
	4/2010	1399	175	7.99	9	155	20	
	5/2010	1664	210	7.92	9	185	25	
	6/2010	1127	141	7.99	9	125	16	
	7/2010	948	153	6.19	9	105	48	
	8/2010	582	80	7.28	9	65	15	
	9/2010	750	105	7.14	9	83	22	
	10/2010	864	120	7.20	9	96	24	
	11/2010	885	135	6.55	9	98	37	
	12/2010	1224	146	8.38	9	136	10	
	1/2011	1647	205	8.03	9	183	22	
	2/2011	1076	135	7.97	9	120	15	
	3/2011	650	75	8.66	9	72	3	38.26
							521	

डीजल की कुल अधिक खपत का विवरणः—

(1) वाहन संख्या एच0पी0—14—2960=4012X38.26 ₹1,53,499

(2) वाहन संख्या एच0पी0—14—3785=5792X38.26 ₹221602

(3)	**वाहन संख्या एच0पी0–14–2400=2738X38.26**	**₹90982**
(4)	**वाहन संख्या एच0पी0–14ए–5030=521X38.26**	**₹19933**
	कुल योग	**₹486016**

नोटः–(1) उपरोक्त गणना डीजल को माह 3/2011 की कीमत पर आधारित है।

(2) उपरोक्त क्रम संख्या 4 पर वर्णित वाहन Bollero-SLX-Euro-II की ईंधन खपत निर्धारित करने हेतु उप निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के पत्र संख्या V(4)/73–फिन(एल0ए0) खण्ड–3–5874 दिनांक 22.10.2011 के अनुपालना में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 118 दिनांक 30.10.2011 द्वारा यथानुसार ही अनुरोध किया गया था। किन्तु इस सन्दर्भ में कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत न करवाने के कारण पुनः यह प्रकरण नगर परिषद कार्यालय से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 130 दिनांक 24.11.2011 तथा 151 दिनांक 22.12.2011 द्वारा भी उठाया गया था। किन्तु फिर भी अंकेक्षण को इस सन्दर्भ में कृत कार्यवाही से अवगत नहीं करवाया गया। इस वाहन के सन्दर्भ में उपरोक्त गणना अतिरिक्त सचिव (सामान्य प्रशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या जी0ए0डी0(ए)1–1/96 दिनांक 4.2.2006 द्वारा बलैरों vx1 के सन्दर्भ में स्थानीय यात्राओं हेतु निर्धारित औसत (9कि0मी0 प्रति हेतु निर्धारित औसत (9कि0मी0 प्रति लीटर) के आधार पर की गई है।

उपरोक्त के अतिरिक्त नगर परिषद द्वारा दिनांक 8.1.2010 को नया वाहन संख्या एच0पी0–14ए–7168(Isher Tipper-Model-1075) क्रय किया गया है। इस वाहन से सम्बन्धित औसत नगर परिषद कार्यालय द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक भी निर्धारित की हुई प्रतीत नहीं होती क्योंकि उपरोक्त अंकेक्षण अधियाचनाओं के बावजूद भी अंकेक्षण को इस सन्दर्भ में कृत कार्यवाही से अवगत नहीं करवाया गया। उक्त वाहन द्वारा अंकेक्षण अवधि तक तय दूरी व प्रयुक्त ईंधन का माहवार ब्यौरा नियमानुसार हैः–

भ्प्च्14 |.7168;पैमत ज्पचचमत डवकमस 1075 चनतबींमक वद 8ण्1ण्2010 छव |अहण पिगमक

विवरण	माह	माह में तय दूरी	माह में डीजल की खपत	वाहन द्वारा प्रति लीटर				

				डीजल से तय दूरी				
ए0पी0–14ए–7168(पैमत ज्पचचमत)	01/2010	577	121	4.76				
	02/2010	460	98	4.69				
	03/2010	540	154	3.50				
	04/2010	623	163	3.82				
	05/2010	430	97	4.43				
	06/2010	1013	260	3.89				
	07/2010	439	110	3.99				
	08/2010	768	160	4.80				
	09/2010	626	157	3.98				
	10/2010	1046	218	4.80				
	11/2010	351	93	3.77				
	12/2010	1038	263	3.94				
	01/2011	1649	356	4.63				
	02/2012	1145	243	4.71				
	03/2011	1188	200	5.94				

इस वाहन के सन्दीर्ा में अपेक्षित कार्यवाही अशिीध्र कर ईंधन ,खपत की गणना उपरोक्तानुसार ही की जाए तथा ईंधन की अधक खपत की अवस्था में उपरोक्तानुसार की वसूली सुनिश्चित की जाए।

अतः उपरोक्त पॉचों वाहनों के सन्दर्भ में डीजल की अधिक खपत हेतु सम्बन्धित कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए अपेक्षित वसूली सुनिश्चित कर अनुपालना अंकेक्षण को दर्शाई जाए।

(ख) <u>सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कियें बिना वाहन संख्या एच0पी0–14ए–5030 का अनाधिकृत प्रयोगः</u>–

नगर परिषद सोलन की वाहन संख्या एच0पी0–14(ए)–5030 (महिन्द्रा बुलेरों) जीप की लॉग बुक की जॉच करने पर पाया गया कि माह 3/2010 में वाहन द्वारा कुल 1451 कि0मी0 की दूरी तय की गई है तथा माह 7/2010 में 948कि0मी0 जिसमें निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गई हैः–

i) वाहन का प्रयोग करने वाले अधिकारी द्वारा लाग बुक में अपने पद को दर्शाया जा रहा है जैसे कि क0 अभियन्ता, सहा0 अीीयन्ता, कार्यकारी अधिकारी आदि जबकि नगर परिषद सोलन में वर्तमान में 3 (तीन) क0अभियन्ता कार्यरत्त है जिससे यह प्रतीत नहीं होता है कि लॉग बुक में दर्शाई गई यात्रा किस कनिष्ठ अीीयन्ता द्वारा की गई है तथा किसी अधिकारी के स्थानान्तरण आदि की स्थिति में भी किसी अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु भी नाम व पद का दर्शाया जाना आयुक्त है। अतः भविष्य में वाहन में यात्रा करने वाले अधिकारी/कर्मचारी का नाम पदनाम सहित दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

ii) वाहन में यात्रा करने वाले अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लाग बुक के स्तम्भ संख्या 12 (Signature of the officer using vechicle) में हस्ताक्षर नहीं किये जा रहे है और न ही यात्रा की किसी उच्च अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया है जिससे वाहन के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः वाहन को प्रयोग करने वाले प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लॉग बुक को हस्ताक्षर किया जाना तथा वाहन प्रभारी द्वारा सत्यापित किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा बिना हस्ताक्षर/सत्यापन की प्रविष्टियों का लाये करके नगर परिषद

किन्तु नगर परिषद सोलन के प्रकरण में पाया गया कि निम्नलिखित पदाधारियों ने उपरोक्त कार्यालय आदेश जारी होने के पश्चात अर्थात 15.9.2007 के पश्चात भी नगर पालिका वाहन का प्रयोग शासकीय कार्य हेतु किया है जैसा कि वाहन संख्या एच0पी0–14ए–5030 (मोहेन्द्रा बोलैरो–एस0एल0एक्स) की लॉग बुक पर आधारित निम्न तालिका से स्पष्ट होता है :–

क्र0 सं0	दिनांक जिस दिन वाहन प्रयोग किया गया	वाहन प्रयोग करने वाले पदाधारी का नाम/पदनाम	कुल यात्रा (कि0मी0 में)	यात्रा का प्रयोजन व स्थान जहां–जहां यात्राऐं की गई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1	23.7.2008	श्री आर0के0 गुप्ता सहायक अभियन्ता, नगर परिषद, सोलन	176 कि0मी0	नालागढ़ नगर परिषद के निर्माण कार्यों की जांच व टैन्डर से सम्बन्धित औपचारिक्ताओं के निरीक्षण के सन्दर्भ में सोलन से नालागढ़ व वापसी यात्रा।
2	27.8.2008	—यथोपरि—	110 कि0मी0	नगर परिषद परवाणु के शासकीय कार्य के सन्दर्भ में सोलन से परवाणु व वापसी यात्रा।
3	26.9.2008	—यथोपरि—	120 कि0मी0	—यथोपरि—
4	29.9.2008	—यथोपरि—	190 कि0मी0	शासकीय कार्य के सन्दर्भ में सोलन से काला अम्ब व वापसी सोलन यात्रा।
5	22.10.2008	—यथोपरि—	133 कि0मी0	शासकीय कार्य के सन्दर्भ में सोलन से शिमला, शिमला में स्थानीय यात्राएं व वापसी सोलन यात्रा।
6	11.11.2008	—यथोपरि—	82 कि0मी0	सोलन से परवाणु शासकीय यात्रा व वापिस सोलन।
7	18.11.2008	—यथोपरि—	81 कि0मी0	—यथोपरि—
8	21.11.2008	—यथोपरि—	85 कि0मी0	सोलन से परवाणु, परवाणु स्थानीय यात्रा व वापिस सोलन शासकीय कार्य के सन्दर्भ में।
9	2.12.2008	—यथोपरि—	180 कि0मी0	सोलन स्थानीय यात्राओं, सोलन से नगर परिषद नालागढ़ कार्यालय व वापिस सोलन शासकीय यात्राएं।
10	6.12.2008	—यथोपरि—	110 कि0मी0	सोलन से परवाणु, परवाणु में स्थानीय यात्राएं व वापिस सोलन (सभी शासकीय यात्राऐं)।
11	16.12.2008	—यथोपरि—	112 कि0मी0	सोलन से परवाणु, परवाणु में स्थानीय यात्राएं व वापिस

				सोलन (सभी शासकीय यात्राऐं)।
12	24.12.2008	—यथोपरि—	90 कि0मी0	सोलन से परवाणु, परवाणु में स्थानीय यात्राएं व वापिस सोलन (सभी शासकीय यात्राऐं)।
13	27.12.2008	—यथोपरि—	101 कि0मी0	सोलन से शिमला व वापसी सोलन शासकीय यात्राएं।
14	2.2.2009	—यथोपरि—	37 कि0मी0	स्थानीय सोलन में विभिन्न शासकीय यात्राएं।
15	3.2.2009	—यथोपरि—	94 कि0मी0	सोलन से राजगढ़ व वापिस सोलन तथा सोलन में स्थानीय यात्राएं (सभी शासकीय यात्राऐं)।
16	5.2.2009	—यथोपरि—	16 कि0मी0	सभी स्थानीय शासकीय यात्राएं सोलन में
17	7.2.2009	—यथोपरि—	40 कि0मी0	—यथोपरि—
18	13.2.2009	—यथोपरि—	25 कि0मी0	—यथोपरि—
19	25.2.2009	—यथोपरि—	141 कि0मी0	सोलन से परवाणु, परवाणु में स्थानीय यात्राएं व परवाणु से बद्दी तथा वापिस सोलन शासकीय यात्राएं।
20	2.3.2009	—यथोपरि—	34 कि0मी0	सोलन में सभी स्थानीय शासकीय यात्राऐं।
21	9.3.2009	—यथोपरि—	52 कि0मी0	—यथोपरि—
22	15.6.2008	—यथोपरि—	23 कि0मी0	—यथोपरि—
23	24.6.2008	—यथोपरि—	23 कि0मी0	—यथोपरि—
24	25.6.2008	—यथोपरि—	24 कि0मी0	—यथोपरि—
25	26.6.2008	—यथोपरि—	23 कि0मी0	—यथोपरि—
26	27.6.2008	—यथोपरि—	24 कि0मी0	—यथोपरि—

27	28.6.2008	–यथोपरि–	23 कि0मी0	–यथोपरि–
28	1.8.2008	–यथोपरि–	8 कि0मी0	–यथोपरि–
29	2.8.2008	–यथोपरि–	41 कि0मी0	–यथोपरि–
30	28.8.2008	–यथोपरि–	23 कि0मी0	–यथोपरि–
31	10.9.2008	श्री आर0के0 गुप्ता सहायक अभियन्ता, नगर परिषद, सोलन एवं राजस्व पटवारी	13 कि0मी0	नगर परिषद कार्यालय से राजस्व कार्यालय चम्बाघाट एवं वापिस नगर परिषद कार्यालय।
32	9.10.2008	–यथोपरि–	12 कि0मी0	सभी शासकीय स्थानीय यात्राऐं सोलन में।
33	19.10.2008	–यथोपरि–	32 कि0मी0	लॉग बुक में यात्राओं का उल्लेख नहीं है।
34	19.11.2008	सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता व सैनेटरी स्टाफ	49 कि0मी0	सोलन व सलोगड़ा में सभी स्थानीय शासकीय यात्राऐं।
35	20.11.2008	श्री आर0के0 गुप्ता, सहायक अभियन्ता	33 कि0मी0	सभी स्थानीय शासकीय यात्राऐं सोलन में।
36	26.11.2008	–यथोपरि–	53 कि0मी0	–यथोपरि–
37	27.11.2008	–यथोपरि–	14 कि0मी0	–यथोपरि–
38	28.11.2008	–यथोपरि–	15 कि0मी0	–यथोपरि–
39	8.12.2008	–यथोपरि–	25 कि0मी0	सभी स्थानीय शासकीय यात्राऐं एवं कथेड़ तथा वापिस सोलन।
40	18.12.2008	–यथोपरि–	16 कि0मी0	सभी स्थानीय शासकीय यात्राऐं सोलन में।
41	20.12.2008	–यथोपरि–	15 कि0मी0	–यथोपरि–
42	26.12.2008	–यथोपरि–	35 कि0मी0	नगर परिषद कार्यालय से सलोगड़ा व वापिस (दो फेरे) तथा सभी यात्राऐं

				शासकीय।
43	30.12.2008	—यथोपरि—	26 कि0मी0	सभी स्थानीय शासकीय यात्राऐं सोलन व सलोगड़ा तथा वापिस सोलन।
44	31.12.2008	—यथोपरि—	15 कि0मी0	सभी स्थानीय शासकीय यात्राऐं सोलन में।
45	20.2.2009	—यथोपरि—	7 कि0मी0	—यथोपरि—
46	28.2.2009	—यथोपरि—	14 कि0मी0	—यथोपरि—
		कुल योग	**2595 कि0मी0**	
47	27.10.2008	श्री एम0एल0 ठाकुर अतिरिक्त सहायक अभियन्ता	6 कि0मी0	सोलन में स्थानीय शासकीय यात्राऐं ।
48	7.11.2008	—यथोपरि—	143 कि0मी0	सोलन से शिमला शासकीय यात्राऐं व वापिस सोलन।
49	15.11.2008	—यथोपरि—	123 कि0मी0	सोलन से शिमला, कसुम्पटी नगर निगम शिमला कार्यालय शासकीय यात्राऐं व वापिस सोलन।
50	17.12.2008	—यथोपरि—	12 कि0मी0	सोलन में स्थानीय शासकीय यात्राऐं।
51	23.12.2008	—यथोपरि—	16 कि0मी0	—यथोपरि—
52	3.1.2009	—यथोपरि—	23 कि0मी0	—यथोपरि—
53	16.1.2009	—यथोपरि—	10 कि0मी0	—यथोपरि—
54	29.1.2009	—यथोपरि—	118 कि0मी0	सोलन से शिमला शासकीय कार्य हेतु यात्रा व वापिस सोलन तथा सोलन से खुंडीधार शासकीय यात्रा व वापिस सोलन।
55	12.2.2009	—यथोपरि—	9 कि0मी0	नगर परिषद कार्यालय से सर्विस स्टेशन बसाल व वापिस नगर परिषद कार्यालय।

56	18.2.2009	—यथोपरि—	22 कि0मी0	सोलन से स्थानीय शासकीय यात्राएं।
		कुल योग	**482 कि0मी0**	
57	20.8.2008	श्री के0डी0 शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता	5 कि0मी0	नगर परिषद कार्यालय से टैंक रोड व वापिस नगर परिषद कार्यालय
		कुल योग	**5 कि0मी0**	

यात्राओं का कुल योग :–

(1)	**श्री आर0 के0 गुप्ता, सहायक अभियन्ता**	**2595 कि0मी0**
(2)	**श्री एम0 एल0 ठाकुर अतिरिक्त सहायक अभियन्ता**	**482 कि0मी0**
(3)	**श्री के0 डी0 शर्मा कनिष्ठ अभियन्ता**	**5 कि0मी0**
	कुल योग	**3,082 कि0मी0**

अंकेक्षण द्वारा यह प्रकरण कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद सोलन से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 40, दिनांक 29.3.2010 द्वारा भी उठाया गया था जिसमें संयुक्त निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश के उपरोक्त कार्यालय आदेश का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया गया था कि अंकेक्षण अवधि में नगर परिषद वाहन का उपयोग बहुत बार उन पदाधारियों द्वारा भी किया गया है जो कि उपरोक्त कार्यालय आदेश के अनुसार नगर परिषद के वाहन का प्रयोग करने के सुपात्र नहीं है तथा यदि इन पदाधारियों को इस सुविधा हेतु सुपात्र धोषित करने सम्बन्धी कोई अन्य अनुदेश है तो उक्त अनुदेशों की प्रति अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई जाए, अन्यथा अनाधिकृत होने के कारण इन यात्राओं को निजि यात्राएं मानते हुए वसूली सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से शीघ्र अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

किन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक न तो उपरोक्त पदाधारियों के नगर परिषद के वाहन का प्रयोग करने हेतु सुपात्र घोषित करने सम्बन्धी किसी अनुदेशों की प्रति अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई और न ही इन अनाधिकृत यात्राओं सम्बन्धी किसी पदाधारी से कोई वसूली की गई।

अतः 3082 किलोमीटर यात्राओं की वसूली कृत यात्राओं को निजि यात्राऐं मानते हुए ₹5.50 प्रति किलोमीटर के हिसाब से प्रत्येक पदाधारी से करके ₹16,951.00 नगर परिषद निधि में जमा करवाया जाना व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किए बिना वाहन का अनाधिकृत प्रयोग करने वश ₹22.149.00 का अपव्यय :–

संयुक्त निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय आदेश संख्या यू0डी0–एच(सी)– (10)–9/2002–10147–10198, दिनांक 15.9.2007 के अनुसार नगर परिषद के वाहन के प्रयोग हेतु स्वीकृति प्रदान करने के लिए निम्नलिखित पदाधिकारी/शासी निकाय सक्षम है

पदनाम	राज्य के भीतर	राज्य के बाहर
कार्यकारी अधिकारी/सचिव	सम्बन्धित निकाया का प्रधान अथवा यात्रा स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी।	निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश।
प्रधान/उप–प्रधान/पार्षद	सदन की अनुमति।	निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश।

नगर परिषद, सोलन के वाहन संख्या एच0पी0–14ए–5030 (मोहेन्द्रा बोलैरों एस0एल0एक्स) की लॉग बुक की जांच करने पर पाया गया कि उपरोक्त पैरा संख्या 8(ख) में वर्णित पदाधिकारियों के अतिरिक्त नगर परिषद के वाहन हेतु सुपात्र निम्न पदाधारियों ने शासकीय वाहन का उपयोग बिना सक्षम प्राधिकारी/शासी निकाय की अनुमति प्राप्त किए हुए किया है जिसका विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0	दिनांक	वाहन प्रयोग करने	कुल यात्रा	यात्रा का प्रयोजन व स्थानों

सं0	जिस दिन वाहन प्रयोग किया गया	वाले पदाधारी का नाम/पदनाम	कि0मी0 में	का संक्षिप्त वर्णन जहां–जहां शासकीय वाहन में यात्राएं की गई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	4.7.2008	श्री अजमेर सिंह ठाकुर, कार्यकारी अधिकारी व श्री आर0 के0 गुप्ता, सहायक अभियन्ता	116 कि0मी0	सोलन से परिमहल शिमला व वापिस माननीय स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार से बैठक के सन्दर्भ में।
2	12.9.2008	–यथोपरि– तथा कनिष्ठ अभियन्ता (लॉग बुक में नाम नहीं दिया है)	105 कि0मी0	सोलन से शिमला, शिमला से स्थानीय यात्राऐं एवं वापसी सोलन (शासकीय यात्राएं)।
3	25.10.08	श्री अजमेर सिंह ठाकुर, कार्यकारी अधिकारी	130 कि0मी0	सोलन से शहरी विकास निदेशालय, शिमला एवं वापसी शासकीय यात्रा।
4	28.10.08	–यथोपरि–	103 कि0मी0	–यथोपरि–
5	15.12.08	–यथोपरि–	115 कि0मी0	सोलन से हिमाचल प्रदेश सचिवालय शिमला व वापिस सोलन शासकीय कार्य के सम्बन्ध में।
6	15.12.08	–यथोपरि–	81 कि0मी0	सोलन से राजगढ़ व वापिस सोलन–शासकीय कार्य।
7	9.1.2009	–यथोपरि–	115 कि0मी0	सोलन से शिमला व वापिस तथा सोलन में स्थानीय यात्राएं

				(सभी शासकीय यात्राएं)।
8	13.1.2009	–यथोपरि–	119 कि0मी0	–यथोपरि–
9	17.1.2009	–यथोपरि–	125 कि0मी0	सोलन से स्थानीय यात्रा व शिमला तथा वापिस सोलन एव् सोलन में स्थानीय यात्रा (सभी शासकीय यात्राएं)।
10	10.2.2009	–यथोपरि–	81 कि0मी0	सोलन से राजगढ़ व वापसी सोलन शासकीय यात्राएं।
11	जून 2008 से मार्च 2009 तक छुटपुट स्थानीय शासकीय यात्राएं	–यथोपरि–	2,627 कि0मी0	नगर परिषद द्वारा वाहन क्रय करने से 31.3.2009 तक कार्यकारी अधिकारी द्वारा कृत स्थानीय शासकीय यात्राओं की सूची बहुत लम्बी होने के कारण इन यात्राओं में संलिप्त किलोमीटरों का कुल योग स्तम्भ संख्या (4) में दिया गया है।
		कुल योग	**3,717 कि0मी0**	
12	30.6.08	श्री देवेन्द्र ठाकुर, अध्यक्ष नगर परिषद	47 कि0मी0	सभी स्थानीय शासकीय यात्राऐं सोलन में।
13	16.9.08	–यथोपरि–	21 कि0मी0	–यथोपरि–
14	29.11.08	–यथोपरि–	41 कि0मी0	सोलन से डगशाई–कोटला नाला– राजगढ़ रोड व वापिस नगर परिषद कार्यालय शासकीय यात्राएं।

15	30.11.08	–यथोपरि–	9 कि0मी0	स्थानीय शासकीय यात्राऐं सोलन में।
16	5.1.2009	–यथोपरि–	32 कि0मी0	सभी शासकीय यात्राऐं स्थानीय सोलन में।
17	22.1.2009	–यथोपरि–	58 कि0मी0	यथा विवरण पृष्ठ–14 (लॉग बुक) सभी स्थानीय शासकीय यात्राऐं सोलन में।
18	23.1.2009	–यथोपरि–	15 कि0मी0	–यथोपरि–
19	26.1.2009	–यथोपरि–	18 कि0मी0	–यथोपरि–
20	28.1.2009	–यथोपरि–	36 कि0मी0	–यथोपरि–
21	22.2.2009	–यथोपरि–	33 कि0मी0	यथा लॉग बुक के पृष्ठ–16 पर वर्णित सभी शासकीय यात्राएं स्थानीय सोलन में।
		कुल योग	**310 कि0मी0**	

यात्राओं का कुल योग :–

(1)	**श्री देवेन्द्र ठाकुर अध्यक्ष, नगर परिषद**	**310 किलोमीटर**
(2)	**श्री अजमेर सिंह ठाकुर, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद**	**3,717 किलोमीटर**
	कुल योग	**4,027 किलोमीटर**

संयुक्त निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश के उपरोक्त कार्यालय आदेश का उल्लेख करते हुए यह प्रकरण अंकेक्षण द्वारा अधियाचना संख्या 40, दिनांक 29.3.2010 द्वारा उठाया गया था किन्तु उपरोक्त कार्यालय आदेश के अनुरूप उपरोक्त यात्राओं में स्वीकृति की

अपेक्षा नगर परिषद कार्यालय द्वारा सम्बन्धित वाहन के पृष्ठ संख्या 39 पर नगर परिषद के प्रधान व कार्यकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र/उद्घोषणा अंकित की जो कि इस प्रकार है :—

"The vehicle No HP-14A-5030 was used by the Chairman/Officers/Officials and elected members w.e.f. 12-6-2008 to 31-1-2010. The journey performed by the above officials is hereby sanctioned"

चूंकि उपरोक्त अंकित प्रमाण पत्र/उद्घोषणा संयुक्त निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश के उपरोक्त कार्यालय आदेशों की न तो अनुपालना है और न ही किसी अवस्था में विनिर्दिष्ट (Specific) है, अतः इसे कृत यात्राओं की स्वीकृति किसी भी अवस्था में नहीं माना जा सकता।

अतः उपरोक्त कृत यात्राओं के सन्दर्भ में विस्तृत कार्योत्तर स्वीकृति उपरोक्त कार्यालय आदेश के अनुरूप प्राप्त कर अनुपालना अंकेक्षण को दर्शाई जाए अन्यथा इन यात्राओं को अनाधिकृत करार देते हुए निजि यात्राएं माना जाए व 4,027 किलोमीटर की वसूली सम्बन्धित पदाधारियों से ₹5.50 प्रति किलोमीटर के हिसाब से कुल वसूली ₹22,148.50 अर्थात ₹22,149.00 करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त भविष्य में नगर परिषद वाहन मे कृत यात्राओं के सन्दर्भ में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति समय रहते ही प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए ताकि नगर परिषद के वाहन के प्रयोग में प्रभावशाली नियन्त्रण सुनिश्चित हो सके।

(घ) वाहन प्रयोग करने वाले प्राधिकारियों द्वारा लॉग बुक में कृत यात्राओं का सत्यापन न करना :—

वाहन संख्या एच0पी0—14ए—5030 (मोहेन्द्रा बोलैरों एस0एल0एक्स) की लॉग बुक की जांच करने पर पाया गया कि लॉग बुक में निम्न विवरणानुसार उक्त वाहन निम्न तालिका में दर्शाए गए पदाधारियों द्वारा प्रयोग किया गया दर्शाया गया है। किन्तु इस सन्दर्भ में इन सम्बन्धित पदाधारियों द्वारा इन यात्राओं से सम्बन्धित लॉग बुक में कृत प्रविष्टियों का अपेक्षित सत्यापन नहीं किया गया है जिसके बिना लॉग बुक में की गई प्रविष्टियों प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती :—

क्र0	दिनांक	वाहन प्रयोग करने	कुल यात्रा	यात्रा का प्रयोजन व

सं0		वाले प्राधिकारी का नाम/पदनाम	कि0मी0 में	स्थानों का संक्षिप्त विवरण जहां–जहां यात्राएं की गई हैं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	15.6.2008	श्री आर0 के0 गुप्ता सहायक अभियन्ता	23 कि0मी0	सोलन से देवघाट व स्थानीय यात्राएं कार्य निरीक्षण के सन्दर्भ में।
2	21.6.2008	श्री अजमेर सिंह ठाकुर, कार्यकारी अधिकारी	23 कि0मी0	सोलन से देवघाट व स्थानीय यात्राऐं कार्य निरीक्षण के सन्दर्भ में।
3	22.10.2008	श्री आर0के0 गुप्ता सहायक अभियन्ता	133 कि0मी0	सोलन से हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला विकास नगर, शहरी विकास कार्यालय व वापिस सोलन शासकीय कार्य हेतु।
		कुल योग	**179 कि0मी0**	

यह प्रकरण नगर परिषद कार्यालय से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 40, दिनांक 29.3. 2010 द्वारा भी उठाया गया था जिसमें स्पष्ट किया गया था कि उपरोक्त प्रवृति के प्रकरणों के सन्दर्भ में लॉग बुक में दर्शाई गई यात्राओं का सत्यापन सम्बन्धित पदाधारियों से करवाया जाए अन्यथा इन दर्शाई गई यात्राओं को निजि यात्राएं मानते हुए उत्तरदायित्व निर्धारण कर वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से सुनिश्चित की जाए। किन्तु उपरोक्त प्रकरणों के सन्दर्भ में नगर परिषद कार्यालय द्वारा अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतः अपेक्षित कार्रवाई अब अमल में लाकर अंकेक्षण से सत्यापन करवाया जाए, अन्यथा उपरोक्तानुसार वसूली की कार्रवाई अमल में लाते हुए 179 किलो मीटर की वसूली सम्बन्धित व्यक्ति से ₹5.50 प्रति किलोमीटर के हिसाब से ₹984.50 अर्थात ₹985.00 सुनिश्चित की जाए व अनुपालना यथासमय अंकेक्षण को दर्शाई जाए।

(ङ) <u>लॉग बुक में यात्राओं की फर्ज़ी प्रविष्टियां</u> :–

वाहन संख्या एच0पी0–14–3785 (डम्पर प्लेसर) की लॉग बुक की जांच करने पर पाया गया कि उक्त वाहन में माह 3/2007 में कुल 363 लीटर डीज़ल डाला गया तथा इस सारे के सारे डीज़ल की खपत माह 3/2007 में ही की गई जैसा की उक्त वाहन की Out turn की गणना करते हुए दर्शाया गया है। अतः इस गणना के अनुसार 31.3.2007 को वाहन में डीज़ल बिल्कुल समाप्त हो गया था तथा इस वाहन में दिनांक 2.4.2007 को 81 लीटर डीज़ल डाला गया जैसा कि उक्त लॉग बुक में एत्सम्बन्धी कृत प्रविष्टि के अवलोकन से विदित होता है। लॉग बुक में कृत प्रविष्टियों के अनुसार यह वाहन दिनांक 1.4.2007 को 60 किलोमीटर चला है जो कि उपरोक्त प्रविष्टियों के अनुसार किसी भी अवस्था में सम्भव नहीं है क्योंकि जब 1.4.2007 को वाहन में डीज़ल ही नहीं था तो वाहन बिला डीज़ल से उस दिन 60 किलोमीटर चल ही नहीं सकता है।

अतः स्पष्ट हे कि इस प्रकरण में लॉग बुक में वाहन के दिनांक 1.4.2007 को 60 किलोमीटर चलने सम्बन्धी कृत प्रविष्टियां प्रामाणिक न होकर मिथ्या (Fake) हैं। चूंकि इस वाहन की डीज़ल खपत 6 किलोमीटर हेतु एक लीटर निर्धारित है अतः 60 किलोमीटर की मिथ्या प्रविष्टियों के सन्दर्भ में 10 लीटर डीज़ल की कीमत की वसूली के अतिरिक्त दोषी कर्मचारी के विरूद्ध कपटपूर्ण तरीके (fraudulent way) से कार्य करनेवश नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई भी अपेक्षित है। अतः अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 <u>अग्रिम राशि</u> :–

नगर परिषद द्वारा विभिन्न संस्थाओं व अपने कर्मचारियों को विभिन्न उद्देश्यों हेतु दिए गए अग्रधन में से दिनांक 31.3.2009 को यथा विवरण परिशिष्ट 'ञ' ₹7,81,408.00 की राशि असामायोजित पड़ी थी जिनमें से ₹7,14,858.00 की राशि उन विभिन्न संस्थओं के पास असामायोजित पड़ी थी जिनसे नगर परिषद कार्यालय निर्माण सामग्री खरीदता है अथवा उनकी सेवाएं अन्य कार्य हेतु लेता है, जबकि ₹66,550.00 की राशि परिषद के अपने ही कर्मचारियों के पास वर्ष 1999 से 31.3.2009 तक पड़ी हैं परिशिष्ट के अवलोकन से विदित होता है कि न तो नगर परिषद कार्यालय उन संस्थाओं के साथ खातों का मिलान करता है जिनसे निर्माण सामग्री खरीदी जाती है क्योंकि इन संस्थाओं के पास भी असामायोजित राशि वर्ष 2005–2006 से 31.3.2009 तक पड़ी है और न ही अपने कर्मचारियों के पास पड़ी असामायोजित राशि के

समायोजन के प्रति गम्भीर है क्योंकि उनके पास तो यह राशि वर्ष 1999 से लम्बित चली आ रही है।

अतः उपरोक्त असामायोजित राशि का समायोजन यथाशीघ्र करके अनुपालना अंकेक्षण को दर्शाई जाए तथा जिन कर्मचारियों के पास असामायोजित राशि पड़ी है उन्हें आगामी अग्रिम केवल गत अग्रिमों के समायोजन के पश्चात ही स्वीकृत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 पैन्शन लेखे :–

(क) पैन्शन एवं ग्रैच्यूटी निधि में ₹75,56,527.00 का अंशदान विभागीय प्रभार के रूप में न करना :–

हिमाचल प्रदेश म्युन्सिपल कर्मचारी (पैन्शन ग्रैच्यूटी एवं सामान्य भविष्य निधि) नियम, 2000 जो कि दिनांक 25.4.2000 को अधिसूचित हुए हैं के अनुसार प्रत्येक नगर परिषद/पंचायत को अपने स्वीकृत बजट का 1 प्रतिशत हिस्सा बतौर विभागीय प्रभार पैन्शन एंव ग्रैच्यूटी निधि मे निवेश करना अपेक्षित है। किन्तु नगर परिषद सोलन द्वारा यह अपेक्षित निवेश वर्ष 2000–2001 से अंकेक्षण की समाप्ति तक नहीं किया गया जबकि यह प्रकरण अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 19, दिनांक 8.2.2010 द्वारा भी उठाया गया था।

नगर परिषद कार्यालय द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गए बजट सम्बन्धी आंकड़ों के अनुसार पैन्शन एवं ग्रैच्यूटी फंड में नगर परिषद कार्यालय द्वारा निवेश की जाने वाली राशि निम्न गणनानुसार वर्ष 2000–2001 से वर्ष 2009–2010 तक ₹75,56,527.00 बनती है, जिसका निवेश समबन्धित खाते में यथाशीघ्र करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण को दर्शाए जाने के अतिरिक्त उक्त निवेश अधिसूचना संख्या एल0एस0जी0–बी(1)–1/79–III दिनांक 25.4.2000 के अधिसूचित होने से अद्यतन न किए जाने के ठोस कारणों से भी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए

क्र0सं0	वर्ष	स्वीकृत बजट	1% विभागीय प्रभार	कुल राशि (Progressive Total)
1	2000–2001	2,90,86,831.00	2,90,868.00	2,90,868.00

2	2001—2002	3,42,37,430.00	3,42,374.00	6,33,242.00
3	2002—2003	3,90,56,569.00	3,90,566.00	10,23,808.00
4	2003—2004	4,75,94,174.00	4,75,941.00	14,99,749.00
5	2004—2005	5,25,32,207.00	5,25,322.00	20,25,071.00
6	2005—2006	5,59,93,064.00	5,59,931.00	25,85,002.00
7	2006—2007	7,60,47,600.00	7,60,476.00	33,45,478.00
8	2007—2008	8,58,09,462.00	8,58,095.00	42,03,573.00
9	2008—2009	13,05,37,727.00	13,05,377.00	55,08,950.00
10	2009—2010	20,47,57,738.00	20,47,577.00	75,56,527.00

[(₹75,56,527.00) पच्चतर लाख छप्पन हज़ार पांच सौ सताईस रुपये मात्र]

(ख) हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा अंशदायी पैंशन नियम, 2006 की अवहेलना में पैंशन एवं ग्रैच्यूटी निधि में नियोक्ता अंशदान का ₹4,28,676.00 का अभिदान :—

हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा अंशदायी पैंशन नियम, 2006 के नियम 4(1) तथा 4(2) के अनुसार जो कर्मचारी 15.5.2003 तथा इस तिथि के उपरान्त नियुक्त हुए हैं, उनसे उनके मूल वेतन + मंहगाई वेतन + मंहगाई भत्ते + एन0पी0ए0 का 10% हिस्सा अंशदाई पैंशन स्कीम में मासिक अभिदान किया जाना अपेक्षित है तथा प्रत्येक कर्मचारी, जो स्कीम के लिए अभिदान करता है के लिए राज्य सरकार द्वारा भी प्रत्येक मास कर्मचारी के अभिदान के बराबर का अभिदान किया जाना अपेक्षित है। इसी नियम के नियम 4(3) के अनुसार अंशदायी पैंशन स्कीम हेतु अभिदाय प्रत्येक मास कर्मचारियों के वेतन से वसूल किया जाना अपेक्षित है जिस प्रकार कि सामान्य भविष्य निधि हेतु अभिदाय किया जाता है।

किन्तु नगर परिषद कार्यालय सोलन के वेतन बिलों की जांच करने पर पाया गया कि उक्त कार्यालय द्वारा वर्ष 2007 में आठ साल का कार्यकाल पूरा करने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने के उपरान्त भी उपरोक्त नियमों के नियम (25) के अनुपालना में

कर्मचारियों से सेवा में पद ग्रहण करने के आगामी मास के वेतन से न तो अभिदाय की कटौती की गई और न ही उक्त अभिदाय के समरूप शासकीय अभिदाय उक्त निधि में किया गया । इसकी बजाए नगर परिषद कार्यालय द्वारा पैंशन एवं ग्रैच्यूटी फंड मे क्रमशः 12 व 15 प्रतिशत का अभिदान केवल नियोक्ता हिस्सा के रूप में उपरोक्त कर्मचारियो के नियमित पद ग्रहण करने की तिथि से माह अक्तूबर 2007 से माह जुलाई 2008 तक किया जाता रहा तथा उक्त अभिदान के बराबर का हिस्सा किसी भी कर्मचारी से नहीं काटा गया।

इस प्रकरण में अंकेक्षण के दौरान चर्चा की अनुपालना में नगर परिषद कार्यालय द्वारा उपरोक्त अवधि में त्रुटिपूर्वक पैंशन एवं ग्रैच्यूटी फंड में खाता संख्या 55080127661 में किए गए कुल अभिदान को वापिस नगर परिषद के खाता संख्या 55080123350 में चैक संख्या 659162, दिनांक 6.6.2010 द्वारा हस्तांतरित किया गया तथा उपरोक्त दोनों संचालनों (Transactions) व एत् सम्बन्धी गणना की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा कर ली गई है।

किन्तु नगर परिषद कार्यालय द्वारा उपरोक्त कर्मचारियों के सन्दर्भ में हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा अंशदायी पैंशन नियम 2006 के नियम (25) की अनुपालना में कर्मचारियों के पद ग्रहण करने के मास से आगामी मास से अंकेक्षण की समाप्ति तक भी लागू नहीं किया गया। अतः उपरोक्त नियम की अनुपालना से अपेक्षित कार्यवाही अब करके अंशदायी पैन्शन स्कीम में मासिक अभिदाय उपरोक्त कर्मचारियों के नियमितिकरण के आगामी मास से नियोक्ता अभिदाय सहित किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 <u>पुराने अनिर्णीत पैरों पर कार्रवाई</u> :–

नगर परिषद सोलन के विगत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में समाविष्ट निर्णीत/अनिर्णीत अंकेक्षण पैरों की नवीनतम स्थिति यथा परिशिष्ट 'ट' पर है जिसके अवलोकन से स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि नगर परिषद कार्यालय पुराने अनिर्णीत पैरों के निपटारे में गम्भीर नहीं है। अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 13, दिनांक 17.11.2009 तथा 02, दिनांक 02.01.2010 व 37, दिनांक 22.3.2010 द्वारा अनुरोध के बावजूद भी बहुत कम अनिर्णीत पैरों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान सम्भव हो सका क्योंकि नगर परिषद कार्यालय की पुराने अनिर्णीत पैरों के सन्दर्भ में अनुपालना ही बहुत कम थी। इस कारण नगर परिषद के अनिर्णीत पैरों की संख्या में उतरोतर वृद्धि हो रही है। यहां तक कि नगर परिषद कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों से वसूली सम्बन्धी पैरे भी अनिर्णीत पड़े हैं क्योंकि इन पर या तो कार्यवाही की ही नहीं गई अथवा जिन प्रकरणों में कार्यवाही हुई है वह भी पूर्ण न होने के कारण आंशिक रूप से ही

निर्णीत हो सके। इसके अतिरिक्त ठेकेदारों से वसूली सम्बन्धी कोई भी पैरा वर्तमान अंकेक्षण में निर्णीत नहीं हुआ क्योंकि ऐसे किसी भी पैरे पर कोई भी कार्यवाही कार्यालय द्वारा नही की गई थी।

अतः पुराने अनिर्णीत पैरों के निपटारे के सन्दर्भ में नगर परिषद कार्यालय का रवैया परिषद के उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ लाया जाता है ताकि अधिक से अधिक पुराने अनिर्णीत पैरों का निपटारा सम्भव हो सके।

12 **<u>लधु आपत्ति विवरणिका</u> :–** इसे पृथकता से जारी नहीं किया गया क्योंकि लधु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान ही कर लिया गया था।

13 **<u>निष्कर्ष</u> :–** लेखों में विशेष सुधार की आवश्यकता है। पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों में समाविष्ट पैरों के निपटारे की ओर भी विशेष ध्यान दिया जाना अपेक्षित है। नगर परिषद के बढ़ते कार्यकलापों के फलस्वरूप बढ़ती हुई आय और व्यय तथा निरन्तर बढ़ती जा रही अंकेक्षण आपत्तियों व नगर परिषद के इन अंकेक्षण आपत्तियों के प्रति उदासीन रवैये के कारण नगर परिषद में प्री–ऑडिट प्रणाली लागू करेन के प्रति विचार किए जाने की नितान्त आवश्यकता है।

हस्ता/
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– V(4)/73-Fin(L.A)-Vol-II,-3585-87 दिनांक, 27.05.2013 शिमला– 171009,
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–
निदेशक शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश शिमला–171002.

1. कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद सोलन, जिला सोलन (हिमाचल प्रदेश) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित पैरों पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उतर इस विभाग को अतिशीघ्र भेंजें।
2. वरिष्ठ उप महालेखाकार(ले0 व ह0) हिमाचल प्रदेश शिमला–171003.

हस्ता/
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला–171009.